वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2023-24

दि वि वि आ
DERC

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

वार्षिक रिपोर्ट

2023–2024

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली –110017
वेबसाइट – www.derc.gov.in
ई–मेल पता– secyderc@nic.in

विषय – सूची

	विवरण	पेज नं.
1	मानचित्र	
	क. दिल्ली– पारेषण नेटवर्क	4
	ख. दिल्ली– वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र	5
2	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (एक संक्षिप्त झलक)	6
3	मिशन स्टेटमेंट	8
4	आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वर्णन	9
5	डीईआरसी की संरचना एवं कार्य	13
6	डीईआरसी संगठनात्मक चार्ट	18
7	विनियामक प्रक्रियाएं	19
8	डीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम	25
9	डीईआरसी के दिशानिर्देश एवं आदेश	29
10	प्रमुख सांख्यिकीय जानकारी	32
11	राज्य सलाहकार समिति	42
12	उपभोक्ता शिकायतों का निवारण	43
13	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत गतिविधियां	66
14	वार्षिक लेखा विवरण	67
15	मानव संसाधन	68

दिल्ली– पारेषण नेटवर्क

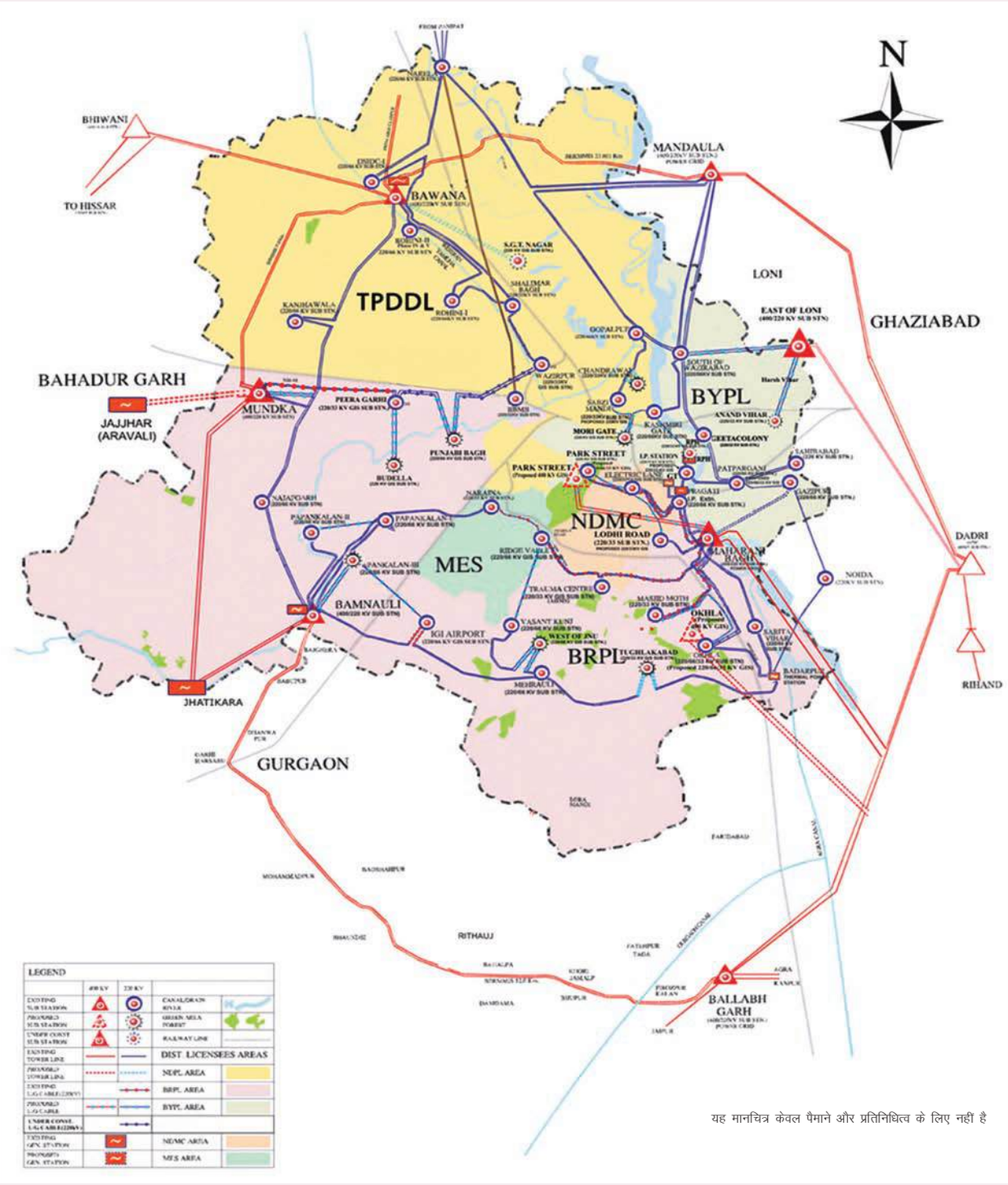

यह मानचित्र केवल पैमाने और प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है

दिल्ली– वितरण लाइसेंसधारी क्षेत्र

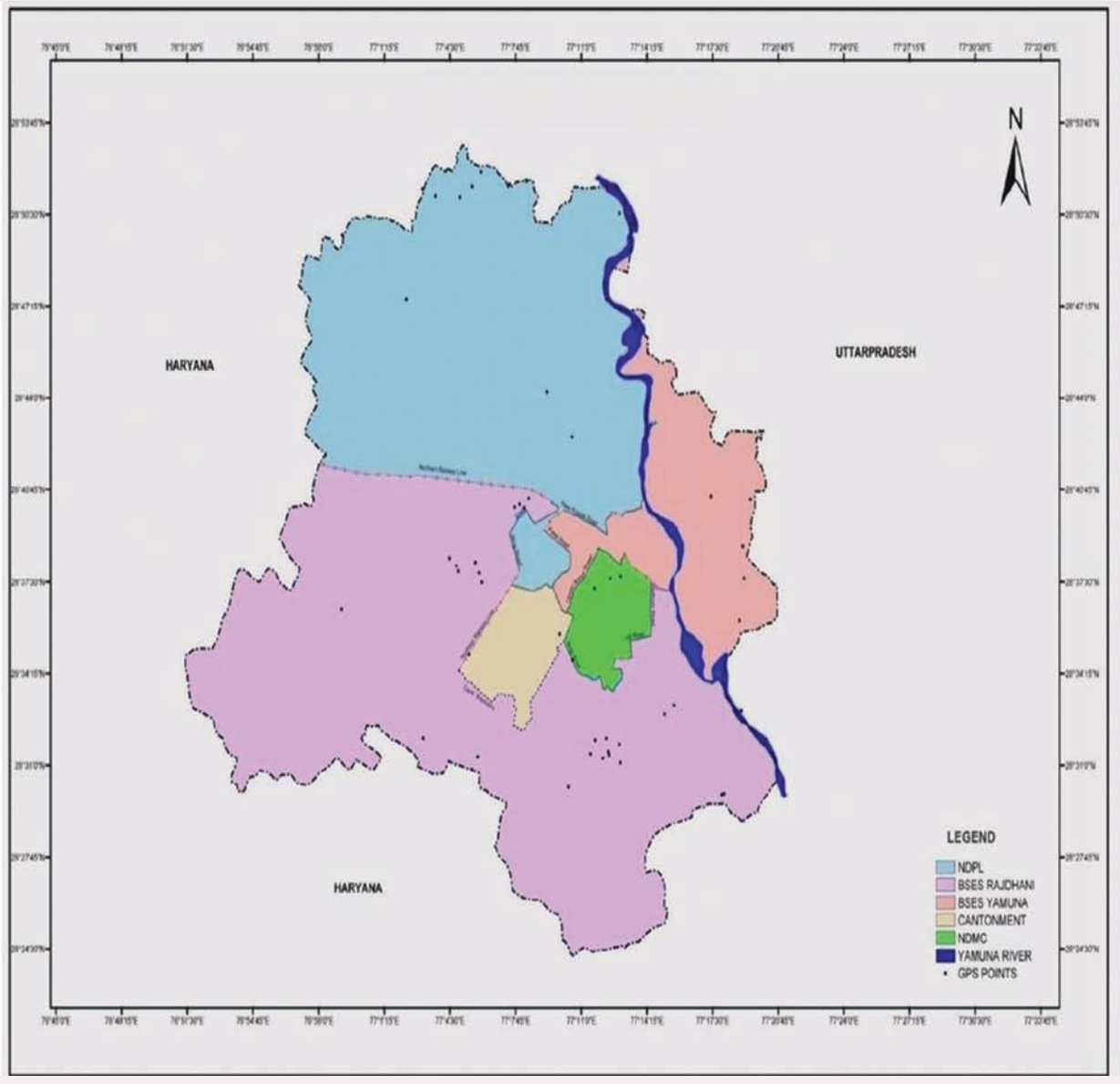

यह मानचित्र केवल पैमाने और प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (एक संक्षिप्त झलक)

अस्थायी अध्यक्ष न्यायमूर्ति जयंत नाथ

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017 स्थित परिसर से कार्य कर रहा है। आयोग की अपनी वेबसाइट अर्थात् www.derc.gov.in है, जिसे नियमित रूप से डिजाइन और रखरखाव और अद्यतन किया जाता है। यह वेबसाइट विनियमों, सुनवाई अनुसूचियों की वाद सूची, अद्यतनों, मसौदा विनियमों पर टिप्पणियों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचनाओं और याचिकाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। यह आयोग के आदेश, जन जागरूकता बुलेटिन, कैरियर रिक्तियों आदि को भी प्रदर्शित करती है। यह वेबसाइट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों और लोकपाल की जानकारी भी प्रदान करती है और उपभोक्ताओं के लिए उनकी शिकायतों के निवारण के लिए जारी दिशा–निर्देश/विनियम जारी करती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ग) के अंतर्गत, यह वेबसाइट आरटीआई शीर्षक के अंतर्गत सूचना का स्वतः प्रकटीकरण प्रदान करती है।

यह आयोग अपने सामने लाए गए मामलों को हल करने के लिए सार्वजनिक और अन्य सुनवाई करता है। प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से आयोग के कर्मचारियों को अपनी पेशेवर क्षमता को उन्नत करने का अवसर दिया जाता है।

सदस्य डॉ. ए.के. अंबष्ट

मिशन स्टेटमेंट

डीईआरसी, विद्युत अधिनियम, 2003 में राज्य विनियामक आयोग के लिए निर्दिष्ट सभी कार्यों को ऐसे तरीके से करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सभी हितधारकों के लिए कारगर, निष्पक्ष और विवेकपूर्ण हों।

विशेष रूप से, डीईआरसी यह सुनिश्चित करने के लिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षेत्रों की विनियमित संस्थाओं द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 और संबंधित सरकारी नीतियों के ढांचे के भीतर कुशलतापूर्वक, विवेकपूर्ण तरीके से और उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में कार्य किया जा रहा है, एक उपयुक्त नियामक रूपरेखा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस उद्देश्य के लिए, डीईआरसी लगातार उपयुक्त नियम और विनियम तैयार करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली में ऊर्जा क्षेत्र के कुशल प्रबंधन के लिए सभी संभव कदम उठाए जाते हैं।

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का परिचय

आयोग के पिछले और वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल

अध्यक्ष

श्री वी.के. सूद	10.12.1999 से 09.12.2004 तक
श्री बरजिंदर सिंह	16.02.2006 से 24.09.2010 तक
श्री पी.डी. सुधाकर	04.04.2011 से 28.01.2016 तक
न्यायमूर्ति एस.एस. चौहान	05.07.2018 से 05.07.2021 तक
न्यायमूर्ति शबीहुल हसनैन 'शास्त्री'	22.07.2021 से 09.01.2023 तक
न्यायमूर्ति जयंत नाथ (अस्थायी अध्यक्ष)	**31.08.2023 से वर्तमान तिथि तक**

सदस्य

श्री के. वेणूगोपाल	19.01.2005 से 22.09.2009 तक
श्री आर. कृष्णामूर्ति	08.02.2005 से 10.05.2007 तक
श्री श्याम वढेरा	18.11.2008 से 17.11.2013 तक
श्री एस.आर. सेठी	14.10.2009 से 23.01.2011 तक
श्री जे.पी. सिंह	14.02.2011 से 13.02.2016 तक
श्री बी.पी. सिंह	22.05.2014 से 24.09.2018 तक
श्री अशोक कुमार सिंघल	31.12.2019 से 09.01.2021 तक
डॉ अखिलेश कुमार अंबष्ट	**31.12.2019 से 01.08.2023 तक**

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) जयन्त नाथ
अस्थायी अध्यक्ष

10 नवंबर, 1959 को जन्म। अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड, नई दिल्ली से की। इसके बाद बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र सेंट स्टीफंस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से किया और 1982 में विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग आदि सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों में एक वकील के रूप में वकालत की। 1995 से 2002 तक डेसू/डीवीबी के लिए स्थायी वकील रहे हैं। विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों आदि का प्रतिनिधित्व किया। दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता और सुलह केंद्र द्वारा मध्यस्थ के रूप में प्रशिक्षित किया गया और वहां विभिन्न मध्यस्थताएं आयोजित की। विभिन्न कानूनों से संबंधित मामलों जैसे सेवा, श्रम, मध्यस्थता, संविधान और प्रशासनिक कानून का संचालन किया। मई, 2006 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। 17 अप्रैल, 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और 18.03.2015(एफ/एन) को स्थायी न्यायाधीश बने। 09.11.2021 को सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ वकील के तौर पर वकालत कर रहे हैं। इन्हें बड़ी संख्या में मामलों में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया है। 31.08.2023 को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ अखिलेश कुमार अंबष्ट
सदस्य

माननीय सदस्य डॉ. अखिलेश कुमार अंबष्ट, 31 दिसंबर 2019 के पूर्वाह्न को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में शामिल हुए।

डॉ. ए.के. अंबष्ट, 1987 बैच के एजीएमयूटी कैडर से भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी, को राज्यों के साथ–साथ भारत सरकार में विभिन्न संगठनों/विभागों में काम करने का विविध अनुभव है।

इन्होंने अपनी सेवा के प्रारंभिक वर्षों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और फिर संघ क्षेत्र दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली में विभिन्न अतिरिक्त प्रभारों के साथ उप वन संरक्षक के रूप में काम किया यथा बिक्री कर, मत्स्य पालन, नगर निगम, पर्यटन, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि।

गोवा में, इन्होंने उप वन संरक्षक का प्रभार संभाला और फिर दिल्ली में गोवा के स्थानिक आयुक्त बने।

प्रतिनियुक्ति पर रहते हुए, डॉ. अम्बष्ट ने मानव संसाधन मंत्रालय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), दिल्ली जल बोर्ड और तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) में राज्यों और केंद्र में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया। तकनीकी शिक्षा निदेशक के रूप में, इन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दिल्ली के निर्धारक और कलेक्टर की क्षमता में, संपत्ति कर का ऑनलाइन मूल्यांकन और संग्रह शुरू किया, जिसे कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई–प्रोजेक्ट से सम्मानित किया गया। सदस्य सचिव, डीपीसीसी के रूप में इन्होंने ऑनलाइन कामकाज के लिए सभी रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण सुनिश्चित किया और वायु गुणवत्ता मानकों के लिए छह ऑनलाइन निगरानी स्टेशनों की स्थापना में मदद की।

दिल्ली जल बोर्ड और ओएनजीसी में सीवीओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने पारदर्शिता सुनिश्चित की और निवारक सतर्कता की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जिससे संगठन को सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने में मदद मिली। इस अवधि के दौरान, इन्होंने ऑयल इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम और बामर एंड लॉरी कंपनी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला।

डॉ. अम्बष्ट ने अनुसूची–I कोयला ब्लॉक खानों की नीलामी को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जिसकी निगरानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती थी।

डॉ. अम्बष्ट ने काशी नरेश पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ज्ञानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में पीएच. डी. से सम्मानित किया गया। इन्होंने वानिकी में एम. एससी. भी किया है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में इनके 14 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं।

माननीय सदस्य डॉ. अखिलेश कुमार अम्बष्ट ने 01.08.2023 को कार्यालय छोड़ दिया था।

डीईआरसी की संरचना एवं कार्य

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग विद्युत नियामक आयोग का गठन अधिनियम, 1998 (ईआरसी अधिनियम, 1998) की धारा 17 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को दी गई एक अधिसूचना के माध्यम से 3 मार्च, 1999 को 10 दिसंबर, 1999 को निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने के लिए किया गया।

1. ईआरसी अधिनियम, 1998 की धारा 29 में उपबंधित रीति से, थोक, बड़ी मात्रा, ग्रिड या खुदरा बिजली, जैसा भी मामला हो, के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए;
2. ईआरसी अधिनियम, 1998 की धारा 29 में उपबंधित रीति से पारेषण इकाइयों के उपयोग के लिए देय प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए;
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पारेषण, बिक्री, वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादन कंपनियों, उत्पादन स्टेशनों या अन्य स्रोतों से बिजली खरीदे जाने की दर सहित पारेषण इकाइयों और वितरण इकाइयों के लिए बिजली की खरीद और प्राप्त करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए;
4. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998 के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए;
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आगे समय–समय पर सूचित किए जाने वाले किसी भी अन्य कार्यों को करने के लिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 28 अक्तूबर, 2000 को दिल्ली विद्युत सुधार अध्यादेश, 2000 प्रख्यापित किया। ईआरसी अधिनियम, 1998 के अंतर्गत गठित आयोग उक्त अध्यादेश के तहत गठित पहला आयोग माना गया था। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, डीईआर विधेयक, 2000 को दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (डीईआरए, 2000) के रूप में अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम ने निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक विद्युत विनियामक आयोग के गठन के लिए अवसर प्रदान किया गया है, जिसे ''दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग'' के रूप में जाना जाता है।

थोक, बड़ी मात्रा या खुदरा बिजली के लिए, स्थिति के अनुरूप प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए;

i. पारेषण इकाइयों के प्रयोग के लिए देय प्रशुल्क का निर्धारण करने के लिए;

ii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पारेषण, बिक्री, वितरण और आपूर्ति के लिए उत्पादन कंपनियों, उत्पादन स्टेशनों या अन्य स्रोतों से बिजली खरीदे जाने की दर सहित लाइसेंसधारियों और पारेषण इकाइयों के लिए बिजली की खरीद और प्राप्त करने की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए;

iii. इस अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए;

iv. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति से संबंधित मामलों में सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए;

v. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर बिजली व्यवस्था के संचालन को विनियमित करने के लिए;

vi. सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता से संबंधित मानकों सहित दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिजली उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने के लिए;

vii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और बिजली उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए रास्ते बनाने तथा ग्राहकों के लिए एक उचित सौदा सुनिश्चित करने के लिए;

viii. अपनी बिजली नीति तैयार करने में सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए;

ix. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली की मांग, और इसके उपयोग पर डेटा इकट्ठा करने, पूर्वानुमान प्रकाशित करने तथा लाइसेंसधारियों से इस प्रकार के डेटा को इकट्ठा करने और प्रकाशित करने की मांग करने के लिए;

x. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिजली उद्योग से संबंधित संपत्तियों, संपत्तियों और संपत्तियों में हित को विनियमित करने के लिए, जिसमें सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए बिजली उद्योग में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करने वाली शर्तें शामिल हैं;

xi. बिजली के पारेषण, थोक आपूर्ति, वितरण या आपूर्ति के लिए लाइसेंस जारी करने और लाइसेंस में शामिल होने वाली शर्तों का निर्धारण करने के लिए;

xii. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लाइसेंसधारियों और बिजली उद्योग में संलग्न या अधिकृत अन्य व्यक्तियों के कार्यकरण को विनियमित करने और एक कुशल, किफायती और न्यायसंगत तरीके से उनके काम को बढ़ावा देने के लिए;

xiii. लाइसेंसधारियों से उत्पादन, पारेषण, वितरण, आपूर्ति और बिजली के उपयोग, सेवा की गुणवत्ता और बिजली खरीद और प्राप्ति की उचित प्रक्रिया तैयार करने को बढ़ावा देने के लिए अन्य लोगों के साथ और समन्वय में भावी योजनाओं और स्कीमों को तैयार करने की मांग करने के लिए;

xiv. लाइसेंसधारियों तथा/अथवा पारेषण इकाइयों के बीच विवादों और मतभेदों पर निर्णय करने और मध्यस्थता के लिए विषय का उल्लेख करने के लिए;

xv. सरकार द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय पर सरकार को सहायता और सलाह देने के लिए;

इसके बाद भारत सरकार ने विद्युत अधिनियम, 2003 (ईए, 2003) को अधिसूचित किया, जिसने ईआरसी अधिनियम, 1998 को निरस्त कर दिया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86 में निहित प्रावधानों के अनुसार, डीईआरसी पर निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी है:–

i. *राज्य के भीतर, स्थिति के अनुसार, थोक, बड़ी मात्रा या खुदरा, बिजली के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और व्हीलिंग के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करना: बशर्ते धारा 42 के अंतर्गत उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए खुले उपयोग की अनुमति दी गई हो, यह उपभोक्ताओं की उक्त श्रेणी के लिए केवल व्हीलिंग शुल्क और उस पर अधिभार, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा;*

ii. *विद्युत क्रय तथा वितरण लाइसेंसधारकों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया नियंत्रित करना जिसमें वह मूल्य सम्मिलित है जिस पर विद्युत कंपनियों अथवा लाइसेंसधारकों अथवा स्रोतों से राज्य के भीतर वितरण और आपूर्ति हेतु शक्ति क्रय के लिए अनुबंधों के माध्मय से की जाएगी;*

iii. *बिजली की अंतर–राज्य पारेषण और व्हीलिंग की सुविधा के लिए;*

iv. *राज्य में अपने संचालन के संबंध के साथ प्रसारण लाइसेंसधारियों, वितरण लाइसेंसधारियों और बिजली व्यापारियों के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस जारी करने के लिए;*

v. *ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी के लिए उपयुक्त उपाय प्रदान करने और किसी भी व्यक्ति को बिजली की बिक्री के माध्यम से नवीकरणीय स्रोतों से बिजली के उत्पादन और सह–उत्पादन को बढ़ावा देने और एक वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की खपत और ऐसे स्रोतों से ऊर्जा की कुल खपत के एक निर्दिष्ट प्रतिशत की बिजली की खरीद के लिए;*

vi. *लाइसेंसधारियों के बीच विवादों पर निर्णय करने, और उत्पादन कंपनियों के किसी भी विवाद की मध्यस्थता के लिए उल्लेख करने के लिए;*

vii. *इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शुल्क लगाने के लिए;*

viii. *धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (एच) के अंतर्गत निर्दिष्ट ग्रिड कोड के अनुरूप राज्य ग्रिड कोड को निर्दिष्ट करने के लिए;*

ix. *लाइसेंसधारियों द्वारा सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को निर्दिष्ट या लागू करने के लिए;*

x. *यदि आवश्यक हो, तो बिजली के अंतर–राज्य व्यापार में व्यापारिक लाभ तय करने के लिए, और*

xi. *इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सौंपे जाने वाले अन्य कृत्यों का निर्वहन करने के लिए;*

xii. *राज्य सरकार को निम्नलिखित मामलों में सभी या किसी पर सलाह देने के लिए, अर्थात्:–*

क. बिजली उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, दक्षता और किफायत (अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देना;

ख. बिजली उद्योग में निवेश को बढ़ावा देना;

ग. राज्य में बिजली उद्योग का पुनर्गठन और पुनःव्यवस्था;

घ. उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिजली के व्यापार या उस सरकार द्वारा राज्य आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय से संबंधित मामले।

ईए, 2003 इस आयोग को आगे ईए, 2003 की धारा 3 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और प्रशुल्क नीति के द्वारा निर्देशित किए जाने का प्रावधान करता है। ईए, 2003 के लागू होने के बाद, डीईआरए, 2000 के प्रावधान जो ईए, 2003 के प्रावधानों से असंगत नहीं हों, लागू होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी) का पुनर्गठन पहले इसे कार्यात्मक तर्ज पर लागू करने और फिर वितरण के व्यापार में प्रमुख हिस्सेदारी का विनिवेश करने में किया गया था। 22 फरवरी, 2002 को थोक आपूर्ति शुल्क तथा सभी कार्यरत वितरण कंपनियों के लिए घाटे के आरंभिक स्तर पर आयोग द्वारा जारी किया गया आदेश वितरण व्यापार के निजीकरण के लिए एक आवश्यक भूमिका बन गया। इस प्रकार तैयार मॉडल के अनुसार बोलीदाता का चयन अनिवार्य रूप से 22 फरवरी, 2002 के आयोग द्वारा दिए गए आदेश में आरंभिक स्तर पर नुकसान में कटौती की बोली के स्तर के आधार पर किया गया था।

बोली लगाने के लिए पालन की जाने वाली विधि में, वितरण कंपनियों को अगले पांच साल के लिए सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक दक्षता में सुधार के लक्ष्य के एकल पैमाने पर सम मूल्य पर इक्विटी बेचने के साथ बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया गया था। दक्षता में सुधार, अधिक उपलब्धि के लिए प्रोत्साहन और थोक आपूर्ति के प्रशुल्क के निर्धारण की एक पद्धति के लिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया था और सरकार द्वारा एक नीति निर्देश के रूप में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) के लिए दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निम्नलिखित वितरण लाइसेंसधारी कार्य कर रहे हैं।

वितरण लाइसेंसधारी का नाम	वितरण का क्षेत्र
बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल)	दक्षिण, दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली
बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल)	मध्य, पूर्वी दिल्ली
टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	उत्तरी, उत्तरी–पश्चिमी दिल्ली
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) (मान्य लाइसेंसधारी)	मध्य दिल्ली

तत्कालीन पूर्व एकीकृत दिल्ली विद्युत बोर्ड (डीवीबी), को आरंभ करने के बाद उत्पादन और पारेषण को दिल्ली सरकार द्वारा नियंत्रण में रखा गया और सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों, इंद्रप्रस्थ पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (आईपीजीसीएल), प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल) और दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डीटीएल) द्वारा प्रबंधित किया गया। दिल्ली में वितरण क्षेत्र का निजीकरण किया गया और निजी वितरण कंपनियों

(डिस्कॉम्स) को प्रबंधकीय नियंत्रण में रखा गया यथा बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (बीआरपीएल), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (बीवाईपीएल) और जुलाई, 2002 के दौरान नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एनडीपीएल) अस्तित्व में आया, जिसे वर्तमान में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) के रूप में जाना जाता है।

यह आयोग आगामी वर्ष के लिए लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करता है। इनमें सबसे प्रमुख हैं आगामी वर्ष के लिए प्रभावी होने वाले बिजली प्रशुल्क सहित वितरण उपयोगिताओं में से प्रत्येक के लिए समग्र राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना। इसके अलावा, यह आयोग नए नियमों का मसौदा तैयार करने या विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 एवं 92 में निहित प्रावधानों के आलोक में मौजूदा विनियम में परिवर्तन करने का कार्य भी संभालता है।

संगठनात्मक चार्ट (31.03.2024 के अनुसार)

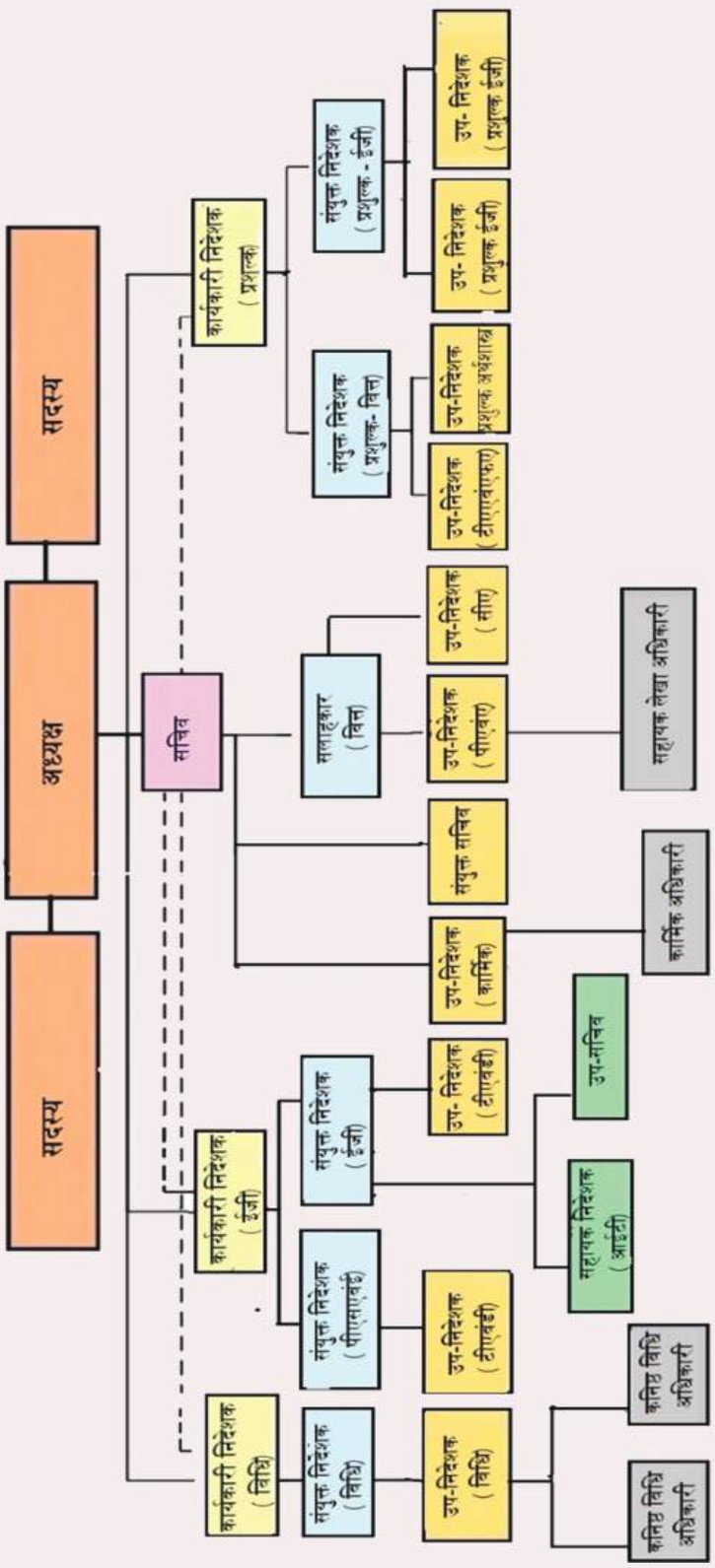

विनियामक प्रक्रिया

प्रशुल्क निर्धारण

आयोग को सौंपे गए विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर बिजली के थोक, थोक या खुदरा, जैसा भी मामला हो, के उत्पादन, पारेषण, आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ का निर्धारण करना है। विद्युत अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन/याचिका एक उत्पादन कंपनी/पारेषण कंपनी/वितरण लाइसेंसधारी द्वारा इस तरह से दायर की जाती है और इस तरह के शुल्क के साथ, विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

याचिकाओं को स्वीकार करने के बाद, इन याचिकाओं में निहित प्रस्तावों का विश्लेषण करने वाले कार्यकारी सारांश तैयार किए गए हैं, जो सभी हितधारकों की जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट (www.derc.gov.in) पर याचिकाओं के साथ प्रदर्शित हैं। इसके साथ ही, जनता/विभिन्न हितधारकों से विभिन्न प्रशुल्क मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिसके लिए प्रमुख समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। आयोग हितधारकों से प्राप्त सुझावों/सूचनाओं पर विचार करने के लिए ''जन सुनवाई'' का आयोजन करता है, जिससे सभी हितधारकों को प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित मामलों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जा सके।

जन सुनवाई के दौरान, हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के अलावा, बिजली की खरीद, उपभोक्ता श्रेणियों, एटी एवं सी नुकसान के स्तर, डिस्कॉम्स द्वारा किए गए व्यय सहित प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाता है। इन जन सुनवाइयों के दौरान प्राप्त सूचनाओं को विधिवत दर्ज किया जाता है और आयोग द्वारा उन पर उपयुक्त विचार किया जाता है। डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं पर विचार करने के बाद आयोग, वितरण, अपने पास पहले से उपलब्ध जानकारी, हितधारकों से प्राप्त सुझावों/आदानों और दी गई जानकारियों की विवेक पूर्ण जांच से, एआरआर की स्वीकृति तथा प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित मामलों पर आदेश जारी करता है।

प्रशुल्क निर्धारण की प्रक्रिया

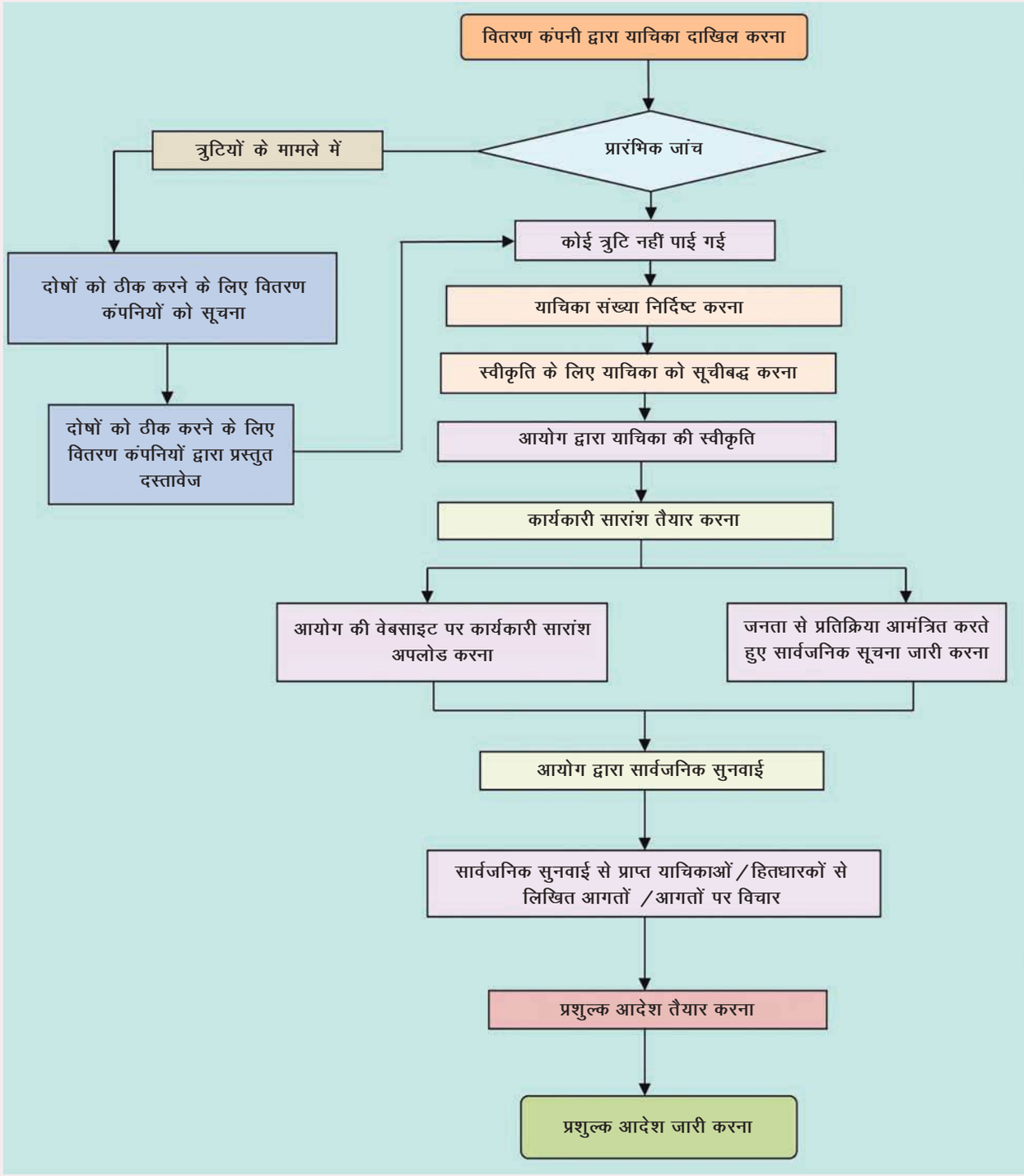

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत याचिकाएं

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142, जैसाकि यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम, नियमों या विनियमों आदि के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है।

"धारा 142 (उचित आयोग द्वारा निर्देशों का पालन न करने के लिए दंड):

''यदि उपयुक्त आयोग के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत दायर की जाती है अथवा यदि आयोग का यह मानना है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के किसी भी प्रावधानों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों अथवा आयोग द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है तो उपयुक्त आयोग ऐसे व्यक्ति को इस मामले पर सुनवाई का अवसर देने के बाद, इस अधिनियम के तहत उस दिए जाने वाले किसी अन्य दंड के पूर्वाग्रह के बिना, लिखित में यह निदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में ऐसी राशि का भुगतान करेगा जो प्रत्येक उल्लंघन के लिए एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और लगातार उल्लंघन के मामले में दंड के रूप में उसे अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा, यह राशि ऐसे पहले निदेश के उल्लंघन के बाद लगातार उल्लंघन किए जाने के दौरान प्रतिदिन के लिए छः हजार रूपए तक हो सकती है।"

आयोग ने शिकायत की सुनवाई करने के लिए दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग व्यापक (व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2001 के माध्यम से एक प्रक्रिया विकसित की है। इसका सार इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्त शिकायत की जांच की जाती है और एक विशिष्ट डायरी नंबर सौंपा जाता है और स्वीकृति के लिए एक तारीख तय की जाती है और पार्टियों को विधिवत सूचित किया जाता है। स्वीकृति के प्रश्न पर पहले पक्षों को सुना जाता है। एक बार शिकायत स्वीकार हो जाने के बाद, जिस पक्ष के खिलाफ शिकायत की गई है उसे अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। शिकायतकर्ता उस पर एक प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है जहां दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं और आदेश सुरक्षित रखा जाता है। आदेश की घोषणा खुले न्यायालय में की जाती है।

वित्त वर्ष 2023–2024 के दौरान, आयोग ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत 7 याचिकाओं का निपटारा किया है। इसी तरह, आयोग ने बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत आने वाले मामलों के अलावा अन्य मामलों में 41 याचिकाओं का निपटारा किया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत शिकायतों के निपटान की प्रक्रिया

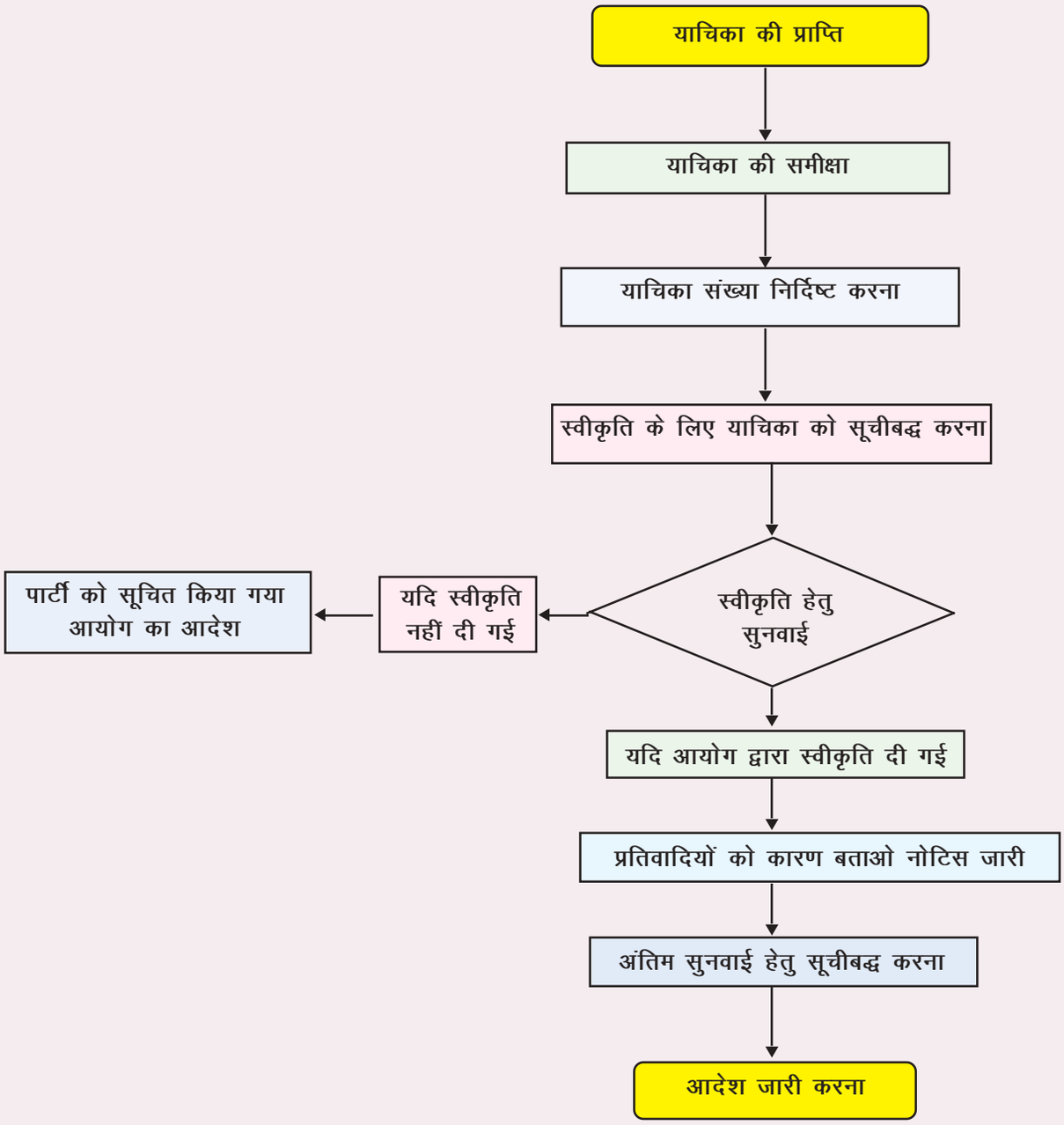

विनियम

प्रारंभ में, एक मसौदा विनियम तैयार किया जाता है और आयोग के उचित अनुमोदन के साथ, जिसे आयोग की वेबसाइट (www.derc.gov.in) पर अपलोड किया जाता है ताकि सभी हितधारकों/जनता से इस विषय पर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। आमतौर पर, हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर देने के लिए, आयोग द्वारा जन सुनवाई सत्र भी आयोजित किए जाते हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 की प्रासंगिक धाराओं के प्रावधानों, मसौदा नियमों और जनता/हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सुझावों पर विचार के उपरान्त, आयोग द्वारा विनियमों को अंतिम रूप दिया जाता है तथा अनुमोदित किया जाता है। जिसके पश्चात विनियमों को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है।

विनियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया

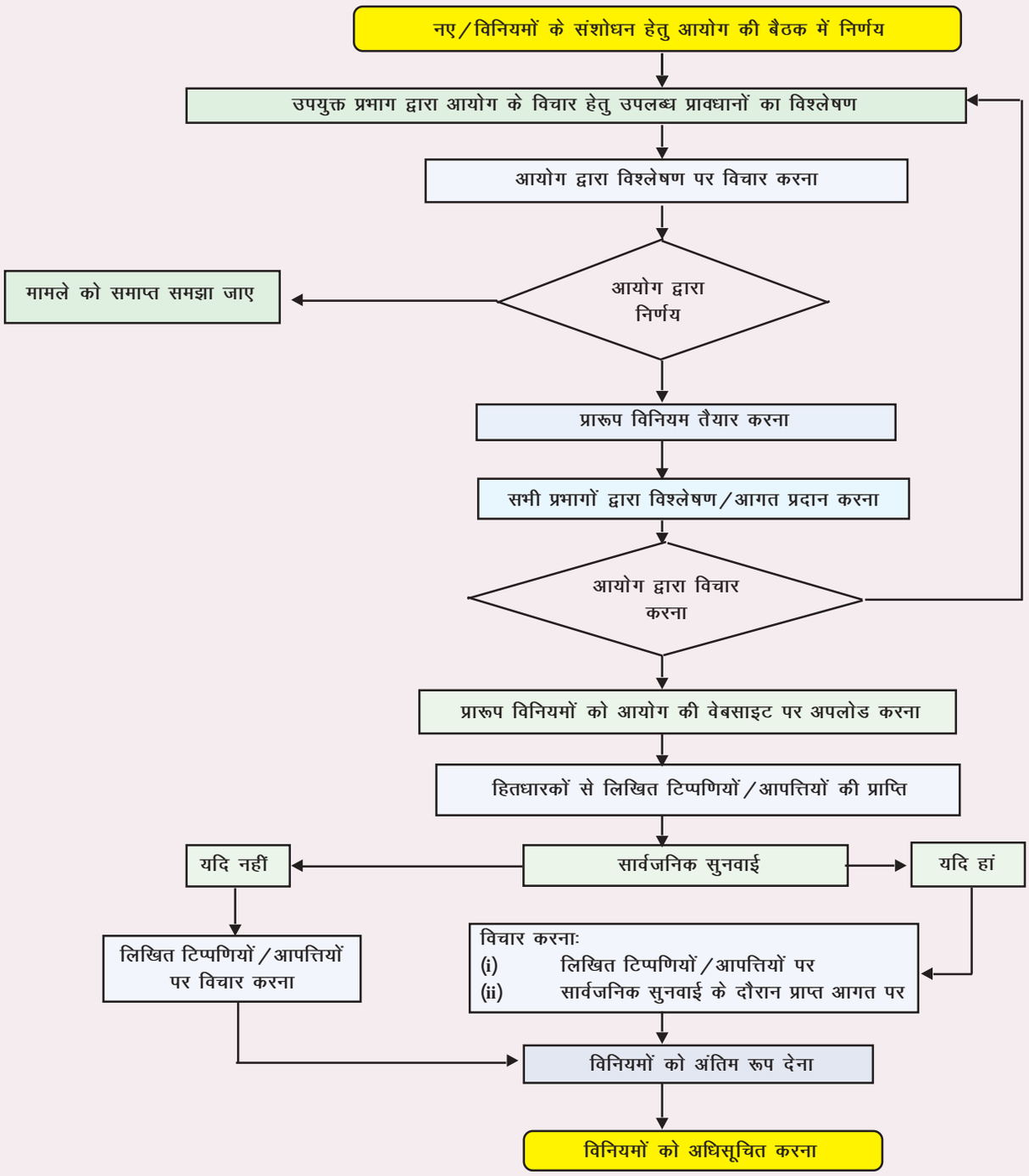

डीईआरसी द्वारा अधिसूचित विनियम

विद्यमान

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2001
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं विकास) विनियम 2001
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) विनियम, 2001
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) विनियम 2001
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विस्तृत विनियम, 2001
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (निष्पादन मानक – मीटरिंग एवं बिलिंग) विनियम, 2002
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रग्रहित विद्युत संयंत्र हेतु सम्मति प्रदान) विनियम, 2002
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (निष्पादन मानक – मीटरिंग एवं बिलिंग (संशोधन) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (निष्पादन मानक – मीटरिंग एवं बिलिंग (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं विकास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रग्रहित विद्युत संयंत्र हेतु सम्मति प्रदान) (संशोधन) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रग्रहित विद्युत संयंत्र हेतु सम्मति प्रदान) (निरस्त) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (चिकित्सकीय परिचर्या) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के फोरम की स्थापना के लिए मार्गदर्शक निर्देश और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2003
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आर्थिक शक्ति का प्रत्यायोजन) विनियम, 2004
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारकों के अन्य व्यवसाय से होने वाली आय का उपयोग) विनियम, 2005
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया) विनियम, 2005
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ओपन एक्सेस के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2005
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (अंतर्राज्य विद्युत व्यापारी) विनियम, 2005

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मानव संसाधनों का प्रबंधन एवं विकास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति संहिता एवं अनुपालन मानक विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण प्रशुल्क के निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग प्रशुल्क और खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क के निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्रभार (लेवी तथा फीस और शुल्क का संग्रह) विनियम, 2007
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग प्रशुल्क और खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क के निर्धारण के लिए निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2007 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट ग्रिड कोड) विनियम, 2008
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट ग्रिड कोड) विनियम, 2008 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (स्टेट ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008
- व्यापार के लेनदेन के लिए डीईआरसी विनियम, 2010
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2011; दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2011; दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्हीलिंग प्रशुल्क और खुदरा आपूर्ति प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2011
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (जेनेरेशन शुल्क दर के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2011 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत प्रदाय संहिता और अनुपालन मानक (संशोधित) विनियम, 2011
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम, 2012
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड से जुड़े सौर फोटो वैद्युत परियोजना के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) विनियम, 2013
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन प्रशुल्क निर्धारण हेतु नियम एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2014

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए नेट मीटरिंग) विनियम, 2014
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2014
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और निष्पादन मानक (संशोधन) विनियम, 2015
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक (तृतीय संशोधन) विनियम, 2016
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2017 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) विनियम, 2017
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2017
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) विनियम, 2017 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (पारेषण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय से आय का उपयोग) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2018
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) (तृतीय संशोधन) विनियम, 2018
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक) (चौथा संशोधन) विनियम, 2019
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2019
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत प्रणाली विकास निधि) विनियम, 2019
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (सलाहकारों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आर्थिक शक्ति का प्रत्यायोजन) विनियम, 2021
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2021
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) विनियम, 2021

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022।
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बड्समैन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 का शुद्धिपत्र।

अधिसूचित

- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम 2023
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय खरीद दायित्व और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क कार्यान्वयन) (प्रथम संशोधन) विनियम 2023
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम 2023
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम 2023 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बड्समैन) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2023 का शुद्धिपत्र
- दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (निर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने के लिए व्यवसाय का संचालन) विनियम, 2023

दिशानिर्देश एवं आदेश

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

डीईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा के लिए समूह नेट मीटरिंग और वर्चुअल नेट मीटरिंग) (पांचवां संशोधन) दिशानिर्देश, 2024।

वर्ष 2023–24 के दौरान आयोग द्वारा जारी महत्वपूर्ण आदेश

(i) संसाधन पर्याप्तता

इस आयोग ने पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए डिस्कॉम्स के कई पीपीएज को मंजूरी दी है, जो इस प्रकार हैं:

<u>दीर्घकालिक पीपीएज</u>

- आदेश दिनांक 26/03/2024 द्वारा एसईसीआई के माध्यम से 110 मेगावाट पवन–सौर हाइब्रिड पावर की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- दिनांक 26/02/2024 के आदेश के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 17/01/2024 के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए टीपीडीडीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 8/01/2024 के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 150 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 8/01/2024 के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 210 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी
- दिनांक 8/01/2024 के आदेश के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 100 और 250 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 8/01/2024 के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए बीवाईपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 17/11/2023 द्वारा एसईसीआई के माध्यम से 100 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए बीवाईपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 17/11/2023 द्वारा एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट पवन ऊर्जा की खरीद के लिए बीवाईपीएल को मंजूरी।
- दिनांक 17/11/2023 के आदेश के माध्यम से एसईसीआई के माध्यम से 50 मेगावाट सौर ऊर्जा की खरीद के लिए ठल्क्स को मंजूरी।

मध्यम अवधि के पीपीएज

- दिनांक 28/03/2024 के आदेश के तहत 'शक्ति' नीति के पैरा बी(अ) के तहत पीएफसी से 5 वर्षों की अवधि के लिए 181.8 मेगावाट बिजली की खरीद के लिए एनडीएमसी को मंजूरी।
- दिनांक 19/01/2024 के आदेश के माध्यम से ग्रीनशू विकल्प के माध्यम से 200 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता के साथ सभी स्रोतों से 300 मेगावाट की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।

लघु अवधि के पीपीएज

- दिनांक 26/03/2024 के आदेश के तहत जून 24 और जुलाई 24 के लिए 200 मेगावाट आरटीसी अल्पकालिक बिजली की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- दिनांक 31/01/2024 के आदेश के तहत अप्रैल 24 और मई 24 के लिए 50 मेगावाट आरटीसी अल्पकालिक बिजली की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- आदेश दिनांक 21/01/2024 के माध्यम से 1/06/2024 से 30/09/2024 तक 500 मेगावाट तक आरटीसी अल्पकालिक बिजली की खरीद के लिए बीआरपीएल को मंजूरी।
- दिनांक 15/12/2023 के आदेश द्वारा 1/06/2024 से 30/09/2024 की अवधि के लिए अल्पकालिक आधार पर बिजली की खरीद के लिए टीपीडीडीएल को मंजूरी।
- दिनांक 9/11/2023 के आदेश द्वारा अल्पकालिक आधार पर बिजली की बैंकिंग के लिए टीपीडीडीएल को मंजूरी।
- दिनांक 27/04/2023 के आदेश के तहत 23 मई से 23 सितंबर तक 37.73 मेगावाट अल्पकालिक बिजली की खरीद के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के लिए बीवाईपीएल को मंजूरी।

(ii) मांग पक्ष प्रबंधन

- आयोग ने दिनांक 10/07/2023 के आदेश के तहत बीआरपीएल के लिए अकुशल एयर कंडीशनरों को कुशल एयर कंडीशनरों से बदलने की मंजूरी दे दी।
- आयोग ने दिनांक 11/07/2023 के आदेश के तहत बीवाईपीएल के लिए अकुशल एयर कंडीशनरों को कुशल एयर कंडीशनरों से बदलने की मंजूरी दे दी।

(iii) ग्रीष्मकालीन तैयारी बैठक

आयोग ने 28/02/2024 को कार्यालय में दिल्ली की बिजली उपयोगिताओं के साथ ग्रीष्मकालीन तैयारी बैठक आयोजित की और बिजली खरीद योजना और नेटवर्क बाधाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

(iv) पीपीएसी आदेश

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(4) के अनुसार, डीईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2017 के विनियम 134 के साथ पठित और 2011 के ओपी 1 में माननीय एपीटीईएल निर्णय दिनांक 11/11/2011 के अनुपालन में, आयोग ने डिस्कॉम्स के पीपीएसी को मंजूरी दी, विवरण इस प्रकार हैं:

सामान्य आदेश

- आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किए जाने तक कोई अतिरिक्त पीपीएसी नहीं करने के संबंध में आयोग द्वारा अपने आदेश दिनांक 21/07/2023 के तहत जारी निर्देश को हटाना।
- जब तक आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता तब तक कोई अतिरिक्त पीपीएसी न करने के संबंध में डिस्कॉम को निर्देश।

डिस्कॉम्स की याचिकाओं पर पीपीएसी के आदेश

- दिनांक 8/03/2024 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए बीवाईपीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- आदेश दिनांक 8/03/2024 द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए बीआरपीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 8/03/2024 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की दूसरी तिमाही के लिए टीपीडीडीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 26/02/2024 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिए एनडीएमसी की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 3/01/2024 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के लिए टीपीडीडीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 12/07/2023 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए एनडीएमसी की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 22/06/2023 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए बीवाईपीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 22/06/2023 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए बीआरपीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- आदेश दिनांक 22/06/2023 द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी तिमाही के लिए एनडीएमसी की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 7/06/2023 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही के लिए टीपीडीडीएल की स्वीकृत पीपीएसी।
- दिनांक 1/06/2023 के आदेश द्वारा वित्त वर्ष 2022–23 की पहली तिमाही के लिए एनडीएमसी की स्वीकृत पीपीएसी।

अन्य

- डीईआरसी (टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2017 में कठिनाई को दूर करना।

प्रमुख सांख्यिकीय जानकारी

2011 में दिल्ली की जिला–वार जनसंख्या'

जिला	जनसंख्या
उत्तर–पश्चिम	3656539
दक्षिण	2731929
पश्चिम	2543243
उत्तर–पूर्व	2241624
दक्षिण–पश्चिम	2292958
पूर्व	1709346
उत्तर	887978
मध्य	582320
नई दिल्ली	142004
कुल	**16787941**

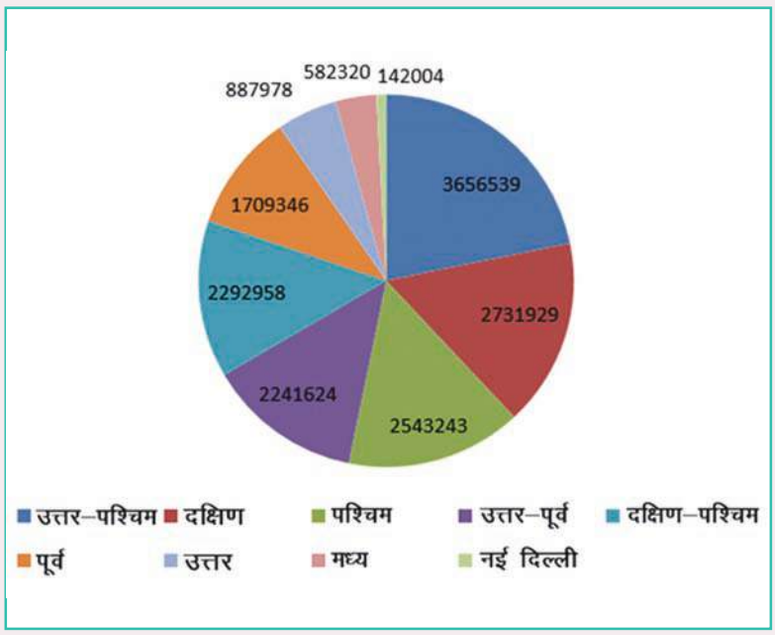

*अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रकाशित दिल्ली सांख्यिकीय हैंडबुक 2023 में निर्दिष्ट अनुसार

वित्तीय वर्ष 2023–24 में बिजली के उपभोक्ताओं की अनुमानित संख्या

वितरण लाइसेंसधारक	वित्तीय वर्ष 2023–2024	प्रतिशत(%)
बीआरपीएल	3077869	43%
बीवाईपीएल	1971266	28%
टीपीडीडीएल	2026104	28%
एनडीएमसी	56719	1%
कुल	**7131958**	**100%**

नोटः *डेटा डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है*

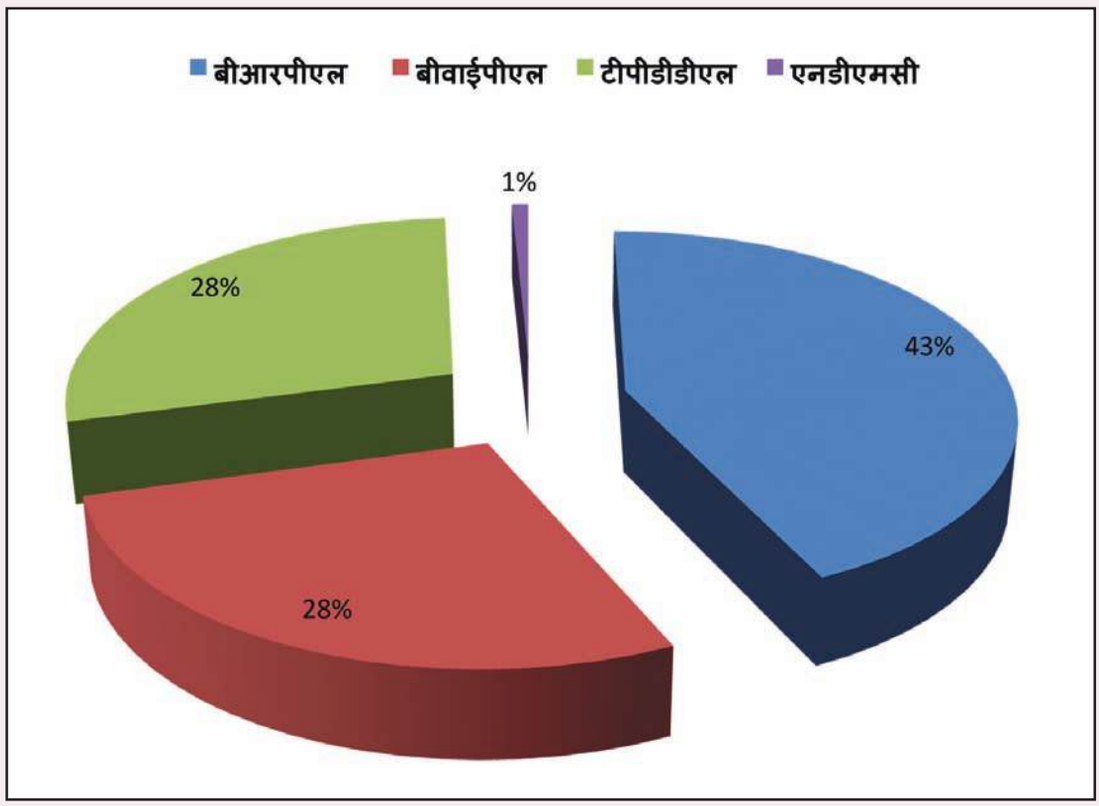

उपभोक्ताओं की अनुमानित उपभोक्ता–वार संख्या

उपभोक्ता श्रेणी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	कुल
घरेलू	2686882	1538162	1716311	38781	5980136
गैर–घरेलू	363837	418873	265869	16094	1064673
औद्योगिक	5469	7700	13769	2	26940
कृषि और मशरूम की खेती	6412	38	4179	0	10629
सार्वजनिक कंपनियां (दि.ज.बोर्ड एवं डीएमआरसी सहित)	11478	4568	6515	62	22623
डीआईएएल	2	0	0	0	2
अन्य	3789	1925	19461	1780	26955
कुल	**3077869**	**1971266**	**2026104**	**56719**	**7131958**

नोटः डेटा डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है

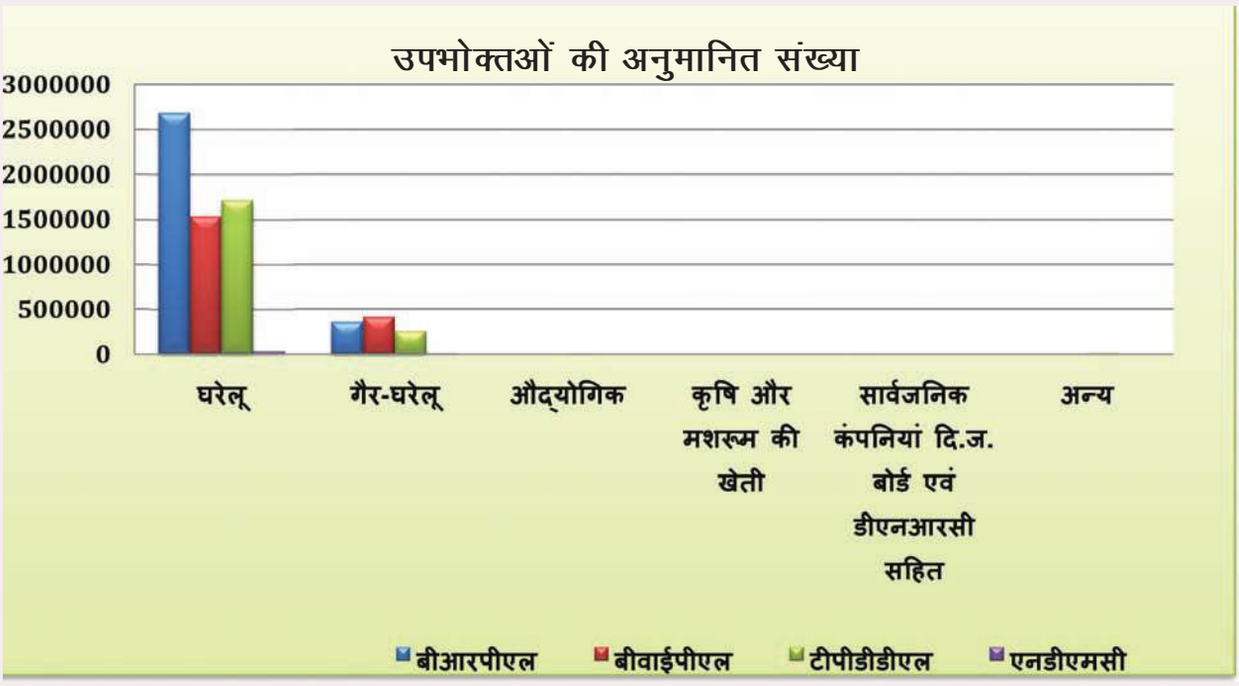

अनुमानित स्वीकृत भार (MW)

उपभोक्ता श्रेणी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	कुल
घरेलू	6904	3329	3728	206	14167
गैर–घरेलू	2617	1656	1811	619	6703
औद्योगिक	295	225	858	1	1379
कृषि और मशरूम की खेती	38	0	32	0	70
सार्वजनिक कंपनियां (दि.ज.बोर्ड एवं डीएमआरसी सहित)	337	187	227	2	753
डीआईएएल	51	0	0	0	51
अन्य	76	40	140	65	322
कुल	**10318**	**5437**	**6797**	**893**	**23446**

नोटः *डेटा डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है*

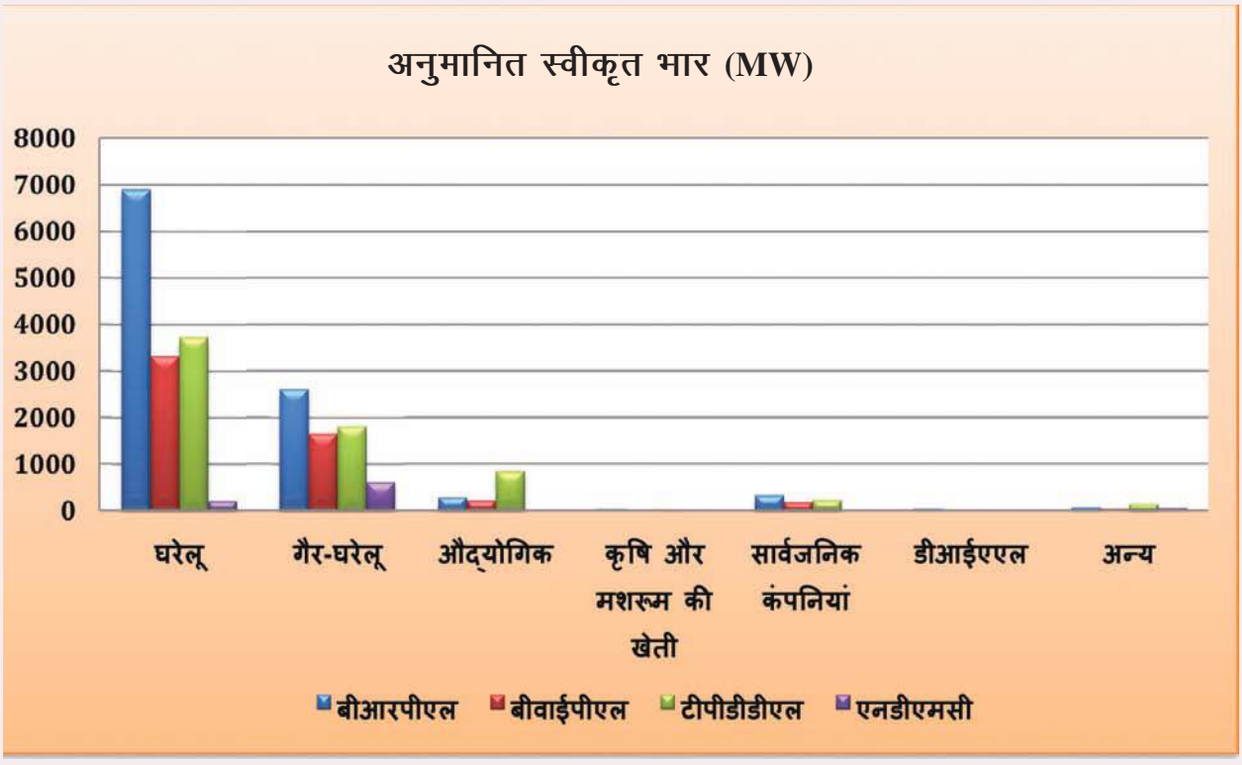

अनुमानित कुल बिक्री (MU में)

उपभोक्ता श्रेणी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	कुल
घरेलू	8438	4291	4873	325	17927
गैर–घरेलू	3292	1722	2437	926	8378
औद्योगिक	569	397	1944	1	2912
कृषि और मशरूम की खेती	24	0	16	0	40
सार्वजनिक कंपनियां (दि.ज.बोर्ड एवं डीएमआरसी सहित)	719	340	566	8	1634
डीआईएएल	22	0	0	0	22
अन्य	317	139	191	113	761
कुल	**13381**	**6890**	**10028**	**1374**	**31673**

नोटः डेटा डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है

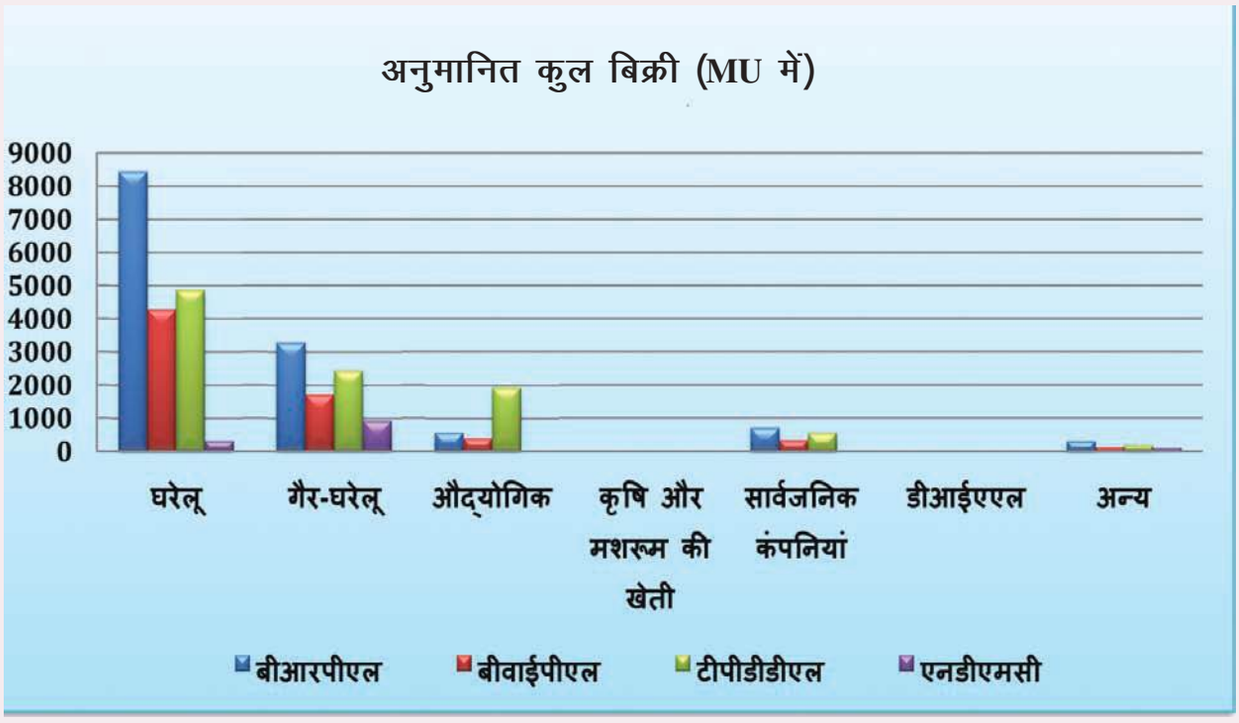

अनुमानित कुल राजस्व बिल (ई–टैक्स और सरचार्ज सहित) (रुपये करोड़ में)

उपभोक्ता श्रेणी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	कुल
घरेलू	5900	2865	3319	316	13424
गैर–घरेलू	5198	2868	4003	1340	12385
औद्योगिक	820	599	2711	1	4132
कृषि और मशरूम की खेती	14	0	12	0	26
सार्वजनिक कंपनियां (दि.ज.बोर्ड एवं डीएमआरसी सहित)	815	399	678	8	1900
डीआईएएल	56	0	0	0	56
अन्य	375	167	171	115	884
कुल राजस्व बिल	**13179**	**6898**	**10894**	**1780**	**32807**

नोटः *डेटा डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराया गया है*

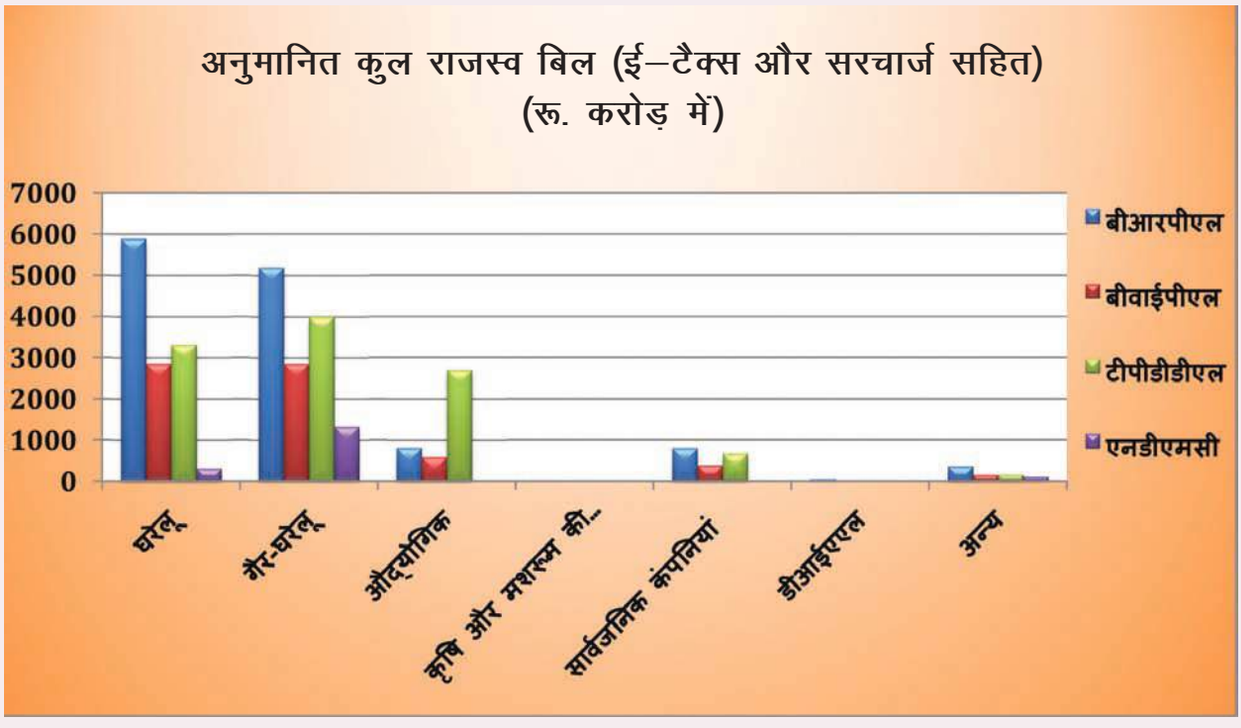

अनुमानित ई–टैक्स सहित औसत बिलिंग दर (रु./यूनिट) वित्तीय वर्ष 2023–2024

उपभोक्ता श्रेणी	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी
घरेलू	6.99	6.68	6.81	9.71
गैर–घरेलू	15.79	16.65	16.43	14.47
औद्योगिक	14.41	15.07	13.95	11.85
कृषि और मशरूम की खेती	5.87	5.36	7.31	0.00
सार्वजनिक कंपनियां (दि.ज.बोर्ड एवं डीएमआरसी सहित)	11.33	11.73	11.98	10.06
डीआईएएल	25.92	0.00	0.00	0.00
अन्य	11.82	12.03	8.94	10.18

स्रोतः गणना

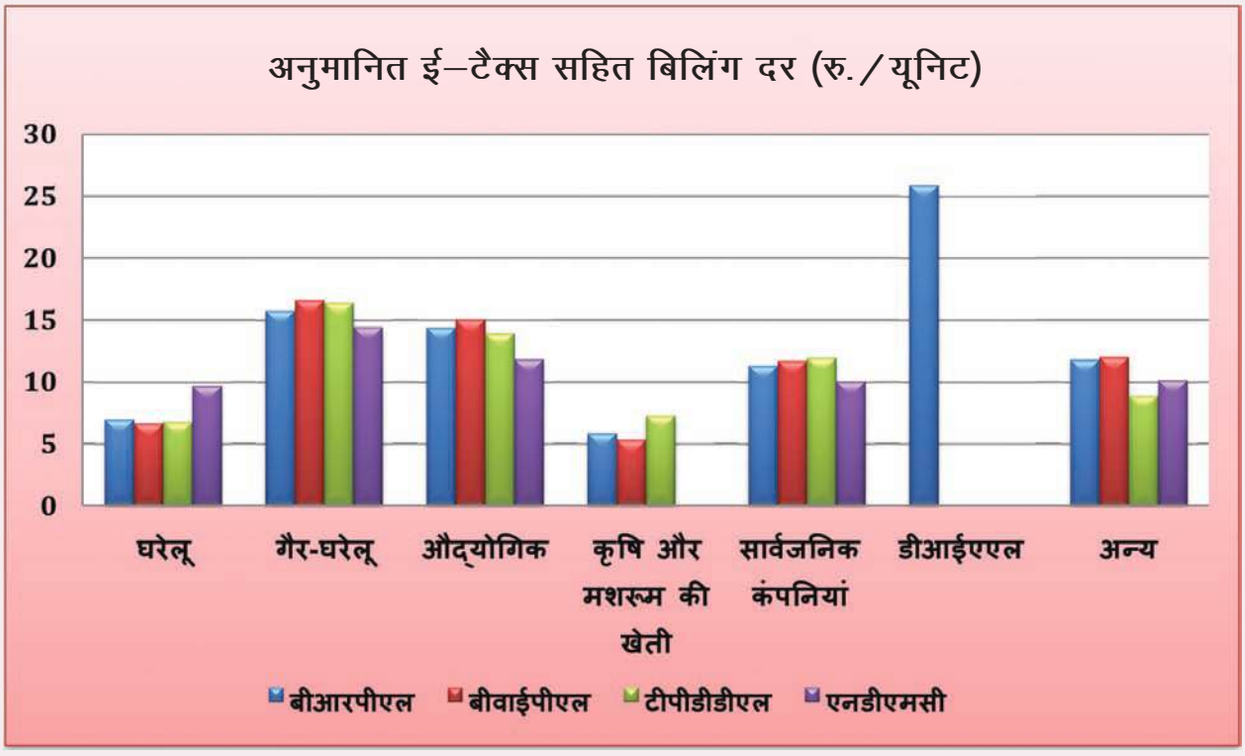

दिल्ली में पारेषण और वितरण प्रणाली (31.03.2024 तक)

क्र. सं.	मद	बीआरपीएल	बीवाईपीएल	टीपीडीडीएल	एनडीएमसी	कुल
1	पारेषण लाइनों की लंबाई (सीकेटी केएम)	1329.522	683.82	1229.93	–	**3243.272**
2	वितरण लाइनों की लंबाई (सीकेटी केएम) (11 केवी)	8919.934	3298.52	7625.49	–	**19843.944**
3	वितरण लाइनों की लंबाई (सीकेटी केएम) (एलटी)	14573	6038.68	7970.71	–	**28582.39**
4	विद्युत ट्रांस्फार्मरों की संख्या	285	170	219	–	**674**
5	ईएचवी क्षमता (एमवीए)	6848	3998.00	5315.50	–	**16161.5**
6	वितरण ट्रांस्फार्मरों की संख्या	39922	4049	30414	–	**74385**
7	वितरण ट्रांस्फार्मरों की क्षमता (एमवीए)	7107.498	3705.14	6586.63	–	**17399.268**

नोट – एनडीएमसी की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है

विद्युत उत्पादन

एमवाईटी विनियमों के ढांचे के अंतर्गत बिजली खरीद की मात्रा को एक बेकाबू घटक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बिजली खरीद की लागत के वितरण लाइसेंसधारी के कुल वार्षिक राजस्व आवश्यकता का प्रमुख घटक होने की वजह से, यह अति आवश्यक है कि बिजली की खरीद के खर्च का आकलन अत्यंत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। वितरण लाइसेंसधारी के लिए बिजली की खरीद की कुल मात्रा और लागत को निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र उत्पादन स्टेशन (सीएसजीएस), राज्य उत्पादन स्टेशन (एसजीएस), आदि सहित सभी स्रोतों से बिजली का विश्लेषण किया जाता है।

दिल्ली ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएचपीसी), टीहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी), सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों (सीएसजीएस) में मजबूती से हिस्सेदारी आवंटित की है।

दिल्ली स्टेशनों की क्षमता नीचे संक्षेप में दी गई है:

उत्पादन स्टेशन	**स्टेशन की क्षमता (MW)**
गैस टरबाइन पॉवर स्टेशन	210
प्रगति पॉवर स्टेशन –I	330
प्रगति पॉवर स्टेशन –III बवाना	1371.2
तिमारपुर ओखला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	16
दिल्ली एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशन्स लिमिटेड (डीएमएसडब्ल्यूएसएल)	24
ईस्ट दिल्ली वेस्ट प्रोसेसिंग कंपनी लिमिटेड (ईडीडब्ल्यूपीसीएल)	12
तेहखण्ड	25
कुल	**1988.2**

टैरिफ निर्धारण (वित्तीय वर्ष 2023–2024)

यह आयोग टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया को दो भागों में पूरा करता है:

i. पिछली अवधि के प्रदर्शन का ट्रू–अप और

ii. आगामी वर्ष के लिए एआरआर और टैरिफ निर्धारण का अनुमान।

एमवाईटी विनियम, 2011 (उत्पादन, पारेषण, वितरण) दिनांक 31.03.2017 को समाप्त हो गए थे और नए टैरिफ विनियम अर्थात् दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2017 दिनांक 01.04.2017 से लागू हो गए थे।

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए सभी वितरण, पारेषण और उत्पादन उपयोगिताओं के लिए टैरिफ आदेश और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए एआरआर उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न मामलों में मुद्दों के कार्यान्वयन में बाधाओं के कारण जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए टैरिफ आदेश के संबंध में, दिल्ली पावर यूटिलिटीज ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष डीईआरसी (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 को चुनौती दी है।

राज्य सलाहकार समिति

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 में निहित प्रावधानों के अनुसार आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) गठित की गई थी एवं निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एसएसी का आयोग को सलाह देना अनिवार्य कर दिया गया है:

क. नीति के प्रमुख सवाल;

ख. लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता, निरंतरता और सीमा से संबंधित मामले;

ग. लाइसेंसधारियों द्वारा अपने लाइसेंस की शर्तों और अनिवार्यताओं का अनुपालनः

घ. उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण; और

ङ. इकाइयों द्वारा विद्युत आपूर्ति और प्रदर्शन के समग्र मानक।

उपभोक्ता शिकायतों का निवारण

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) एवं 42 (6) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में डीईआरसी ने 'दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018 और इसका संशोधन प्रतिपादित किया है। इन विनियमों के अनुसार, प्रत्येक डिस्कॉम्स में एक उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) स्थापित किया गया था। प्रत्येक सीजीआरएफ में अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। इन पांच सदस्यों में से (अध्यक्ष सहित), एक सदस्य को कानूनी सदस्य और एक सदस्य को तकनीकी सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा।

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 42(6) के अंतर्गत विद्युत ओम्बुड्समैन संस्थान भी स्थापित किया गया है, जो सीजीआरएफ पर अपीलीय निकाय के रूप में कार्य करता है।

इस मंच के क्षेत्राधिकार और कार्यवाहियां'

1. मंच के क्षेत्राधिकार

(1) मंच के पास वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई शिकायतों पर विचार करने और आवश्यक समझे जाने वाले आदेश और निर्देश देने का अधिकार होगा।

(2) यह मंच केवल उन शिकायतों पर विचार करेगा जहां शिकायतकर्ता ने समय–समय पर एसओपी विनियमों में शिकायत से निपटने की प्रक्रिया में निर्दिष्ट वितरण लाइसेंसधारी के उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क किया है और लाइसेंसधारी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है या इसमें निर्धारित समय के भीतर लाइसेंसधारी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला हो:

प्रावधान है कि किसी भी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत से निपटने की प्रक्रिया के तहत उपाय समाप्त होनेकी तारीख से तीन महीने के भीतर मंच के समक्ष कोई शिकायत दायर नहीं की जाती:

आगे प्रावधान है कि यह मंच, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसी शिकायत पर विचार कर सकता है जो पूर्वोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

2. मंच के क्षेत्राधिकार की सीमा

(1) यह मंच किसी ऐसी शिकायत पर विचार नहीं करेगा यदि वह उसी स्थिति से संबंधित है जिसके लिए किसी भी अदालत, प्राधिकरण या किसी अन्य मंच के समक्ष कोई कार्यवाही लंबित है या जिस पर किसी सक्षम न्यायालय, प्राधिकरण या मंच द्वारा पहले ही कोई न्यायिक निर्णय, पंच निर्णय या कोई अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है।

(2) यह मंच अधिनियम की धारा 126, 127, 135 से 139, 142, 152 और 161 के अंतर्गत आने वाली शिकायतों पर विचार नहीं करेगा।

(3) उपरोक्त उप–विनियमन (1) और (2) के अधीन, किसी शिकायत को किसी भी चरण पर मंच द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि शिकायतकर्ता को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है।

3. <u>शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>

(1) इस मंच के समक्ष प्रत्येक शिकायत, आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में, लिखित रूप में मंच के सचिव को प्रस्तुत की जाएगीः

प्रावधान है कि जहां कोई शिकायतकर्ता अनुमोदित प्रारूप में शिकायत दर्ज करने में असमर्थ होता है तो मंच, शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने में सभी प्रकार की उचित सहायता प्रदान करेगा।

(2) शिकायतों को या तो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर सेवा/ईमेल/फैक्स के जरिए भेजा जा सकता है।

(3) वितरण लाइसेंसधारी, अपनी वेबसाइट पर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शिकायतों को दाखिल करने के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप अपलोड करेगा।

(4) इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत की गई ऐसी सभी शिकायतों के सभी संलग्नक स्कैन प्रारूप में जमा किए जाएंगे।

(5) शिकायतकर्ता सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ, लाइसेंसधारी से प्राप्त प्रतिक्रिया यदि कोई हो, की एक प्रति संलग्न करेगा।

(6) यह मंच शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेगा।

4. <u>इस मंच की शिकायत निपटाने की प्रक्रिया</u>

(1) शिकायत प्राप्त होने पर, सचिव या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे मंच द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, शिकायत पर अपना दिनांकित आद्याक्षर के साथ अनुमोदन देगा और शिकायतकर्ता को सात (7) दिनों के भीतर शिकायत की प्राप्ति की प्राप्ति–सूचना भेज देगा।

(2) प्राप्त शिकायतें प्रत्येक वर्ष के लिए पंजीकृत और क्रमिक रूप से दर्ज की जाएंगी, और उन्हें सी. जी. सं. 1/2018, 2/2018, ...,1/2019, 2/2019, ... और इसी क्रम में संदर्भित किया जाएगा।

(3) शिकायत प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर, उसकी एक प्रति वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निर्दिष्ट नोडल अधिकारी को समाधान या लिखित रूप में अपना उत्तर दर्ज करने के लिए भेजी जाएगी।

(4) वितरण लाइसेंसधारी मंच से प्राप्त सूचना के पंद्रह (15) दिनों के भीतर या निर्देशित अन्य समय के भीतर, शिकायत पर अपनी मुद्दा–आधारित टिप्पणियों को, एक प्रति उपभोक्ता को देते हुए मंच के समक्ष प्रस्तुत करेगा और यदि वितरण लाइसेंसधारी ऐसी टिप्पणी प्रदान करने में विफल रहता है तो मंच रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर आगे बढ़ सकता है।

(5) यह मंच वितरण लाइसेंसधारी और शिकायतकर्ता, दोनों को लिखित रूप में शिकायत की सुनवाई की तारीख के बारे में पर्याप्त अग्रिम सूचना, कम से कम पांच (5) दिन पहले भेजेगा।

(6) उपभोक्ता, वितरण लाइसेंसधारी या कोई भी अन्य व्यक्ति, जो मंच के समक्ष किसी भी कार्यवाही में पक्ष के रूप में शामिल है, या तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकता है या किसी भी व्यक्ति को मंच के समक्ष अपने मामले को पेश करने के लिए अधिकृत कर सकता है, जो इस उद्देश्य के लिए सभी या किसी भी कृत्य को कर सकता है।

(7) जहां कोई भी व्यक्ति, जो कार्यवाही करने के लिए एक पक्ष हो, यदि लगातार दो या अधिक अवसरों पर, सुनवाई की निर्धारित तारीख पर मंच के समक्ष प्रस्तुत होने में विफल रहता है, तो मंच शिकायत पर एकतरफा निर्णय ले सकता है:

प्रावधान है कि जब तक पर्याप्त कारण न हो, मंच द्वारा सामान्य रूप से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, और स्थगन प्रदान करने के कारणों को मंच द्वारा लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।

(8) यह मंच, वितरण लाइसेंसधारी या शिकायतकर्ता से शिकायत की सुनवाई, जांच और निपटान के लिए किसी भी रिकॉर्ड या सूचना की मांग कर सकता है, और इस तरह की जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड प्रदान करने का दायित्व पक्षों का होगा:

प्रावधान है कि यदि कोई पक्ष इस तरह की जानकारी, दस्तावेज या रिकार्ड प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है और मंच इस बात से संतुष्ट है कि रिकॉर्ड को रखने के बावजूद पक्ष जानबूझकर इसे रोक रहा है, तो इसके लिए प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

(9) वितरण लाइसेंसधारी या अन्य रूप से टिप्पणी प्राप्त होने पर और ऐसी जांच या स्थानीय निरीक्षण करने के बाद जैसाकि मंच आवश्यक समझे, और पार्टियों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, मंच शिकायत दर्ज करने के 60 दिनों की अवधि के भीतर शिकायत के निपटान के लिए उचित आदेश पारित करेगा:

प्रावधान है कि यदि साठ (60) दिनों की अवधि के पूरा होने के बाद मंच का आदेश पारित किया गया है, तो मंच को इसके लिए लिखित कारण दर्ज करना होगा।

(10) इस मंच की कार्यवाही और निर्णय(यों) रिकॉर्ड किए जाएंगे और तर्क आधारित होंगे।

(11) इस मंच के लिए गणपूर्ति की संख्या तीन होगी और प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और वोटों

की समानता की स्थिति में, मंच के अध्यक्ष या अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करते हुए मंच के सबसे वरिष्ठ सदस्य, जैसाकि मामला हो, का मत निर्णायक होगा।

(12) आदेश की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, मंच के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि, लिखित रूप में संबंधित पक्षों को वितरित की जाएगी।

(13) यह मंच, आयोग द्वारा इस संबंध में बनाए गए विनियमन के अधीन, अगर मामले की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानता है तो शिकायतकर्ता को मुआवजा दिला सकता है।

(14) यह मंच, शिकायत के निपटारे के दौरान, शिकायत पर अंतिम निर्णय लंबित रहने की स्थिति में, उपभोक्ता के अनुरोध पर, किसी भी चरण पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझता है:

प्रावधान है कि जहां यह स्पष्ट होता है कि अंतरिम आदेश पारित करने में देरी से उद्देश्य अन्यथा विफल हो जाएगा, कोई भी अंतरिम आदेश विपरीत पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(15) यह मंच, कार्यवाही के किसी भी चरण पर पार्टियों में कोई समझौता होने के मामले में किसी भी शिकायत का निपटारा कर सकता है।

(16) यह मंच, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम 5) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा और इन विनियमों के अधीन, यह मंच निष्पक्षता के सिद्धांतों और अपने कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए स्वाभाविक न्याय के अनुरूप प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

(17) इस मंच के आदेशों से असंतुष्ट कोई भी शिकायतकर्ता ओम्बुड्समैन के सामने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है:

परन्तु उप–विनियमन (16) के तहत जारी किए गए आदेश के खिलाफ ओम्बुड्समैन के समक्ष अभ्यावेदन का कोई अधिकार नहीं होगा।

5. <u>रिक्तियां, आदि की स्थिति में कार्यवाही का अमान्य न होना</u>

विनियम 15 (11) के अधीन केवल किसी रिक्ति या उपयुक्त मंच के गठन में दोष के अस्तित्व के आधार पर मंच के किसी कार्य या कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जाएगा या उसे अमान्य नहीं किया जाएगा।

6. <u>तर्कसंगत आदेश</u>

(1) मंच द्वारा पारित आदेश में होगा –

(क) मुद्दा–वार निर्णय;

(ख) पारित आदेश के तर्क;

(ग) वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के लिए कोई निर्देश, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त कोई अन्य आदेश, यदि कोई हो, तथा

(घ) एसओपी विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट मुआवजे के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश।

(2) पक्षों के बीच होने वाले समझौते के आधार पर अंतिम आदेश पारित किए जाने के कारण दर्ज किए जाएंगे:

परन्तु पक्षों के बीच हुए निपटारे को हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) इस मंच द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश तर्कसंगत आदेश होगा और यह कार्यवाही करने वाले सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होगा:

परन्तु जहां किसी भी बिंदु या बिंदुओं पर सदस्यों में मतभेद है, वहां बहुमत की राय मंच का आदेश होगा। हालांकि, अल्पमत की राय दर्ज की जाएगी और आदेश का एक हिस्सा बनेगी:

परन्तु हर आदेश के साथ, यह मंच शिकायतकर्ता को ओम्बुड्समैन का संपर्क विवरण और ओम्बुड्समैन के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा को सूचित करेगा।

(4) इन विनियमों में उल्लिखित ओम्बुड्समैन के समक्ष एक अभ्यावेदन के अधिकार के अधीन, मंच का आदेश अंतिम होगा।

7. <u>प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति</u>

किसी भी व्यक्ति को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर और मंच द्वारा निर्देशित ऐसे अन्य नियमों का पालन करने के बाद, मंच के आदेशों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8. <u>समीक्षा का अधिकार</u>

(1) कोई भी व्यक्ति, ऐसी नई और महत्वपूर्ण बातों या सबूत का पता चलने के बाद, जो पर्याप्त परिश्रम करने के बाद, आदेश पारित होने तक उसकी जानकारी में नहीं थे या जिन्हें उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका या रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट गलती या त्रुटि के कारण, जैसा भी मामला हो, आदेश की तिथि के तीस (30) दिनों के भीतर, इस मंच के समक्ष समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसी समीक्षा के लिए आवेदन में उस मामले या सबूत के बारे में, जो कि पर्याप्त परिश्रम करने

के बाद, आदेश पारित होने तक उसकी जानकारी में नहीं थे या जिन्हें उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट गलती या त्रुटि के कारण थे, स्पष्ट रूप से बताना होगा। इस आवेदन के साथ जैसाकि यह मंच निर्धारित करे, ऐसे दस्तावेजों, पुष्टिकारक डेटा और बयानों को संलग्न किया जाएगा।

(3) जब मंच को ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, मंच ऐसी समीक्षा के आवेदन को अस्वीकार कर देगाः

परन्तु कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया हो।

(4) जब मंच की राय हो कि समीक्षा करने के आवेदन को स्वीकार किया जाना चाहिए, तो परंतु विरोधी पक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना, जिससे उसे सुनवाई में उपस्थित होने और उस आदेश के समर्थन में कहने का सामर्थ्य मिल सके, जिसकी समीक्षा के लिए आवेदन किया गया है, किसी भी तरह के आवेदन को स्वीकृति प्रदान नहीं की जाएगी।

'नोटः (स्रोतः दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018 का अध्याय – III)

ओम्बुड्समैन की कार्यवाही और अधिकार#

9. <u>ओम्बुड्समैन के अधिकार और कर्तव्य</u>

(1) मंच के किसी भी आदेश से पीड़ित शिकायतकर्ता से अभ्यावेदन प्राप्त करना और इस तरह के अभ्यावेदन पर विचार करना और इन विनियमों के अनुसार आदेश पारित करके वितरण लाइसेंसधारी और उपभोक्ता के बीच सुलह और मध्यस्थता के माध्यम से अनुबंध द्वारा संतुष्टि या निपटान की सुविधा प्रदान करना;

(2) इन नियमों के तहत मंच के लिए उपलब्ध सभी शक्तियों का इस्तेमाल करना और ऐसे कार्यों का निर्वहन करना जैसाकि आयोग समय–समय पर निर्देशित या निर्दिष्ट कर सकता है।

(3) उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के संबंध में आयोग को सलाह देना।

(4) ओम्बुड्समैन, मंच या किसी अन्य इच्छुक पार्टी को सुनकर, यदि, समय–समय पर, इन नियमों के तहत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए मंच को ऐसे आदेश, या निर्देश जारी कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त मानता है।

10. ओम्बुड्समैन के समक्ष अभ्यावेदन दाखिल करना

(1) कोई भी शिकायतकर्ता, जो मंच, द्वारा अपनी शिकायत का निवारण न करने से व्यथित हो, मंच का निर्णय प्राप्त होने के एक (1) महीने के भीतर खुद या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में ओम्बुड्समैन के समक्ष अभ्यावेदन कर सकता है:

प्रावधान है कि ओम्बुड्समैन एक (1) महीने के बाद किए गए अभ्यावेदन को स्वीकार कर सकता है, यदि वह व्यक्ति देर से अभ्यावेदन देने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए कि उसके पास एक (1) माह की पूर्व अवधि के भीतर अभ्यावेदन दाखिल नहीं कर पाने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

(2) वितरण लाइसेंसधारी और ओम्बुड्समैन, अपनी वेबसाइट पर, आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप को अपलोड करेंगे।

(3) ओम्बुड्समैन किसी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं करेगा:

(i) जब तक कि शिकायतकर्ता ने उसे निर्दिष्ट प्रारूप में ओम्बुड्समैन को प्रस्तुत नहीं किया है;

(ii) जब तक कि ओम्बुड्समैन को यह न दिखाया गया हो कि (क) मंच ने शिकायत का निवारण नहीं किया है, या (ख) मंच ने मंच द्वारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से दो (2) महीनों की अधिकतम अवधि के भीतर इसके निवारण के लिए प्राप्त शिकायत पर कोई आदेश पारित नहीं किया हो:

प्रावधान है कि शिकायतकर्ता उन मामलों में सीधे ओम्बुड्समैन से संपर्क कर सकता है जहां आयोग ने उन्हें ऐसा करने के लिए निर्देश दिया है।

(iii) जब तक कि इन विनियमों में निर्धारित अवधि के भीतर मंच के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन नहीं किया गया हो;

(iv) जब तक कि ओम्बुड्समैन संतुष्ट नहीं होते हैं कि अभ्यावेदन उस विषय–वस्तु के संबंध में नहीं है जिसे शिकायतकर्ता द्वारा पहले ही निपटा लिया गया है;

(v) जहां शिकायतकर्ता द्वारा उसी शिकायत के संबंध में अभ्यावेदन किया गया हो, जिसकी किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य प्राधिकरण में कोई कार्यवाही लंबित है या किसी अदालत, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ या प्राधिकारी द्वारा पहले ही डिक्री या फैसला या अंतिम आदेश दिया गया हो;

(vi) जब तक शिकायतकर्ता ने, डीडी के माध्यम से या आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित तरीके से उस राशि के एक तिहाई के बराबर राशि, जमा नहीं की हो, जिसका मंच के आदेश के अनुसार उसे लाइसेंसधारी को भुगतान करना आवश्यक है और इस तरह जमा की गई राशि के दस्तावेजी प्रमाण अभ्यावेदन के साथ संलग्न हैं।

11. ओम्बुड्समैन की कार्यवाहियां

(1) कोई अभ्यावेदन प्राप्त होने के सात (7) दिनों के भीतर, सचिव द्वारा शिकायतकर्ता को एक पावती भेजी जाएगी।

(2) प्राप्त अभ्यावेदनों को प्रत्येक वर्ष के लिए पंजीकृत और क्रमशः क्रमांकित किया जाएगा, तथा उन्हें सी.जी. सं. 1/2018, 2/2018, ..., 1/2019, 2/2019, ... और इसी क्रम में संदर्भित किया जाएगा।

(3) पंजीकरण के सात (7) दिनों के भीतर, ओम्बुड्समैन संबंधित मंच से अभ्यावेदन के संबंध में अभिलेख मंगाएंगे।

(4) संबंधित मंच इस तरह की नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर सभी अभिलेख ओम्बुड्समैन के कार्यालय में भेज देगा।

(5) ओम्बुड्समैन, इस मामले की सुनवाई के लिए ऐसा स्थान, जगह, दिनांक और समय का निर्धारण कर सकते हैं, जिसे वह उचित मानते हैं।

(6) ओम्बुड्समैन, कम से कम सात (7) दिनों की पर्याप्त अग्रिम सूचना देकर वितरण लाइसेंसधारी और आवेदक को लिखित में सुनवाई की तारीख सूचित करेंगे जिन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

परन्तु वरिष्ठ नागरिकों, शारीरिक रूप से विकलांग, विधवा और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों जैसे आवेदकों द्वारा दर्ज अभ्यावेदनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इनका निपटान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

(7) कोई उपभोक्ता, वितरण लाइसेंसधारी या कोई अन्य व्यक्ति जो ओम्बुड्समैन के समक्ष किसी भी कार्यवाही के लिए पक्ष है, या तो व्यक्ति रूप से उपस्थित हो सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को अपना मामला ओम्बुड्समैन के समक्ष पेश करने और इस उद्देश्य के लिए सभी या किसी भी कार्य को करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

(8) जहां कोई व्यक्ति जो कार्यवाही के लिए एक पक्ष रहा है, ओम्बुड्समैन की सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, और लगातार दो (2) से अधिक मौकों पर ऐसा करता है, तो ओम्बुड्समैन शिकायत पर एकतरफा निर्णय ले सकते हैं:

प्रावधान है कि आमतौर पर ओम्बुड्समैन द्वारा कोई स्थगन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा, जब इसके लिए पर्याप्त कारण न दिखाया गया हो और स्थगन प्रदान करने के कारणों को ओम्बुड्समैन द्वारा लिखित रूप में दर्ज नहीं किया गया है।

(9) ओम्बुड्समैन किसी भी चरण पर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकते हैं यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यावेदन है:

(i) तुच्छ, निंदनीय, दुर्भावनापूर्ण;

(ii) बिना किसी पर्याप्त कारण के;

(iii) उपभोक्ता की वजह से कोई प्रथम दृष्टया हानि या क्षति या असुविधा नहीं है; या

(iv) प्रकृति में जटिल है जैसेकि अभ्यावेदन करने के लिए विस्तृत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों और कार्यवाही पर विचार करने की आवश्यकता है, और ओम्बुड्समैन का ऐसे अभ्यावेदनों का फैसला लेना उपयुक्त नहीं हैं:

परन्तु इस संबंध में ओम्बुड्समैन का निर्णय उपभोक्ता और वितरण लाइसेंसधारी पर अंतिम और बाध्यकारी होगा:

परन्तु आवेदक को सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता है, तब तक कोई भी अभ्यावेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(10) ओम्बुड्समैन पक्षों की बातें सुन सकते हैं और उन्हें इस मामले में लिखित बयान जमा करने का निर्देश दे सकते हैं।

(11) ओम्बुड्समैन अपने लिखित आदेश में अपने सभी निष्कर्षों और निर्णयों के कारण बताएंगे।

(12) ओम्बुड्समैन यथाशीघ्र एक निर्णय प्रदान करेंगे, लेकिन यह अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन (3) महीने के बाद नहीं होगा:

परन्तु जहां एक अभ्यावेदन के निपटान में तीन (3) महीने की अवधि से अधिक देर हुई हो, ओम्बुड्समैन ऐसी देरी के कारणों को दर्ज करेंगे।

(13) ओम्बुड्समैन द्वारा पारित आदेश निम्न को निर्धारित करेगा–

(i) मुद्दा–वार निर्णय;

(ii) पारित आदेश के तर्क;

(iii) वितरण लाइसेंसधारी या उपभोक्ता के लिए कोई निर्देश, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त कोई अन्य आदेश, यदि कोई हो, और

(iv) एसओपी विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट मुआवजे के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश।

(14) उप–विनियमन (12) के उपर्युक्त उपबंधों के बावजूद, ओम्बुड्समैन अभ्यावेदन के उचित निर्णय पर अंतिम फैसला लंबित होने के दौरान, किसी भी चरण में अभ्यावेदन के निपटान के दौरान उपभोक्ता के अनुरोध पर ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझते हैं:

परन्तु जहां यह प्रकट होता है कि अंतरिम आदेश पारित करने का उद्देश्य देरी की वजह से विफल हो जाएगा, वहां कोई भी अंतरिम आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि विपरीत पक्ष को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है।

(15) आदेश या निर्णय की एक प्रमाणित प्रति, आदेश की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर पक्षों को भेज दी जाएंगी। आदेश की एक प्रति सूचना के लिए संबंधित मंच को भी भेजी जा सकती है।

12. <u>अंतिम निर्णय</u>

ओम्बुड्समैन का आदेश अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

13. <u>मंच के मामलों को प्रति–प्रेषण का अधिकार</u>

(1) जहां इस मंच ने शिकायत का निपटारा किया है और मंच के आदेश को ओम्बुड्समैन के समक्ष की गई कार्यवाही में बदल दिया गया है, ओम्बुड्समैन, यदि उचित और जरूरी मानते हैं, तो शिकायत पर अपना आदेश मंच को पुनः प्रेषित कर सकते हैं।

(2) ओम्बुड्समैन, आगे यह भी निर्देश दे सकते हैं कि पुनःप्रेषित शिकायत में किस मुद्दे या किन मुद्दों का निर्णय लिया जाएगा, और अपने फैसले की एक प्रतिलिपि मंच को भेज देंगे, जिसके आदेश पर ओम्बुड्समैन से अभ्यावेदन दिया गया है, जैसे शिकायत पर विचार करना एवं तद्नुसार आदेश देना।

14. <u>समीक्षा का अधिकार</u>

(1) ओम्बुड्समैन के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसी नई और महत्वपूर्ण बातों या सबूत का पता चलने के बाद, जो पर्याप्त परिश्रम करने के बाद, आदेश पारित होने तक उनकी जानकारी में नहीं थे या जिन्हें रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट गलती या त्रुटि के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका, आदेश की तिथि के तीस (30) दिनों के भीतर, जैसा भी मामला हो, ओम्बुड्समैन से इस मामले की समीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) ऐसी समीक्षा के लिए आवेदन में उस मामले या सबूत के बारे में, जो कि पर्याप्त परिश्रम करने के बाद, आदेश पारित होने तक उसकी जानकारी में नहीं थे या जिन्हें उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सका था या रिकॉर्ड में किसी स्पष्ट गलती या त्रुटि के कारण थे, स्पष्ट रूप से बताना होगा। इस आवेदन के साथ जैसाकि ओम्बुड्समैन निर्धारित करें, ऐसे दस्तावेजों, पुष्टिकारक डेटा और बयानों को संलग्न किया जाएगा।

(3) जब ओम्बुड्समैन को ऐसा प्रतीत होता है कि समीक्षा के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो ओम्बुड्समैन समीक्षा के ऐसे आवेदन को अस्वीकार करेंगे:

प्रावधान है कि कोई आवेदन तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है।

(4) ऐसी स्थिति में जबकि ओम्बुड्समैन का मानना है कि समीक्षा करने के लिए आवेदन दिया जाना चाहिए, तो यह उसकी स्वीकृति प्रदान करेंगे, परंतु पक्षों को बिना पूर्व सूचना दिए इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ताकि विरोधी पक्ष को सुनवाई में उपस्थित होने और जिस आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन किया गया है उसकी सुनवाई में अपना पक्ष रखने का अवसर मिल सके।

15. **सूचना की मांग का अधिकार**

अपने कर्तव्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, ओम्बुड्समैन को विनियम (15) के उप–विनियम (8) के अंतर्गत रिकॉर्ड या जानकारी की मांग करने का वही अधिकार होगा जो मंच को उपलब्ध है।

#नोट: (स्रोत: दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच और ओम्बुड्समैन) विनियम, 2018 का अध्याय ट)

शिकायतों का निपटारा

(31.3.2024 तक के संचयी आंकड़े)

सीजीआरएफ–बीआरपीएल

कुल प्राप्त	कुल निपटाई गईं	लंबित	शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णित	वितरण कंपनी के पक्ष में निर्णित	अस्वीकृत / खारिज / छोड़ी गई शिकायतें	जुर्माना लगाने के लिए डीईआरसी को सिफारिश की गई
7641	7634	7	5940	1694	0	14

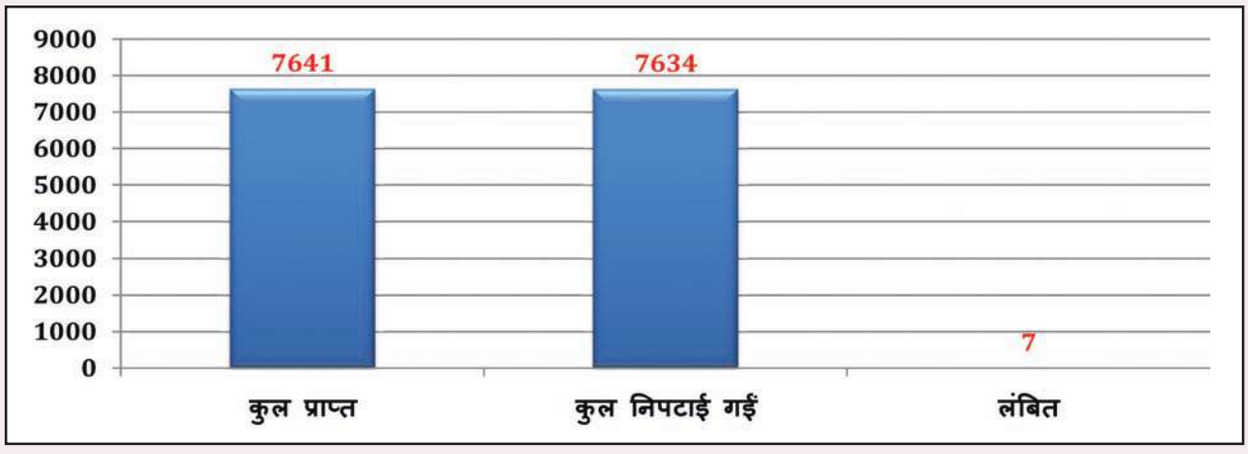

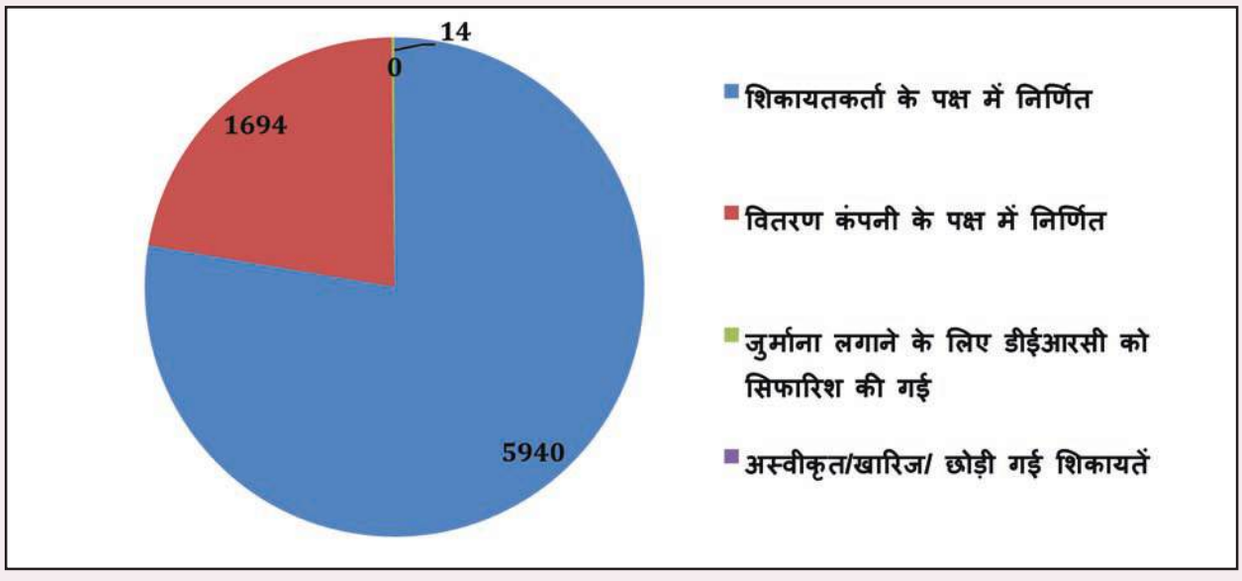

सीजीआरएफ–बीआरपीएल

	शिकायतों के प्रकार	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गईं शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
क	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी	5636	5635	1
ख	नए कनेक्शन, विच्छेदन और पुनःकनेक्शन के अनुमोदन में देरी	1298	1293	5
ग	पंजीकृत उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	205	205	0
घ	गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र का विद्युतीकरण	35	35	0
ड़	स्ट्रीट लाइटें	95	95	0
च	अक्सर कटौती	118	118	0
छ	भार (लोड) में वृद्धि और भार (लोड) में कमी	152	151	1
ज	एकीकृत परिसर	4	4	0
झ	सीजीआरएफ द्वारा यथास्थिति	2	2	0
ञ	अन्य	96	96	0
	कुल	**7641**	**7634**	**7**

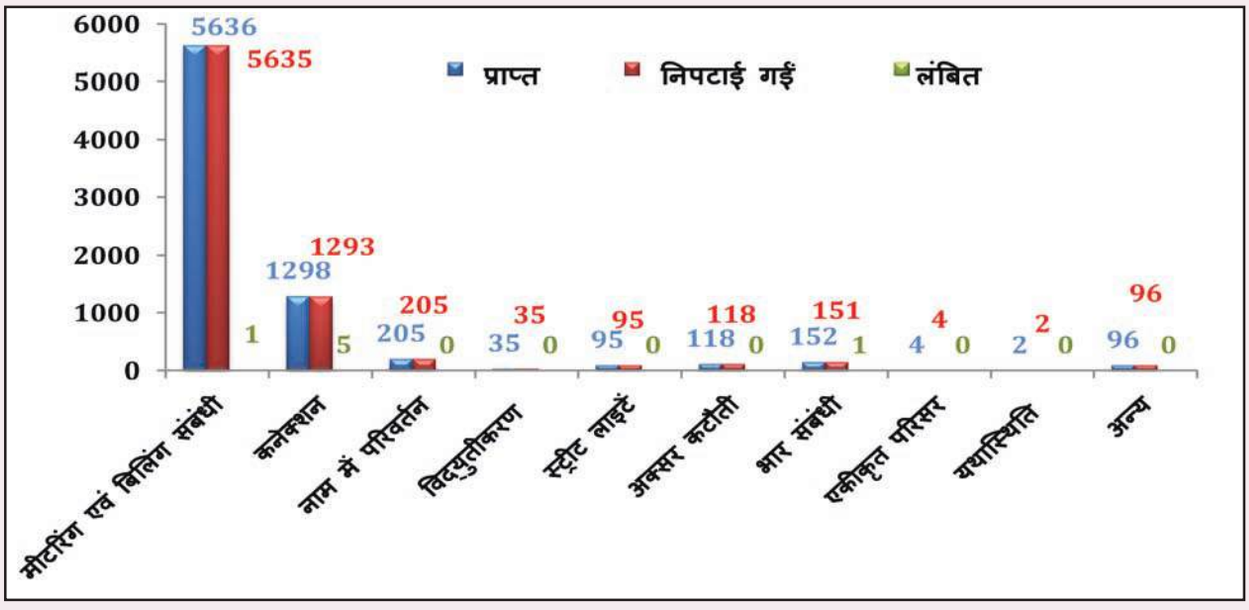

सीजीआरएफ–बीवाईपीएल

कुल प्राप्त	कुल निपटाई गईं	लंबित	शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णित	वितरण कंपनी के पक्ष में निर्णित	अस्वीकृत/ खारिज/ छोड़ी गई शिकायतें/ स्वीकार नहीं की गईं	डीईआरसी से जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की गईं
4660	4503	157	3524	779	163	0

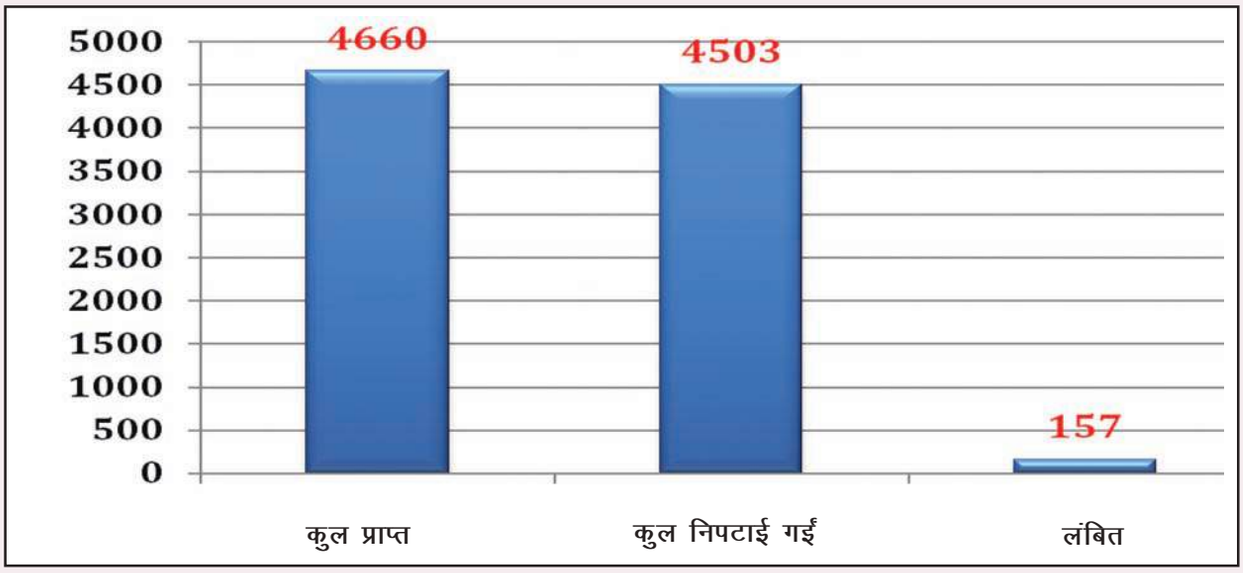

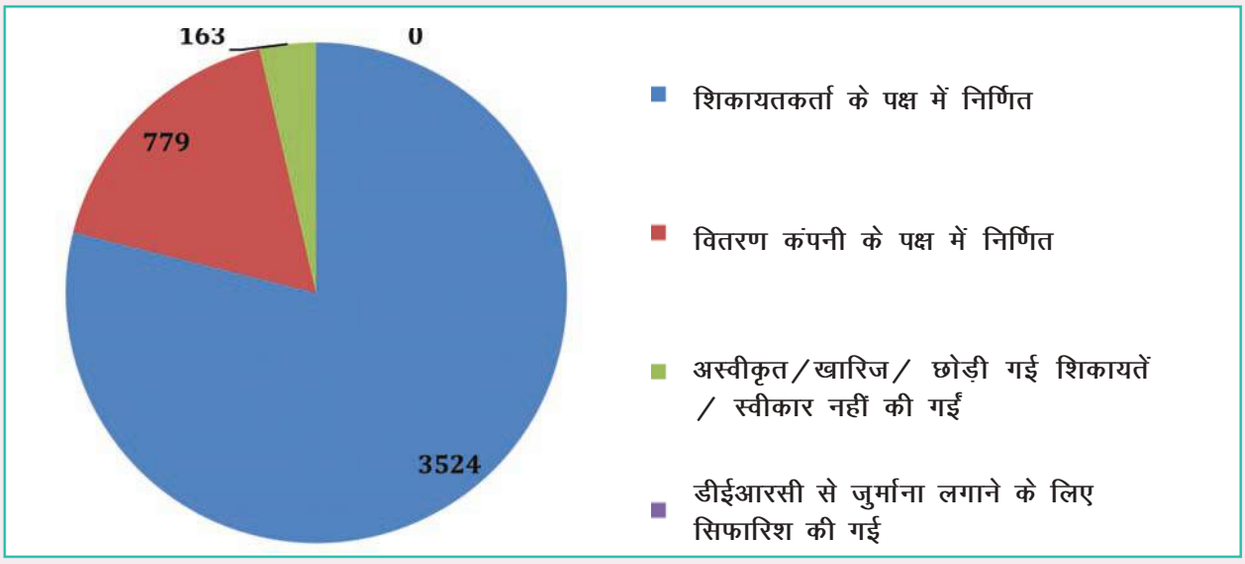

सीजीआरएफ– बीवाईपीएल

	शिकायतों के प्रकार	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
क	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी	2455	2427	28
ख	नए कनेक्शन, विच्छेदन और पुनःकनेक्शन के अनुमोदन में देरी	1798	1672	126
ग	पंजीकृत उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	54	54	0
घ	गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र का विद्युतीकरण	0	0	0
ड़	स्ट्रीट लाइटें	3	3	0
च	अक्सर कटौती/लोड शेडिंग	8	8	0
छ	भार (लोड) में वृद्धि और भार (लोड) में कमी	82	81	1
ज	एकीकृत परिसर	1	1	0
झ	सीजीआरएफ द्वारा यथास्थिति	0	0	0
ञ	अन्य	259	257	2
	कुल	**4660**	**4503**	**157**

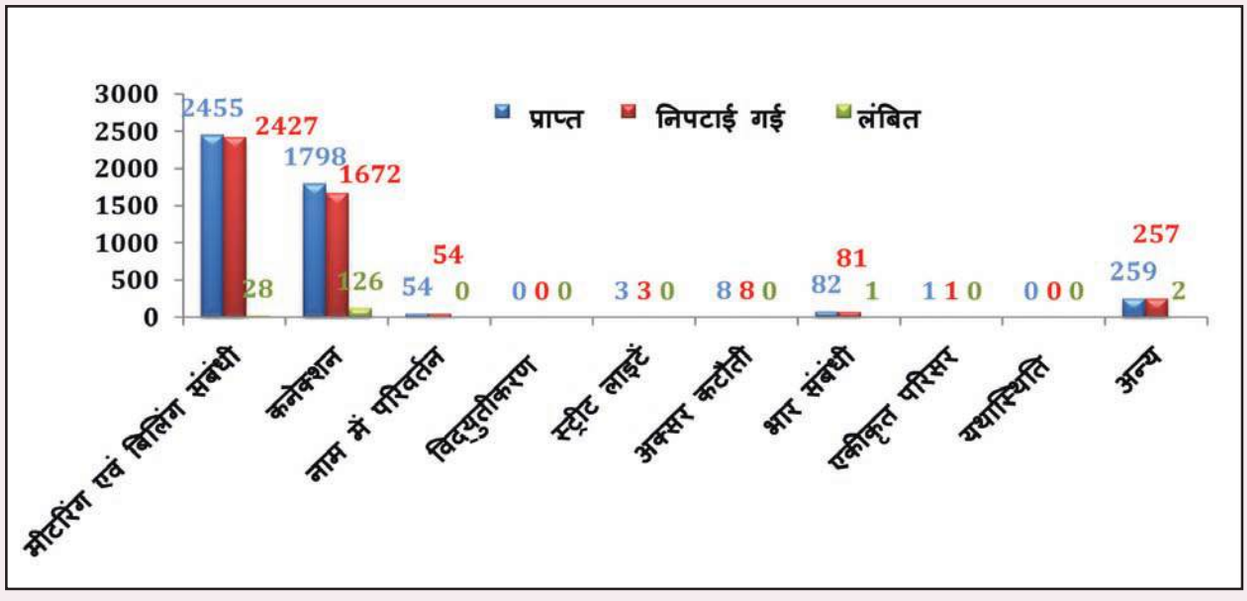

सीजीआरएफ– टीपीडीडीएल

कुल प्राप्त	कुल निपटाई गईं	लंबित	शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णित	वितरण कंपनी के पक्ष में निर्णित	डीईआरसी से जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की गईं	अस्वीकृत/ खारिज/ छोड़ी गई शिकायतें
8700	8673	27	6551	2122	7	0

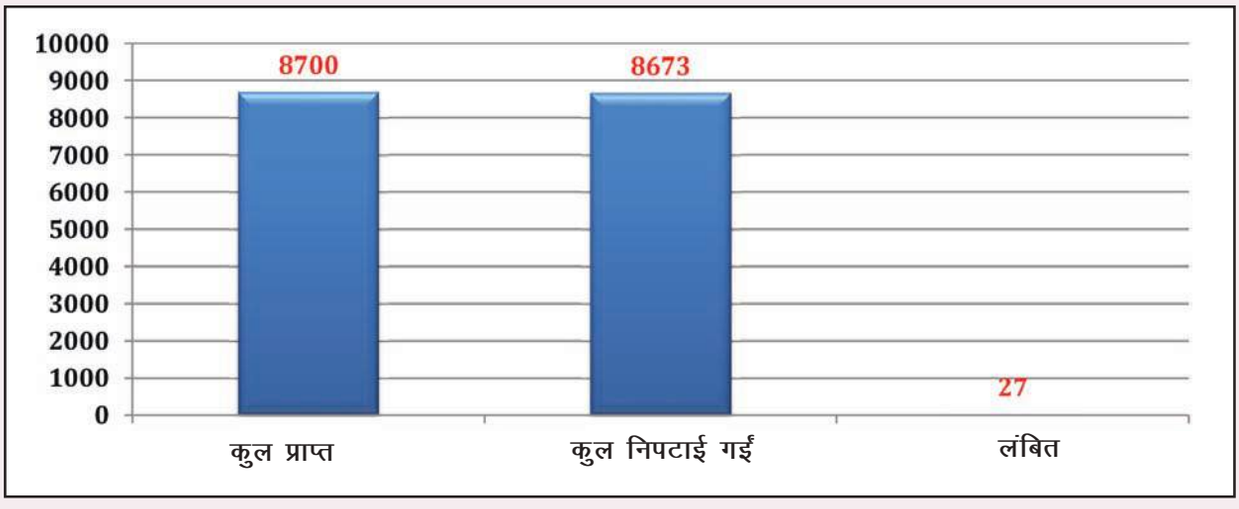

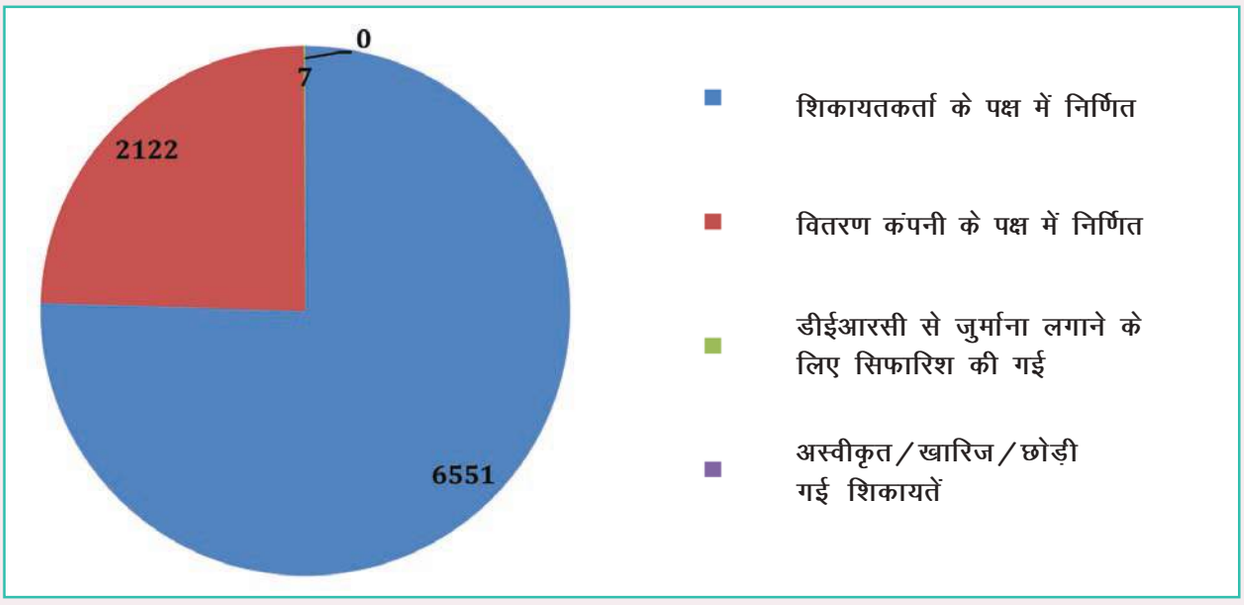

सीजीआरएफ– टीपीडीडीएल

	शिकायतों के प्रकार	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
क	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी	4809	4795	14
ख	नए कनेक्शन, विच्छेदन और पुनःकनेक्शन के अनुमोदन में देरी	3389	3377	12
ग	पंजीकृत उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	168	167	1
घ	गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र का विद्युतीकरण	2	2	0
ड़	स्ट्रीटलाइटें	45	45	0
च	अक्सर कटौती/लोड शेडिंग	32	32	0
छ	भार (लोड) में वृद्धि और भार (लोड) में कमी	255	255	0
ज	एकीकृत परिसर	0	0	0
झ	सीजीआरएफ द्वारा यथास्थिति	0	0	0
ञ	अन्य	0	0	0
	कुल	**8700**	**8673**	**27**

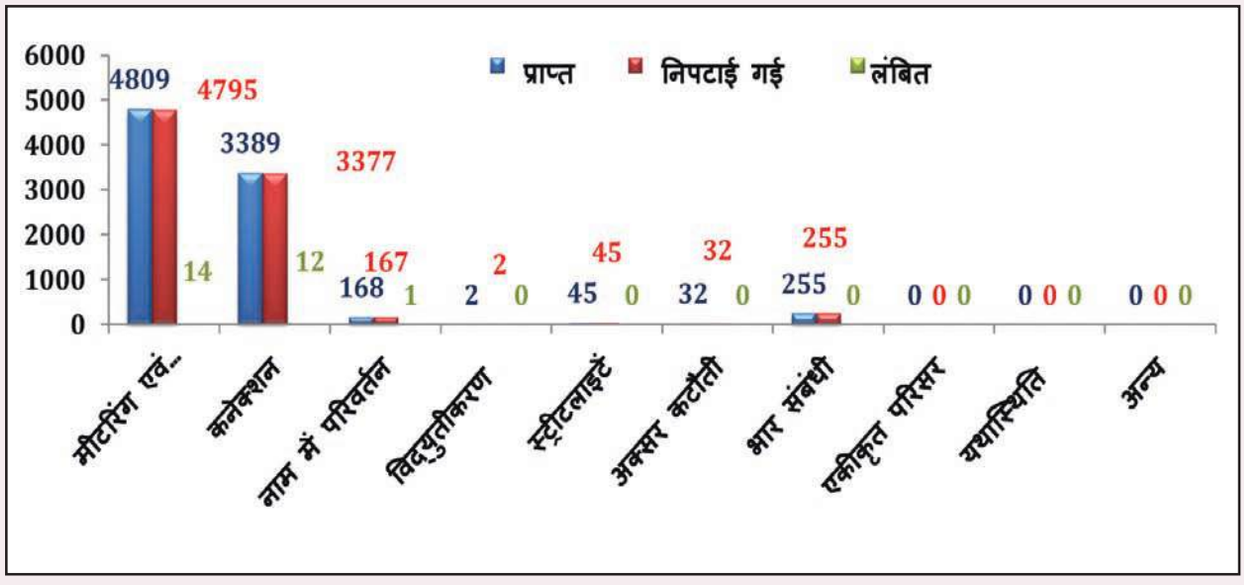

सीजीआरएफ–एनडीएमसी

कुल प्राप्त	कुल निपटाई गईं	लंबित	शिकायतकर्ता के पक्ष में निर्णित	वितरण कपंनी के पक्ष में निर्णित	डीईआरसी से जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की गई	अस्वीकृत/खारिज/छोड़ी गई शिकायतें
152	150	02	119	28	0	03

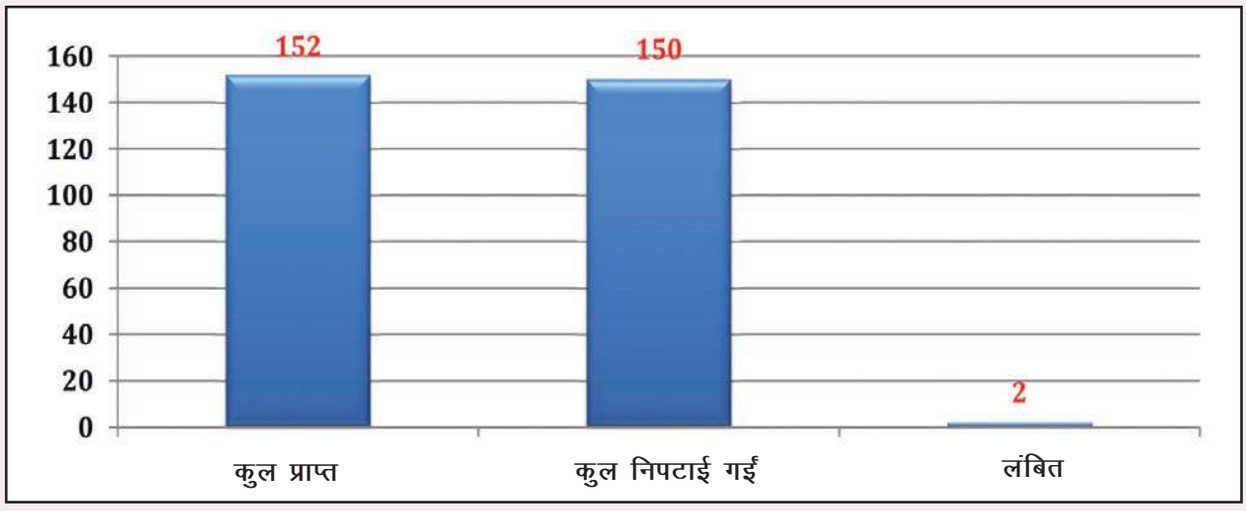

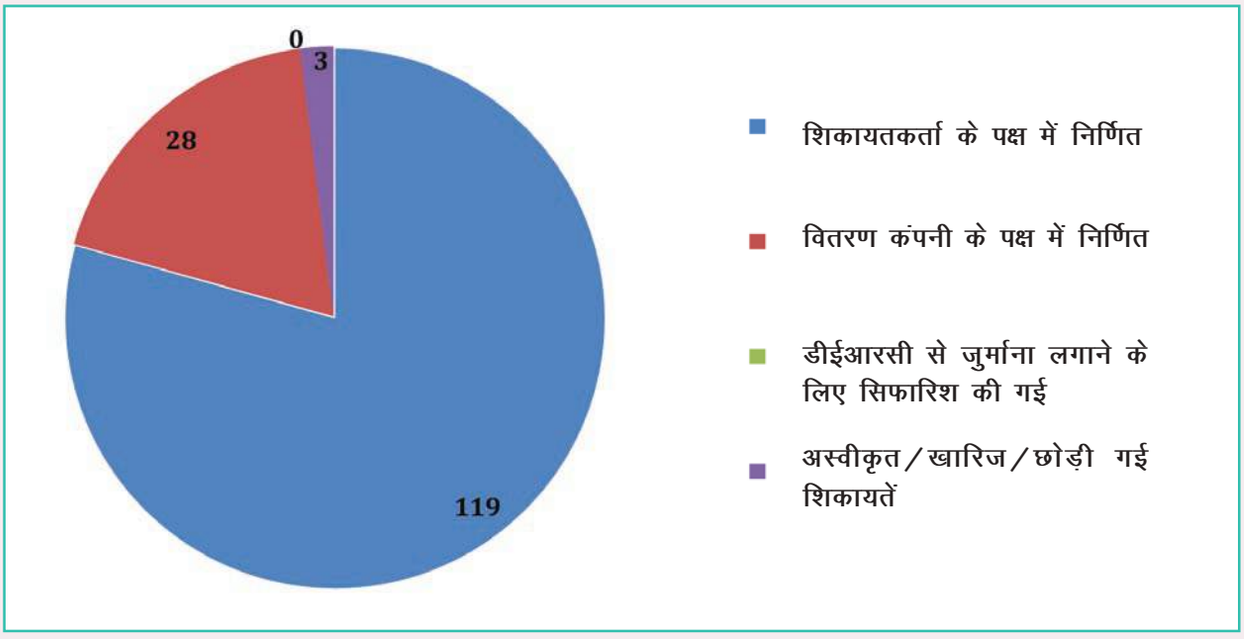

सीजीआरएफ–एनडीएमसी

	शिकायतों के प्रकार	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या
क	मीटरिंग एवं बिलिंग संबंधी	113	111	02
ख	नए कनेक्शन, विच्छेदन और पुनःकनेक्शन के अनुमोदन में देरी	15	15	0
ग	पंजीकृत उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	01	01	0
घ	गैर–विद्युतीकृत क्षेत्र का विद्युतीकरण	0	0	0
ड़	स्ट्रीटलाइटें	01	01	0
च	अक्सर कटौती	02	02	0
छ	भार (लोड) में वृद्धि और भार (लोड) में कमी	05	05	0
ज	एकीकृत परिसर	0	0	0
झ	सीजीआरएफ द्वारा यथास्थिति	0	0	0
ञ	अन्य	15	15	0
	कुल	**152**	**150**	**02**

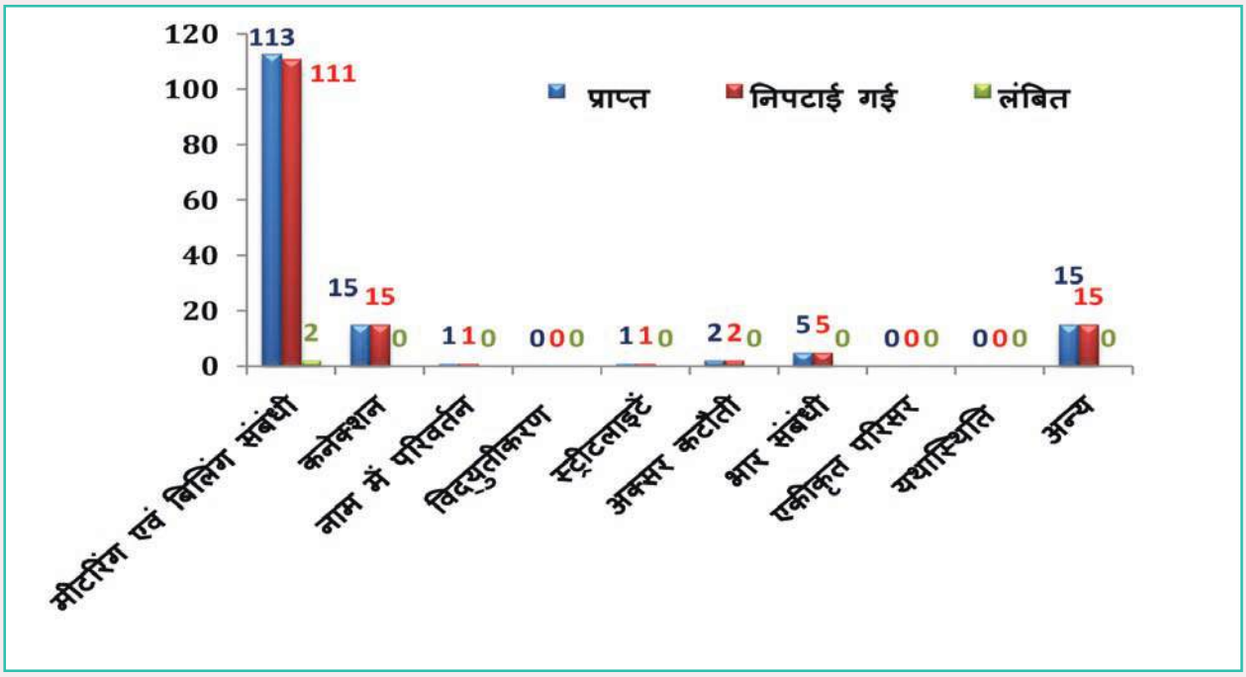

विद्युत ओम्बुड्समैन

कुल प्राप्त	कुल निपटाई गईं	लंबित	अपीलकर्ता के पक्ष में निर्णित	वितरण कंपनी के पक्ष में निर्णित	अन्य	डीईआरसी से जुर्माना लगाने के लिए सिफारिश की गई	ईओ द्वारा दिए गए मुआवजे
1048	1041	07	561	337	143	05	145

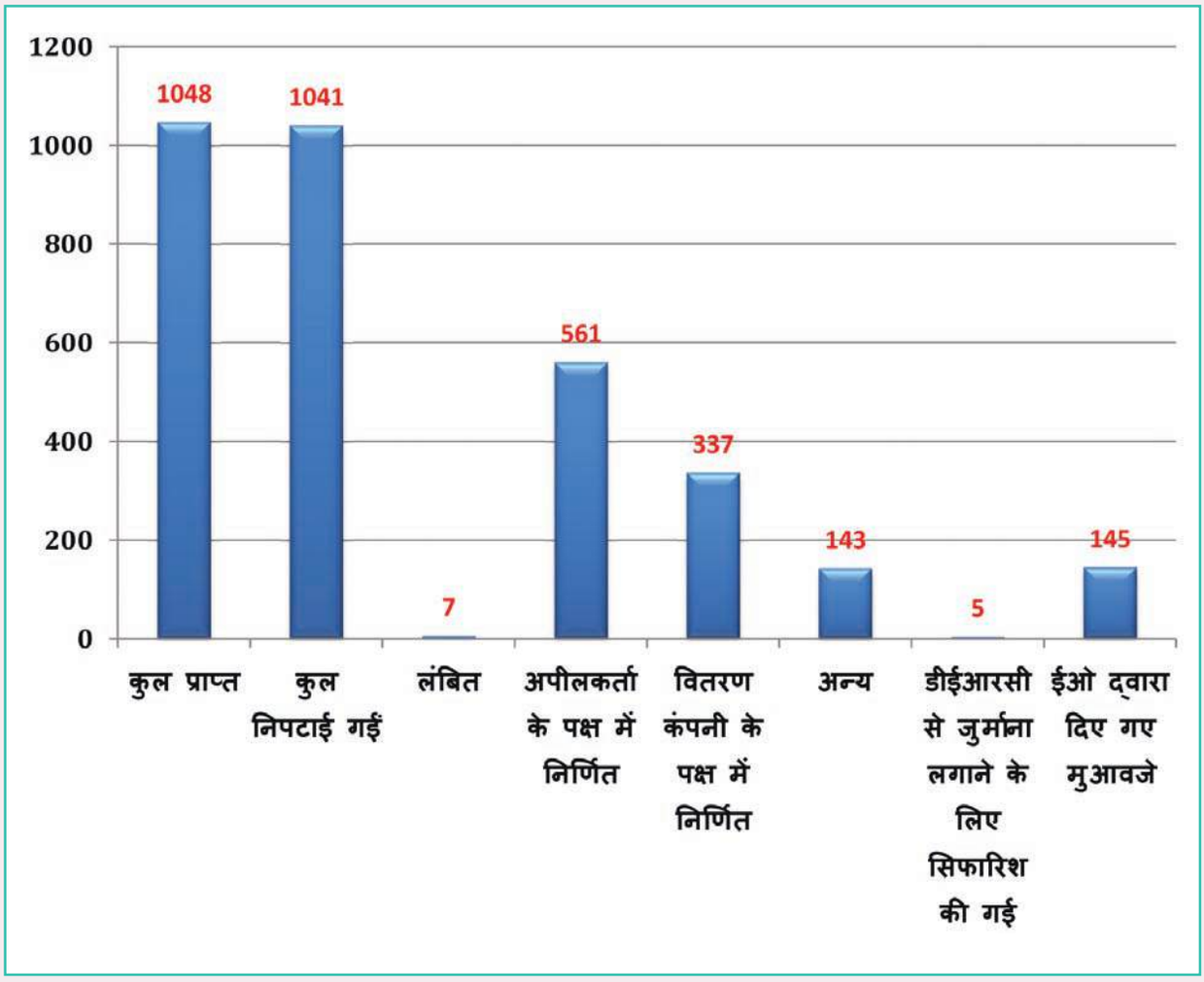

उपभोक्ता सहायता

वितरण लाइसेंसधारियों ने उपभोक्ता संबंधित शिकायतों को प्राप्त और समाधान करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना की है। उपभोक्ताओं के संतुष्ट न होने की स्थिति में वे विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वितरण कंपनी में स्थापित, उपयुक्त उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। हालांकि, अपनी शिकायतों के निवारण की मांग के साथ सीधे आयोग से संपर्क करने वाले उपभोक्ताओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान के लिए, आयोग ने उप निदेशक स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ की स्थापना की है। उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ उपयुक्त एजेंसियों के साथ इन शिकायतों का समाधान/निवारण भी करता है।

शिकायतें जो विविध/डुप्लिकेट प्रतियों/जानकारी हेतु/सामान्य प्रकृति/ईमेल/पीजीएमएस/सीपीजीआरएएमएस/आदि के लिए प्राप्त हुईं

क्र. सं.	संबंधित	शिकायतों की संख्या
1	बीआरपीएल	186
2	बीवाईपीएल	137
3	टीपीडीडीएल	90
4	एनडीएमसी	01
5	सामान्य	447
6	ईमेल / विविध	2614
7	लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस)	99
8	केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)	02
	कुल	**3576**

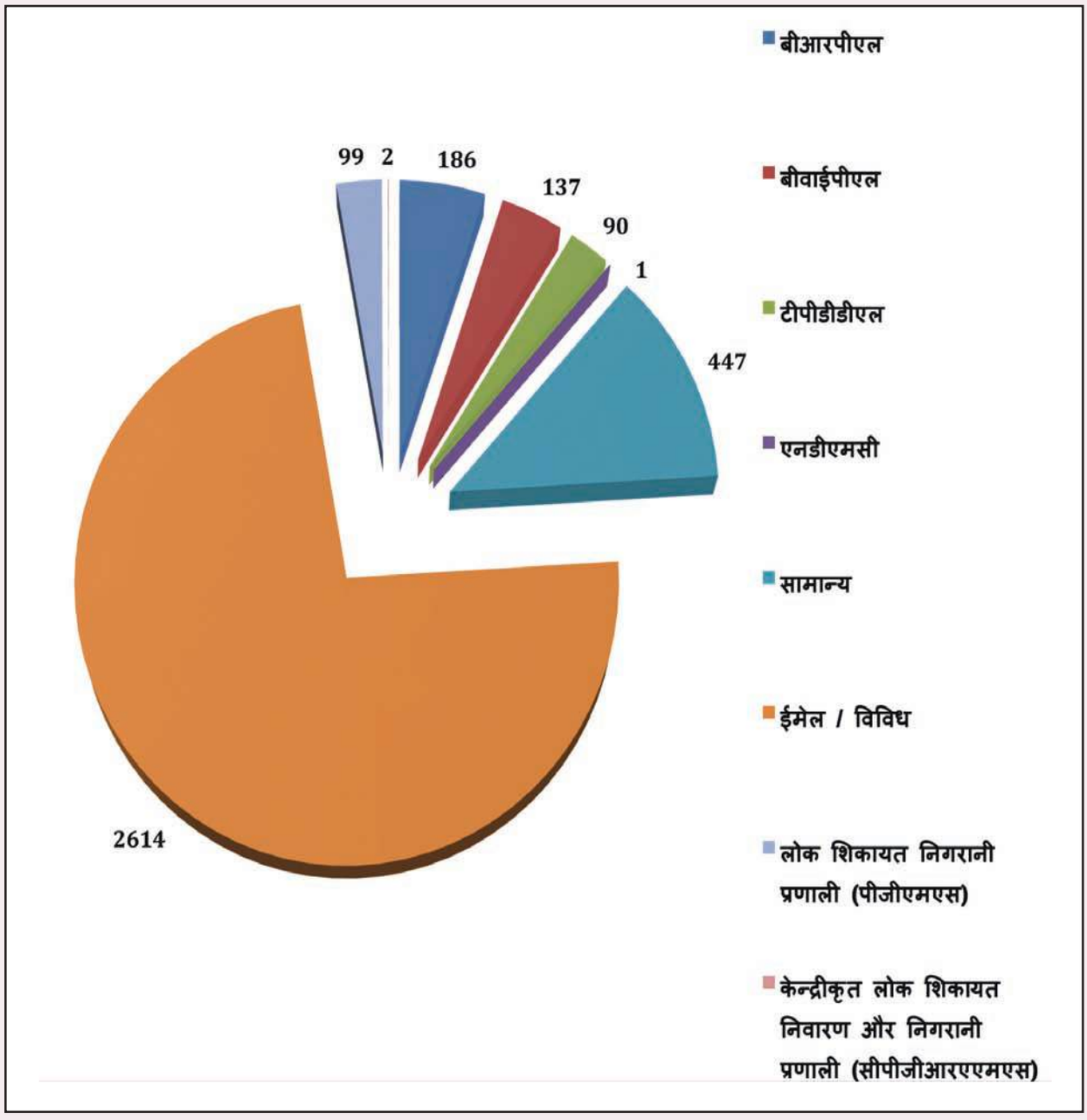
बीआरपीएल
बीवाईपीएल
टीपीडीडीएल
एनडीएमसी
सामान्य
ईमेल / विविध
लोक शिकायत निगरानी प्रणाली (पीजीएमएस)
केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)
99
2
186
137
90
1
447
2614

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गतिविधियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में निहित प्रावधानों और समय–समय पर उसमें किए गए संशोधन के अनुसार, आयोग ने उनके संबंधित कार्यों का निर्वहन करने के लिए जन सूचना अधिकारी (पीआईओ), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। जनादेश के अनुसार, निम्नलिखित गतिविधियां भी आरंभ की गईं।

1. आयोग की वेबसाइट और रा.रा.क्षे.दि.सरकार के आरटीआई सेल की वेबसाइट पर अधिनियम में निर्दिष्ट 17 आरटीआई मैनुअल (हर महीने) का मसौदा तैयार करना और अद्यतन करना।
2. केंद्रीय सूचना आयोग की आवधिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।
3. ऐसे सभी मामलों में, जहां आवेदकों ने सीआईसी से सुनवाई नोटिस के प्राप्त होने पर सीआईसी में अपील दायर की है, एक व्यापक उत्तर तैयार किया जाता है (सभी प्रासंगिक संचार की प्रतियां संलग्न कर) और सचिव के अनुमोदन के साथ सीआईसी के पास भेजा जाता है।
4. संबंधित मामलों में सीआईसी द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार अनुपालन कार्रवाई की गई।

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत, आयोग के जनसूचना अधिकारी को सूचना मांगने के 422 आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को 45 अपीलें प्राप्त हुईं थी। सभी आवेदनों और अपीलों को आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर निपटाया गया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक लेखा विवरण

राजस्व प्राप्तियां

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान निम्नलिखित शीर्षवार ब्यौरे के अनुसार आयोग की राजस्व प्राप्तियां रु.14,25,31,606/– थीं:

(रूपये में)

क	लाइसेंस शुल्क	13,66,63,239/–
ख	प्रसंस्करण शुल्क	54,08,000/–
ग	किताबों /फार्मों की बिक्री से प्राप्ति	7,479/–
घ	जुर्माना	55,000/–
ड़	आरटीआई, अधिनियम 2005 के तहत प्राप्तियां	1,196/–
च	अन्य प्राप्तियां	19,000/–
छ	स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	3,77,692/–

उपरोक्त के अलावा वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान डीईआरसी द्वारा प्राप्त अनुदान सहायता पर ब्याज के रूप में रू. 7,02,301/– की राजस्व प्राप्ति राशि अर्जित की गई।

प्रधान लेखा कार्यालय की पत्र सं. पीआर. ए.पी./मिस./12/2001/टी–II/2459, दिनांकित 04.12.2001 के माध्यम से लेखा महानियंत्रक के कार्यालय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस आयोग के व्यय के लिए राजस्व प्राप्तियों का उपयोग नहीं किया गया है। पूरी राजस्व प्राप्तियों को, ब्याज सहित, जब और जैसे प्राप्त, नियमित रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रेषित किया गया था।

वार्षिक लेखा

आयोग का वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2023–24, डीईआरसी नियम (लेखा रखरखाव), 2009 की आवश्यकता अनुसार तैयार किया गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.11/(129)/2003/पॉवर/499 द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन वार्षिक खातों का ऑडिट पीएजी (ऑडिट) दिल्ली के कार्यालय द्वारा किए जाने के बाद वार्षिक खातों को ऑडिट रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रस्तुत किया जाएगा। यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है।

मानव संसाधन

दिनांक 31.03.2024 को डीईआरसी में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण

	पद	वेतनमान (7वें सीपीसी में)	अनुमोदित पद	भरे गए पद
1	सचिव	स्तर –14 (रू. 144200–218200)	1	1
2	कार्यकारी निदेशक	स्तर –14 (रू.144200–218200)	3	3
3	संयुक्त निदेशक	स्तर –13 (रू.123100–215900)	5	4
4	सलाहकार (वित्त)	स्तर –13 (रू.123100–215900)	1	1
5	संयुक्त सचिव	स्तर –11 (रू.67700–208700)	1	1
6	उप निदेशक	स्तर –11 (रू.67700–208700)	10	8
7	प्रधान निजी सचिव	स्तर –11 (रू.67700–208700)	3	2
8	सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी)	स्तर –10 (रू.56100–177500)	1	1
9	उप सचिव	स्तर –10 (रू.56100–177500)	1	1
10	कार्मिक अधिकारी	स्तर –8 (रू.47600–151100)	1	1
11	सहायक लेखा अधिकारी	स्तर –8 (रू.47600–151100)	1	1
12	निजी सचिव	स्तर –8 (रू.47600–151100)	1	1
13	कनिष्ठ विधि अधिकारी	स्तर –8 (रू.47600–151100)	2	2
14	निजी सहायक	स्तर –7 (रू.44900–142400)	9	9
15	आशु लिपिक–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर(07 नग)/कार्यकारी सहायक(02 नग)	स्तर –7 (रू.44900–142400)	9	7
16	खजांची	स्तर –5 (रू.29200–92300)	1	1
17	केयरटेकर	स्तर –5 (रू.29200–92300)	1	1

	पद	वेतनमान	अनुमोदित पद	भरे गए पद
18	लिपिक–सह–कंप्यूटर ऑपरेटर	स्तर –7 (रू.44900–142400) स्तर –4 (रू.25500–81100)	1 3	1 3
19	स्वागती	स्तर –4 (रू.25500–81100)	1	1
20	लोवर डिविजन क्लर्क	स्तर –2 (रू.19900–63200)	1	1
21	डायरी लेखक– सह– प्रेषक	स्तर –2 (रू.19900–63200)	1	1
22	परिचालक	स्तर –5 (रू.29200–92300)	4	4
		स्तर –4 (रू.25500–81100)	3	3

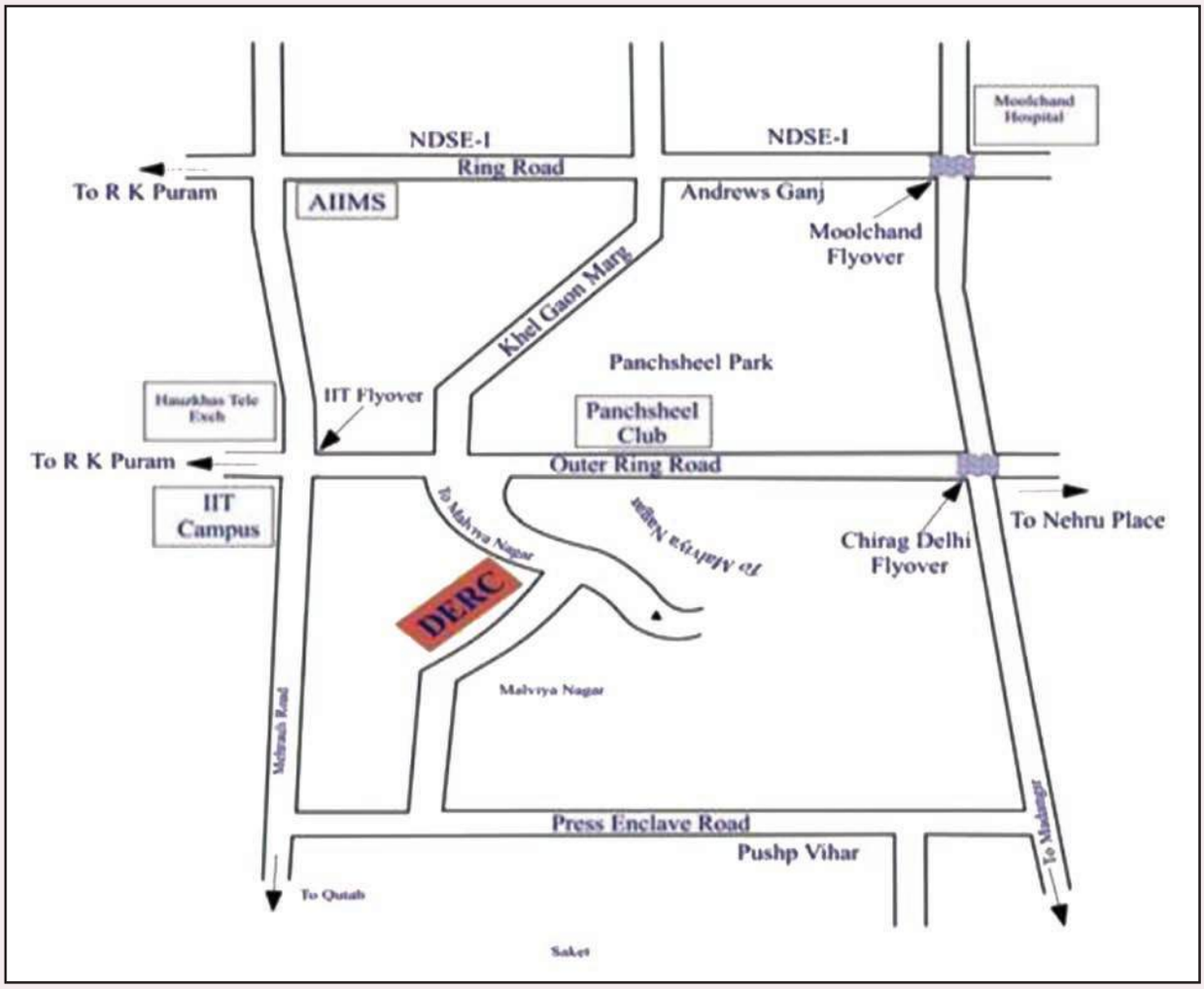

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली 110017
फैक्सः 011–41080416, दूरभाष न. 011–41080417, www.derc.gov.in

ANNUAL REPORT

2023-2024

Delhi Electricity Regulatory Commission

Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, Delhi-110017

Website – www.derc.gov.in

E.mail Id- secyderc@nic.in

Table of Contents

	Detail	Page No.
1	Maps	
	a. Delhi – Transmission Network	4
	b. Delhi – Distribution Licensee Areas	5
2	Delhi Electricity Regulatory Commission (A Brief Glimpse)	6
3	Mission Statement	8
4	Profile of Chairperson & Members of the Commission	9
5	Formation & Functions of DERC	13
6	DERC Organizational Chart	18
7	Regulatory Procedure	19
8	Regulations notified by DERC	25
9	Guidelines and Orders by DERC	29
10	Key Statistical Information	32
11	State Advisory Committee	42
12	Redressal of Consumer Grievances	43
13	Activities under Right to Information Act, 2005	66
14	Annual Statement of Accounts	67
15	Human Resources	68

Delhi – Transmission Network

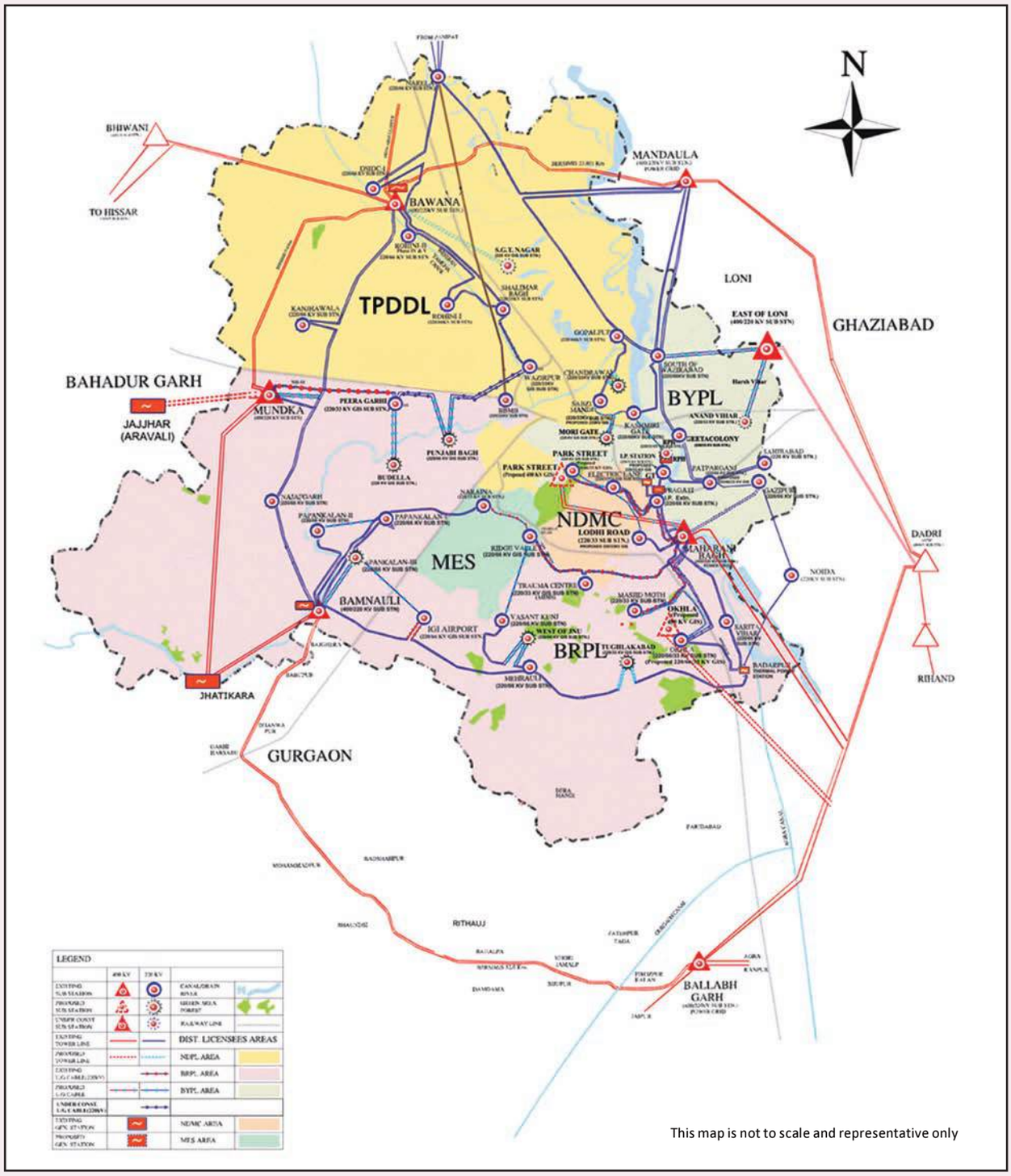

Delhi – Distribution Licensee Areas

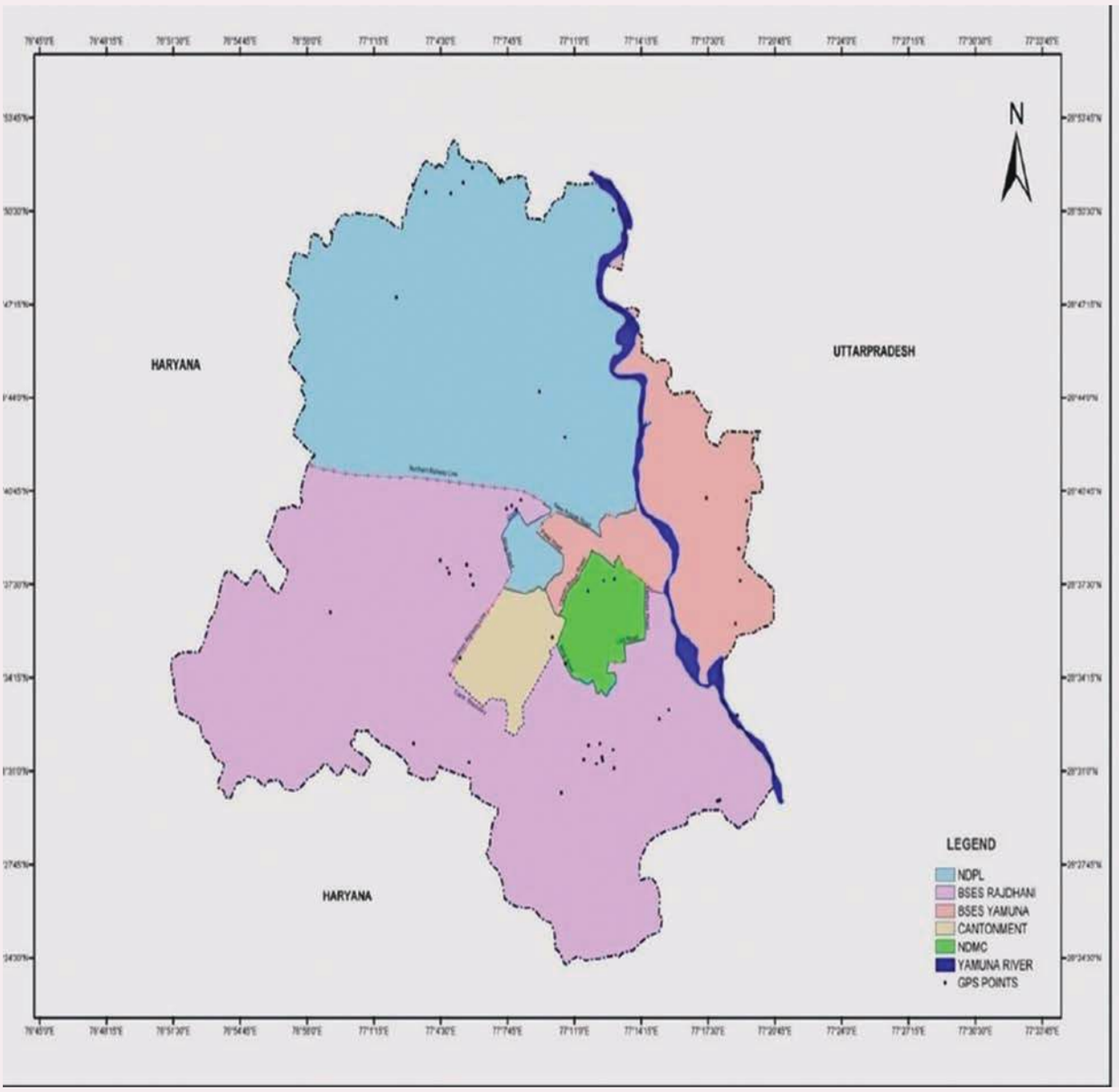

This map is not to scale and representative only

Delhi Electricity Regulatory Commission (A Brief Glimpse)

Pro tem Chairperson Justice Jayant Nath

The Delhi Electricity Regulatory Commission is functioning from premises located at Viniyamak Bhawan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017. The Commission has its own website i.e. www.derc.gov.in, which is designed and maintained and updated regularly. The website provides information regarding the Regulations, Cause List of Hearing Schedules, Updates, Public Notices inviting comments on Draft Regulations, and Petitions. It also displays Orders of the Commission, Public Awareness Bulletins, Career Vacancies etc. The website also provides information of Consumer Grievances Redressal Forums and Ombudsman and issued guidelines/Regulations for the consumers for Redressal of their grievances. Under Section 4 (1)(c) of the RTI Act, 2005, the website provide suo-moto disclosure of information under the RTI head.

The Commission conducts public and other hearings in order to resolve the matters brought before it. The staff of the Commission are given an opportunity to upgrade their professional competence through various training programs and workshops conducted by reputed institutions.

Member Dr. A.K. Ambasht

Mission Statement

DERC is committed to carrying out all the functions specified for State Regulatory Commissions in the Electricity Act, 2003 in a manner which is efficient, fair and judicious for all stakeholders.

In particular, DERC is committed to providing an appropriate Regulatory Framework for ensuring that the Regulated Entities in the Electricity Generation, Transmission and Distribution sectors in the NCT of Delhi function efficiently, judiciously and optimally in the best interest of the consumers within the framework of the Electricity Act, 2003 and related Government policies.

Towards this end, DERC will continue to formulate appropriate Rules & Regulations and ensure that all possible steps are taken for efficient management of the energy sector in Delhi.

PROFILES OF CHAIRPERSON & MEMBERS OF THE COMMISSION

Tenure of Previous & Present Chairperson & Members of the Commission

Chairperson

Sh. V.K. Sood	From 10.12.1999 to 09.12.2004
Sh. Berjinder Singh	From 16.02.2006 to 24.09.2010
Sh. P.D. Sudhakar	From 04.04.2011 to 28.01.2016
Justice S.S. Chauhan	From 05.07.2018 to 05.07.2021
Justice Shabihul Hasnain 'Shastri'	From 22.07.2021 to 09.01.2023
Justice Jayant Nath (Pro tem Chairperson)	**From 31.08.2023 till date**

Members

Sh. K. Venugopal	From 19.01.2005 to 22.09.2009
Sh. R. Krishnamoorthy	From 08.02.2005 to 10.05.2007
Sh. Shyam Wadhera	From 18.11.2008 to 17.11.2013
Sh. S.R. Sethi	From 14.10.2009 to 23.01.2011
Sh. J.P. Singh	From 14.02.2011 to 13.02.2016
Sh. B.P. Singh	From 22.05.2014 to 24.09.2018
Sh. Ashok Kumar Singhal	From 31.12.2019 to 09.01.2021
Dr. Akhilesh Kumar Ambasht	**From 31.12.2019 to 01.08.2023**

Justice(Retd.) Jayant Nath

Pro-tem Chairperson

Born on 10th November, 1959. Did his schooling from Delhi Public School, Mathura Road, New Delhi. Thereafter, did B.A. (Hons.) Economics from St. Stephen's College, Delhi University and LL.B. from Faculty of Law, Delhi University in 1982. Practised as an Advocate in Supreme Court of India, Delhi High Court, various Tribunals including Central Administrative Tribunal (Principal Bench), New Delhi, National Consumer Disputes Redressal Commission etc. Has been Standing Counsel for DESU/DVB from 1995 to 2002. Represented various Public Sector Undertakings, Banks etc. Was trained as Mediator by the Delhi High Court Mediation and Conciliation Centre and conducted various mediations therein. Conducted cases relating to various laws e.g. Service, Labour, Arbitration, Constitution and Administrative Law. Was designated as Senior Advocate by the High Court of Delhi in May, 2006. Appointed as Additional Judge of Delhi High Court on 17th April, 2013 and became permanent Judge on 18.03.2015 (F/N). Retired on 09.11.2021. Thereafter has been practising as Senior Advocate in the Supreme Court. Has been appointed as Arbitrator in large number of cases. Appointed as pro-tem Chairperson, Delhi Electricity Regulatory Commission, New Delhi on 31.08.2023.

Dr. Akhilesh Kumar Ambasht
Member

Hon'ble Member Dr. Akhilesh Kumar Ambasht, joined as Member, Delhi Electricity Regulatory Commission, New Delhi on the forenoon of 31st December 2019.

Dr. A.K. Ambasht, an officer of Indian Forest Service from AGMUT cadre of 1987 batch has varied experience of working in different organizations/departments in States as well as in Government of India.

In the initial years of his service, while posted in Andaman & Nicobar Islands and then to U.T. of Daman, Diu and Dadra & Nagar Haveli he worked as Deputy Conservator of Forests with various additional charges viz. Sales Tax, Fisheries, Municipal Corporation, Tourism, Environment, Science & Technology, etc.

In Goa, he held charge of Deputy Conservator of Forests and then became Resident Commissioner of Goa in Delhi.

While on deputation, Dr. Ambasht also held various key positions in States and Centre in Ministry of Human Resources, Municipal Corporation of Delhi, Delhi Pollution Control Committee (DPCC), Delhi Jal Board and Oil & Natural Gas Corporation (ONGC). As Director of Technical Education, he played key role establishing National Institute of Technical Teachers Training Institutes. He, in the capacity of Assessor & Collector of Delhi, launched online assessment and collection of Property Tax, which was awarded best e-project by the Computer Society of India. As Member Secretary, DPCC he ensured computerization of all records and processes for online working and helped establishing six online monitoring stations for air quality parameters.

During his stint as CVO in Delhi Jal Board and ONGC he ensured transparency and took effective steps towards preventive vigilance which helped the organisation achieve Vigilance Excellence Award. During this period, he also held additional charge of Oil India, Gas Authority of India Ltd., Bharat Petroleum and Balmer & Lawrie Co.

Dr. Ambasht, worked as Chairman of Technical Committee for the finalization of auction of Schedule-I Coal Block Mines which was supervised by the Supreme Court of India.

Dr. Ambasht has done Master's Degree in Botany from Kashi Naresh Post Graduate College Gyanpur, Gorakhpur University. He was awarded Ph. D. in Botany from Banaras Hindu University. He also holds M.Sc. in Forestry and has published 14 research papers in various national and international journals.

Hon'ble Member Dr. Akhilesh Kumar Ambasht had demitted office on 01.08.2023.

Formation & Functions of DERC

The Delhi Electricity Regulatory Commission came into existence under Section 17 of Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 (ERC Act, 1998) on 3 March, 1999 through a Notification of the Government of NCT of Delhi on the 10 December, 1999 to discharge the following functions.

1. To determine the tariff for electricity, wholesale, bulk, grid or retail, as the case may be, in the manner provided in Section 29 of the ERC Act, 1998;
2. To determine the tariff payable for the use of the transmission facilities in the manner provided in Section 29 of the ERC Act, 1998;
3. To regulate power purchase and procurement process of the transmission utilities and distribution utilities including the price at which the power shall be procured from the generating companies, generating stations or from other sources for transmission, sale, distribution and supply in the National Capital Territory of Delhi;
4. To promote competition, efficiency and economy in the activities of the electricity industry to achieve the objects and purposes of the Central Electricity Regulatory Commission Act, 1998;
5. Any other functions the Government of NCT of Delhi may notify further from time to time.

The Government of NCT of Delhi promulgated the Delhi Electricity Reform Ordinance, 2000 on 28th October 2000. The Commission constituted under the ERC Act, 1998 was deemed to be the first Commission under the aforesaid Ordinance. The DER Bill, 2000 after receiving the assent of the President, was later notified as the Delhi Electricity Reform Act, 2000 (DERA, 2000). This Act provided for the constitution of an Electricity Regulatory Commission for the NCT of Delhi to be known as "Delhi Electricity Regulatory Commission" to exercise the following functions.

To determine the tariff for electricity, wholesale bulk, or retail, as the case maybe;

i. To determine the tariff payable for the use of the transmission facilities;

ii. *To regulate power purchase and procurement process of the licensees and transmission utilities including the price at which the power shall be procured from the generating companies, generating stations or from other sources for transmission, sale, distribution and supply in the National Capital Territory of Delhi;*

iii. *To promote competition, efficiency and economy in the activities of the electricity industry to achieve the objects and purposes of this Act;*

iv. *To aid and advise the Government in matters concerning electricity generation, transmission, distribution and supply in the National Capital Territory of Delhi;*

v. *To regulate the operation of the power system within the National Capital Territory of Delhi;*

vi. *To set standards for the electricity industry in the National Capital Territory of Delhi including standards related to quality, continuity and reliability of service;*

vii. *To promote competitiveness and make avenues for participation of private sector in the electricity industry in the National Capital Territory of Delhi and also to ensure a fair deal to the customers;*

viii. *To aid and advise the Government in the formulation of its power policy;*

ix. *To collect and publish data and forecasts on the demand for, and use of, electricity in the National Capital Territory of Delhi and to require the licensees to collect and publish such data;*

x. *To regulate the assets, properties and interest in properties concerned or related to the electricity industry in the National Capital Territory of Delhi including the conditions governing entry into and exit from the electricity industry in such manner as to safeguard the public interest;*

xi. *To issue licenses for transmission, bulk supply, distribution or supply of electricity and determine the conditions to be included in the licenses;*

xii. *To regulate the working of the licensees and other persons authorized or permitted to engage in the electricity industry in the National Capital Territory of Delhi and to promote their working in an efficient, economical and equitable manner;*

xiii. *To require licensees to formulate prospective plans and schemes in coordination with others for the promotion of generation, transmission, distribution, supply and utilization of electricity, quality of service and to devise proper power purchase and procurement process;*

xiv. *To adjudicate upon the disputes and differences between the licensees and/or transmission utilities and to refer the matter for arbitration;*

xv. *To aid and advise the Government on any other matter referred to the Commission by the Government;*

Subsequently Government of India notified the Electricity Act, 2003 (EA, 2003) which repealed the ERC Act, 1998. As per provisions contained in Section 86 of the Electricity Act, 2003, DERC has the responsibility to discharge the following functions: -

i. *To determine the tariff for generation, supply, transmission and wheeling of electricity, wholesale, bulk or retail, as the case may be, within the State: Provided that where open access has been permitted to a category of consumers under section 42, it shall determine only the wheeling charges and surcharge thereon, if any, for the said category of consumers;*

ii. *To regulate electricity purchase and procurement process of distribution licensees including the price at which electricity shall be procured from the generating companies or licensees or from other sources through agreements for purchase of power for distribution and supply within the State;*

iii. *To facilitate intra-State transmission and wheeling of electricity;*

iv. *To issue licenses to persons seeking to act as transmission licensees, distribution licensees and electricity traders with respect to their operations within the State;*

v. *To promote co-generation and generation of electricity from renewable sources of energy by providing suitable measures for connectivity with the grid and sale of electricity to any person, and also specify, for purchase of electricity from such sources, a percentage of the total consumption of electricity in the area of a distribution licensee;*

vi. *To adjudicate upon the disputes between the licensees, and generating companies*

and to refer any dispute for arbitration;

vii. *To levy fee for the purposes of this Act;*

viii. *To specify State Grid Code consistent with the Grid Code specified under clause (h) of sub-section (1) of section 79;*

ix. *To specify or enforce standards with respect to quality, continuity and reliability of service by licensees;*

x. *To fix the trading margin in the intra-State trading of electricity, if considered, necessary; and*

xi. *To discharge such other functions as may be assigned to it under this Act.*

xii. *To advise the State Government on all or any of the following matters, namely:.*

a. *Promotion of competition, efficiency and economy in activities of the electricity industry;*

b. *Promotion of investment in electricity industry;*

c. *Reorganization and restructuring of electricity industry in the State;*

d. *Matters concerning generation, transmission, distribution and trading of electricity or any other matter referred to the State Commission by that Government.*

The EA, 2003 further provides that the Commission would be guided by the National Electricity Policy, National Electricity Plan and Tariff Policy published under section 3 of the EA, 2003. After enactment of EA, 2003, the provisions of DERA, 2000 so far as not inconsistent with the provisions of EA, 2003 would be applicable.

The restructuring of the Delhi Vidyut Board (DVB) by the Government of NCT of Delhi was carried out by first unbundling it on functional lines and then disinvesting the major stake in distribution business. The Order issued by the Commission on 22nd February 2002 on Bulk Supply Tariffs and Opening Levels of Losses for all the unbundled distribution companies became a necessary prelude for privatization of distribution business. The model devised was essentially based on selection of bidder based on bid levels of loss reductions over the opening levels given by the Commission in its Order of 22nd February 2002.

In the method followed for bidding, the bids were invited for taking over the distribution companies on a single parameter of Aggregate Technical & Commercial efficiency improvement targets for the next five years with the equity being sold at par value. Minimum targets for efficiency improvement, incentives for over achievement and a methodology for fixing of bulk supply tariff was stipulated and was given as a policy directive by the Government to the Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC). The following distribution licensees are functioning in NCT of Delhi.

Name of the Distribution Licensee	Area of Distribution
BSES Rajdhani Power Ltd. (BRPL)	South, South-West Delhi
BSES Yamuna Power Ltd. (BYPL)	Central, East Delhi
Tata Power Delhi Distribution Ltd. (TPDDL)	North, North-West Delhi
New Delhi Municipal Council (NDMC) (deemed licensee)	Central Delhi

After unbundling the erstwhile vertically integrated Delhi Vidyut Board (DVB), the generation and transmission was kept under the control of Delhi Government and managed by Government owned companies namely, Indraprastha Power Generation Company Ltd. (IPGCL), Pragati Power Corporation Ltd. (PPCL) and Delhi Transco Ltd. (DTL). The distribution sector in Delhi was privatised and placed under the managerial control of the private distribution companies (Discoms), vis. BSES Rajdhani Power Ltd. (BRPL), BSES Yamuna Power Ltd. (BYPL) and the erstwhile North Delhi Power Ltd. (NDPL) came into existence during July, 2002, which is now known as Tata Power Delhi Distribution Ltd. (TPDDL).

The Commission sets goals and objectives for the ensuing year. The most important among these has been the determination of targets for Aggregate Revenue Requirement (ARR) for each of the distribution utilities, including the electricity tariff to be effective for the ensuing year. In addition, the Commission also takes up the task of drafting new Regulations or making changes in the existing Regulations in the light of provisions contained in Sections 181 & 92 of the Electricity Act, 2003.

Organizational Chart (as on 31.03.2024)

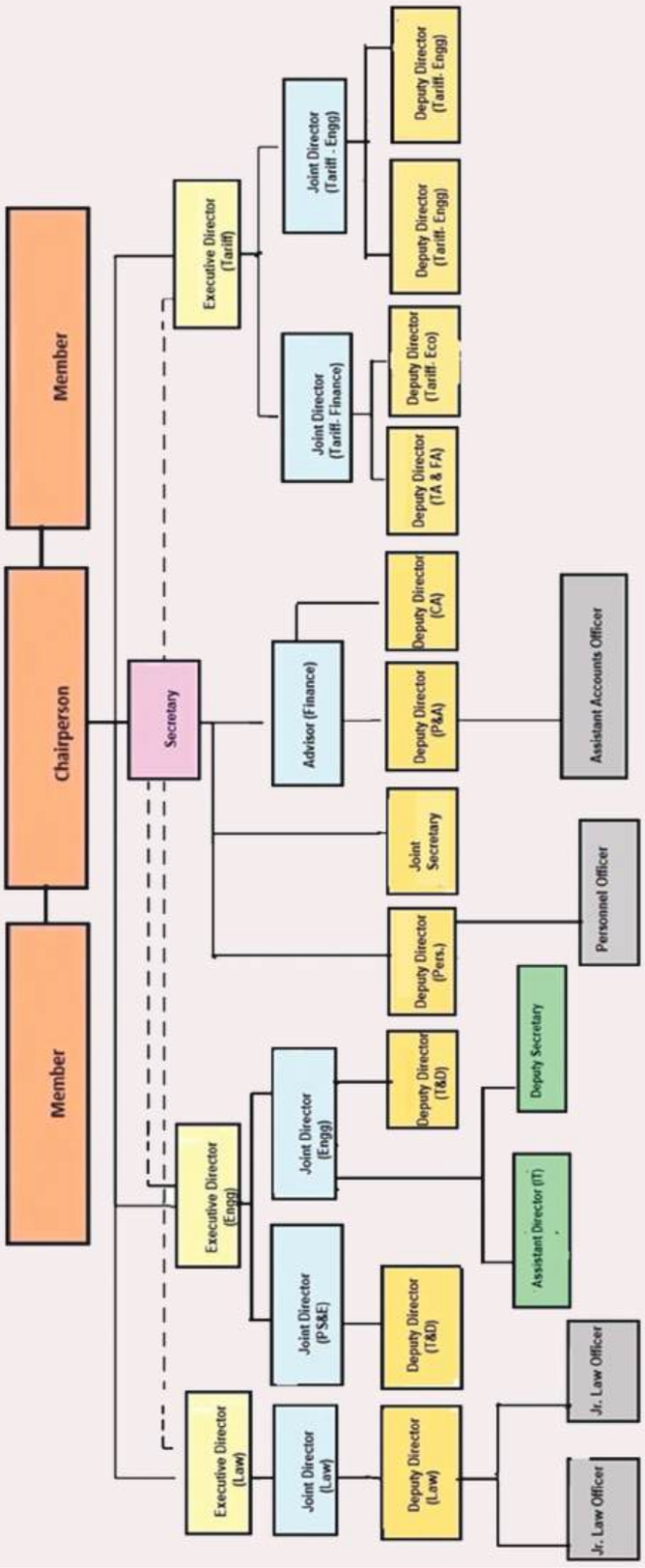

Regulatory Procedure

Tariff Determination

Among various functions assigned to the Commission, one of the important functions is to determine the tariff for generation, transmission, supply and wheeling of electricity wholesale, bulk, or retail, as the case may be, within the NCT of Delhi. In accordance with the provisions of Electricity Act, Application / Petition for determination of tariff is filed by a generating company / transmission company / distribution licensee in such a manner and accompanied by such fee, as determined by Regulations.

After admission of the petitions, executive summary which summarises the proposals contained in these petitions are prepared and are hosted along with petitions on Commission's website (www.derc.gov.in) for information of all stakeholders. Simultaneously, comments are sought from Public / various stakeholders on various tariff issues for which a Public Notice is issued in the leading newspapers. The Commission holds "Public Hearing" to consider the suggestions/inputs received from stakeholders, thereby giving adequate opportunity to all stakeholders to express their views on the matters pertaining to tariff determination.

During the Public Hearing, besides the issues raised by the stakeholders, issues related to tariff determination including power procurement, consumer categories, AT&C loss levels, expenditure incurred by Discoms etc. are discussed. The inputs received during these public hearings are duly recorded and considered by the Commission appropriately. The Commission, after considering the petitions submitted by the Discoms, information already available with it, the suggestions / inputs from stakeholders and prudence check on information furnished, approves the ARR and issues the order for determination of the tariff.

Process of Tariff Determination

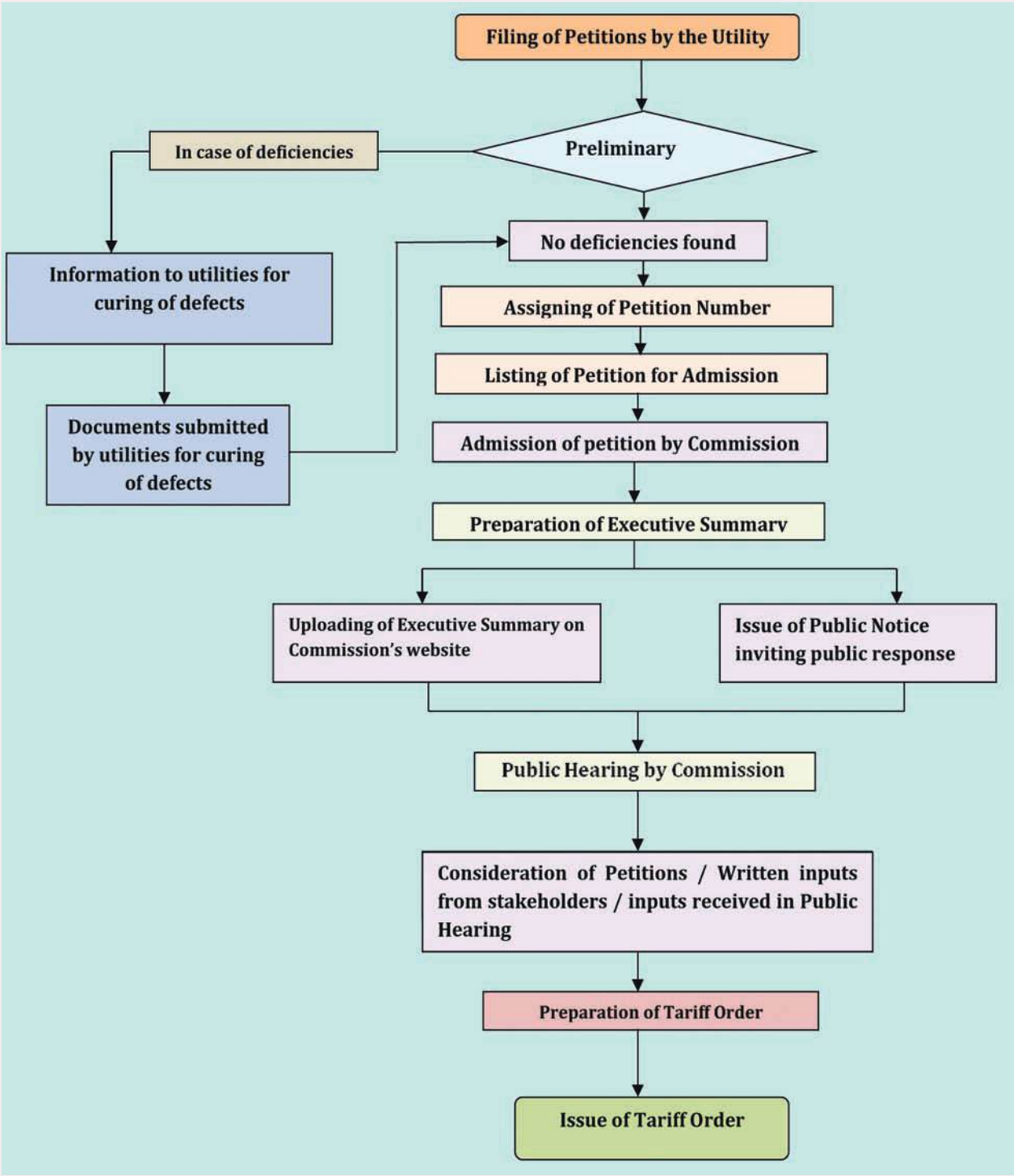

Petitions under Section 142 of the Electricity Act, 2003

Section 142 of the Electricity Act, 2003, as reproduced hereunder, provides for imposing a penalty upto one lakh rupees on any person found guilty of contravening any of the provisions of the Act, the Rules or Regulations etc.

> ***"Section 142. (Punishment for non-compliance of directions by Appropriate Commission):*** *In case any complaint is filed before the Appropriate Commission by any person or if that Commission is satisfied that any person has contravened any of the provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder, or any direction issued by the Commission, the Appropriate Commission may after giving such person an opportunity of being heard in the matter, by order in writing, direct that, without prejudice to any other penalty to which he may be liable under this Act, such person shall pay, by way of penalty, which shall not exceed one lakh rupees for each contravention and in case of a continuing failure with an additional penalty which may extend to six thousand rupees for every day during which the failure continues after contravention of the first such direction."*

In order to proceed under this Section, the Commission has evolved a procedure vide Delhi Electricity Regulatory Commission Comprehensive (Conduct of Business) Regulations, 2001, for carrying out the hearing of the complaint. The gist of the same may be summed up as follows. A complaint received is scrutinized and assigned a Unique Diary Number and a date is fixed for admission and the Parties are duly informed. The Parties are first heard on the question of admission. Once the Complaint is admitted, the Party against whom the Complaint has been made is directed to file its Reply. The Complainant may file a Rejoinder thereon where after arguments of both sides are heard and order is reserved. Order is announced in open court.

During FY 2023-2024, the Commission has disposed of **7 petitions** under Section 142 of the Electricity Act, 2003. Similarly, the Commission has disposed of **41 petitions** in matters other than those falling under Section 142 of the Electricity Act, 2003.

Process of Disposing Complaints under Section 142 of Electricity Act, 2003

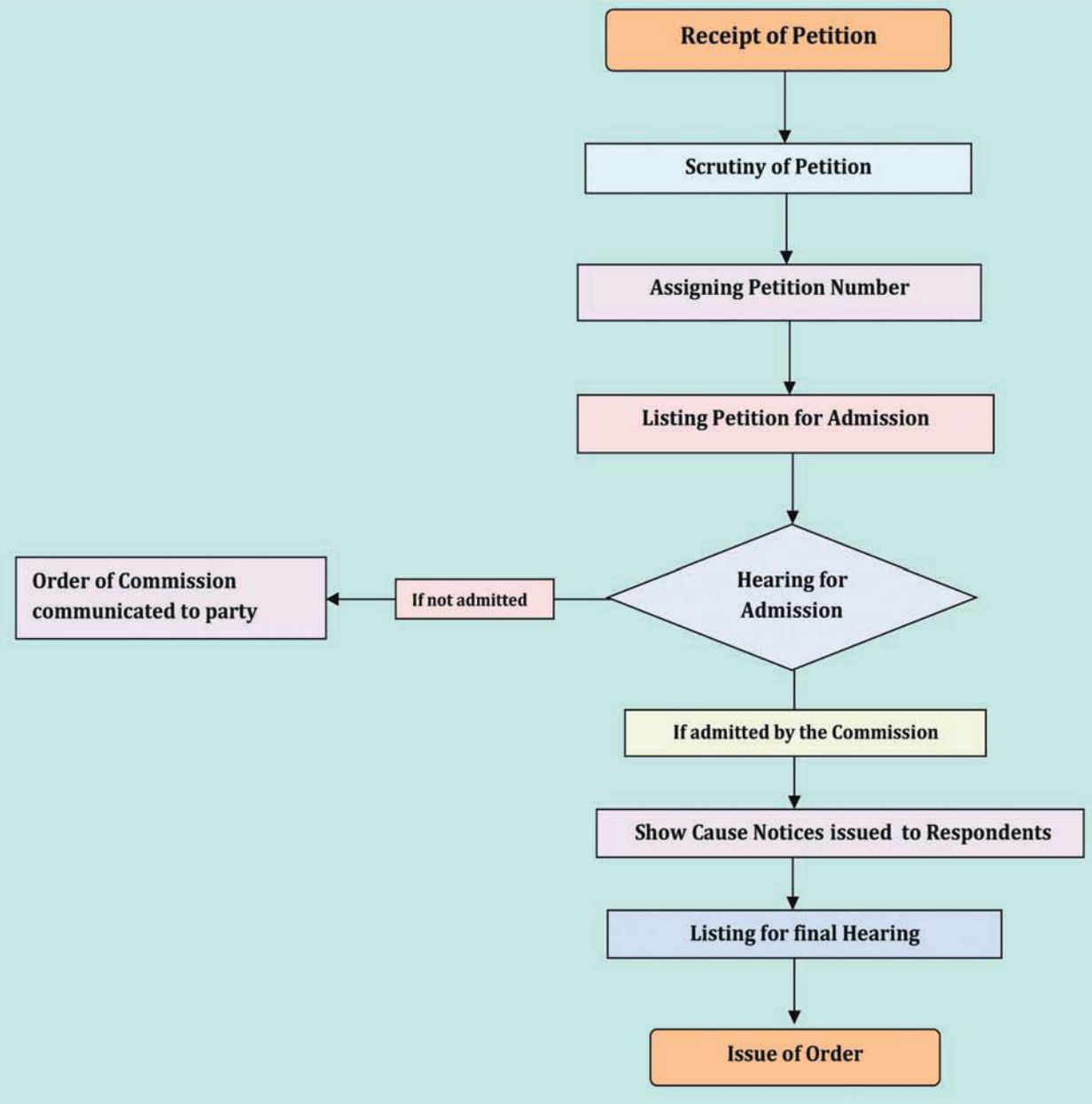

Regulations

Initially, a draft Regulation is prepared and with due approval of the Commission, which is uploaded on Commission's website (www.derc.gov.in) for inviting comments / suggestions from all stakeholders / public on the subject matter. Generally, public hearing session(s) are also held by the Commission, thereby giving ample opportunity to the stakeholders to express their opinion. After considering the provisions of relevant sections of the Electricity Act, 2003, and the comments / suggestions on the draft regulations received from public / stakeholders, the Regulations are finalized and approved by the Commission. Thereafter the Regulations are notified in the Delhi Gazette.

Process of Finalization of Regulations

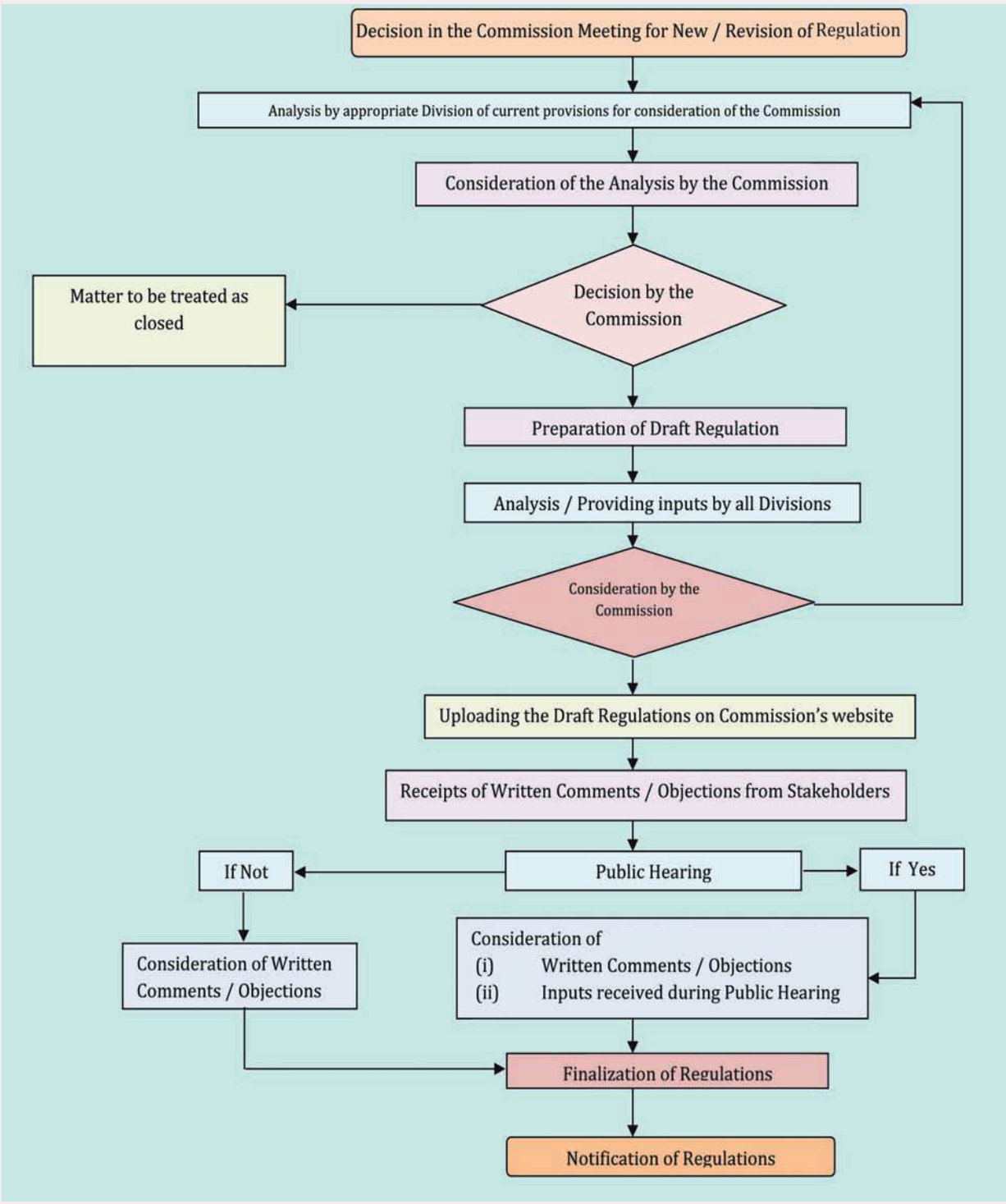

Regulations Notified by DERC

Existing

- Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2001
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Management and Development of Human Resources) Regulations 2001
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2001
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Delegation of Financial Powers) Regulations 2001
- Delhi Electricity Regulatory Commission Comprehensive (Conduct of Business) Regulations, 2001
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Performance Standards – Metering & Billing) Regulations, 2002
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Grant of consent for Captive Power Plants) Regulations, 2002
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Performance Standards – Metering & Billing) (Amendment) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Performance Standards – Metering & Billing) (Second Amendment) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Management and Development of Human Resources) (First Amendment) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Grant of Consent for Captive Power Plants) (Amendment) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Grant of consent for Captive Power Plants) (Repeal) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Medical Attendance) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Redressal of Consumers' Grievances) Regulations, 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Guidelines for establishment of Forum for redressal of grievances of the consumers and Ombudsman) Regulations 2003
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Delegation of Financial Powers) Regulations, 2004

- Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) Regulations, 2005
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Procedure for filing Appeal before the Appellate Authority) Regulations, 2005
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Open Access) Regulations, 2005
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Intra-State Electricity Trader) Regulations, 2005
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Management and Development of Human Resources) (Second Amendment) Regulations, 2007
- Delhi Electricity Supply Code & Performance Standards Regulations, 2007
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2007
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2007
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2007
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Levy and Collection of Fee and Charges by State Load Despatch Centre) Regulations, 2007
- Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2007
- Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008
- Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2008
- Delhi Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) (First Amendment), 2008.
- DERC Regulations for Transaction of Business, 2010
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011; Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Transmission Tariff) Regulations, 2011; Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Wheeling Tariff and Retail Supply Tariff) Regulations, 2011
- Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2011

- Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Amendment) Regulations, 2011
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2012.
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Tariff for Grid-connected Solar Photo Voltaic Project) Regulations, 2013.
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms & Conditions for Determination of Generation Tariff) (First Amendment) Regulations, 2013.
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Amendment) Regulations, 2014.
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Net Metering for Renewable Energy) Regulations, 2014
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Demand Side Management) Regulations, 2014
- Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Amendment) Regulations, 2015
- Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Third Amendment) Regulations, 2016
- Delhi Electricity Supply Code and Performance Standards (Fourth Amendment) Regulations, 2016
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017
- Corrigendum of Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2017
- Corrigendum of Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) Regulations, 2017
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Treatment of Income from Other Business of Transmission Licensee and Distribution Licensee) (First Amendment) Regulations, 2017
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2018
- Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (First Amendment) Regulations, 2018
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations, 2018

- Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Second Amendment) Regulations, 2018
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Third Amendment) Regulations, 2018
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Supply Code and Performance Standards) (Fourth Amendment) Regulations 2019
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations 2019
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Power System Development Fund) Regulations 2019
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2021.
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Delegation of Financial Powers) Regulations, 2021
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) (First Amendment) Regulations, 2021
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) Regulations, 2021
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022.
- Corrigendum to Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (First Amendment) Regulations, 2022.

Notified

- Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations 2023
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Renewable Purchase Obligation and Renewable Energy Certificate Framework Implementation) (First Amendment) Regulations 2023
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Determination of Tariff) (First Amendment) Regulations 2023
- Corrigendum of Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations 2023
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023
- Corrigendum of Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) (Second Amendment) Regulations, 2023
- Delhi Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business for Holding Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2023

Guidelines & Orders

Important Guidelines issued by Commission during FY 2023-24

DERC (Group Net Metering and Virtual Net Metering for Renewable Energy) (Fifth Amendment) Guidelines, 2024.

Important Orders issued by Commission during the year FY 2023-24

(i) Resource Adequacy

The Commission in order to have adequate resource adequacy and to promote Renewable Energy approved multiple PPAs of DISCOMs, which are as follows:

<u>Long term PPAs</u>

- Approval to BRPL for procurement of 110 MW Wind-Solar Hybrid Power through SECI vide Order dated 26/03/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 100 MW Wind Power through SECI vide Order dated 26/02/2024.
- Approval to TPDDL for procurement of 50 MW Wind Power through SECI vide Order dated 17/01/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 150 MW Wind Power through SECI vide Order dated 8/01/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 210 MW Solar Power through SECI vide Order dated 8/01/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 100 & 250 MW Solar Power through SECI vide Order dated 8/01/2024.
- Approval to BYPL for procurement of 50 MW Solar Power through SECI vide Order dated 8/01/2024.
- Approval to BYPL for procurement of 100 MW Wind Power through SECI vide Order dated 17/11/2023.
- Approval to BYPL for procurement of 50 MW Wind Power through SECI vide Order dated 17/11/2023.
- Approval to BYPL for procurement of 50 MW Solar Power through SECI vide Order dated 17/11/2023.

Medium term PPAs

- Approval to NDMC for procurement of 181.8 MW Power for period of 5 years from PFC under Para B(v) of 'SHAKTI' Policy vide Order dated 28/03/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 300 MW from all sources with additional capacity of 200 MW through Greenshoe Option vide Order dated 19/01/2024.

Short term PPAs

- Approval to BRPL for procurement of 200 MW RTC Short Term Power for June' 24 & July' 24 vide Order dated 26/03/2024.
- Approval to BRPL for procurement of 50 MW RTC Short Term Power for April' 24 & May' 24 vide Order dated 31/01/2024.
- Approval to BRPL for procurement of RTC Short Term Power upto 500 MW from 1/06/2024 to 30/09/2024 vide Order dated 21/01/2024.
- Approval to TPDDL for procurement of power on short term basis for the period 1/06/2024 to 30/09/2024 vide Order dated 15/12/2023.
- Approval to TPDDL for banking of power on short term basis vide Order dated 9/11/2023.
- Approval to BYPL for Bilateral Arrangement for procurement of 37.73 MW Short Term Power from May' 23 to Sep' 23 vide Order dated 27/04/2023.

(ii) Demand Side Management

- The Commission vide Order dated 10/07/2023, approved the Replacement of inefficient Air Conditioners with efficient ones for BRPL.
- The Commission vide Order dated 11/07/2023, approved the Replacement of inefficient Air Conditioners with efficient ones for BYPL.

(iii) Summer Preparedness Meeting

The Commission conducted Summer Preparedness Meeting with the Power Utilities of Delhi on 28/02/2024 in the Office and deliberated upon the issues related to Power Procurement Planning & Network constraints.

(iv) PPAC Orders

In accordance with Section 62(4) of the Electricity Act, 2003 read with Regulation 134 of DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017 and with compliance to Hon'ble APTEL judgement date 11/11/2011 in OP 1 of 2011, Commission approved the PPAC of the DISCOMs, the details are as follows:

General Orders

- Removal of direction issued by the Commission vide its Order dated 21/07/2023 regarding no additional PPAC unless specifically approved by the Commission.
- Direction to DISCOMs regarding no additional PPAC unless specifically approved by the Commission.

PPAC Orders on the Petitions of DISCOMs

- Approved PPAC of BYPL for Q1 & Q2 of FY 2023- 24 vide Order dated 8/03/2024.
- Approved PPAC of BRPL for Q1 & Q2 of FY 2023- 24 vide Order dated 8/03/2024.
- Approved PPAC of TPDDL for Q2 of FY 2023- 24 vide Order dated 8/03/2024.
- Approved PPAC of NDMC for Q1 of FY 2023- 24 vide Order dated 26/02/2024.
- Approved PPAC of TPDDL for Q1 of FY 2023- 24 vide Order dated 3/01/2024.
- Approved PPAC of NDMC for Q3 & Q4 of FY 2022- 23 vide Order dated 12/07/2023.
- Approved PPAC of BYPL for Q2, Q3 & Q4 of FY 2022- 23 vide Order dated 22/06/2023.
- Approved PPAC of BRPL for Q2, Q3 & Q4 of FY 2022- 23 vide Order dated 22/06/2023.
- Approved PPAC of NDMC for Q2 of FY 2022- 23 vide Order dated 22/06/2023.
- Approved PPAC of TPDDL for Q2, Q3 & Q4 of FY 2022- 23 vide Order dated 7/06/2023.
- Approved PPAC of NDMC for Q1 of FY 2022- 23 vide Order dated 1/06/2023.

Others

- Removal of difficulty in DERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017

Key Statistical Information

District-wise Population of Delhi in 2011*

District	Population
North-West	**3656539**
South	2731929
West	2543243
North-East	2241624
South-West	2292958
East	1709346
North	887978
Central	582320
New Delhi	142004
Total	**16787941**

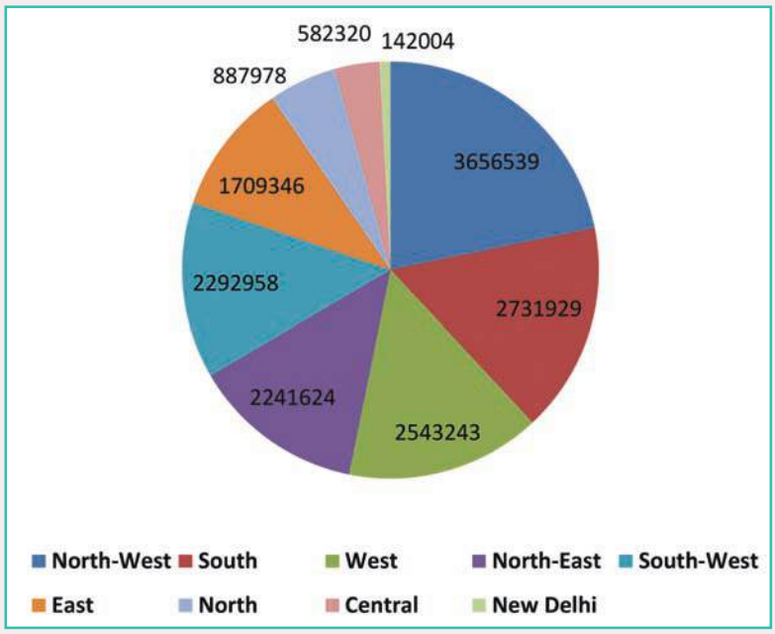

* As specified in Delhi Statistical Handbook 2023, published by Directorate of Economics & Statistics, Government of NCT of Delhi

Projected Number of Consumers of Electricity in FY 2023-2024

Distribution Licensee	FY 2023-2024	%age
BRPL	3077869	43%
BYPL	1971266	28%
TPDDL	2026104	28%
NDMC	56719	1%
Total	**7131958**	**100%**

Note: *Data as provided by the DISCOMs*

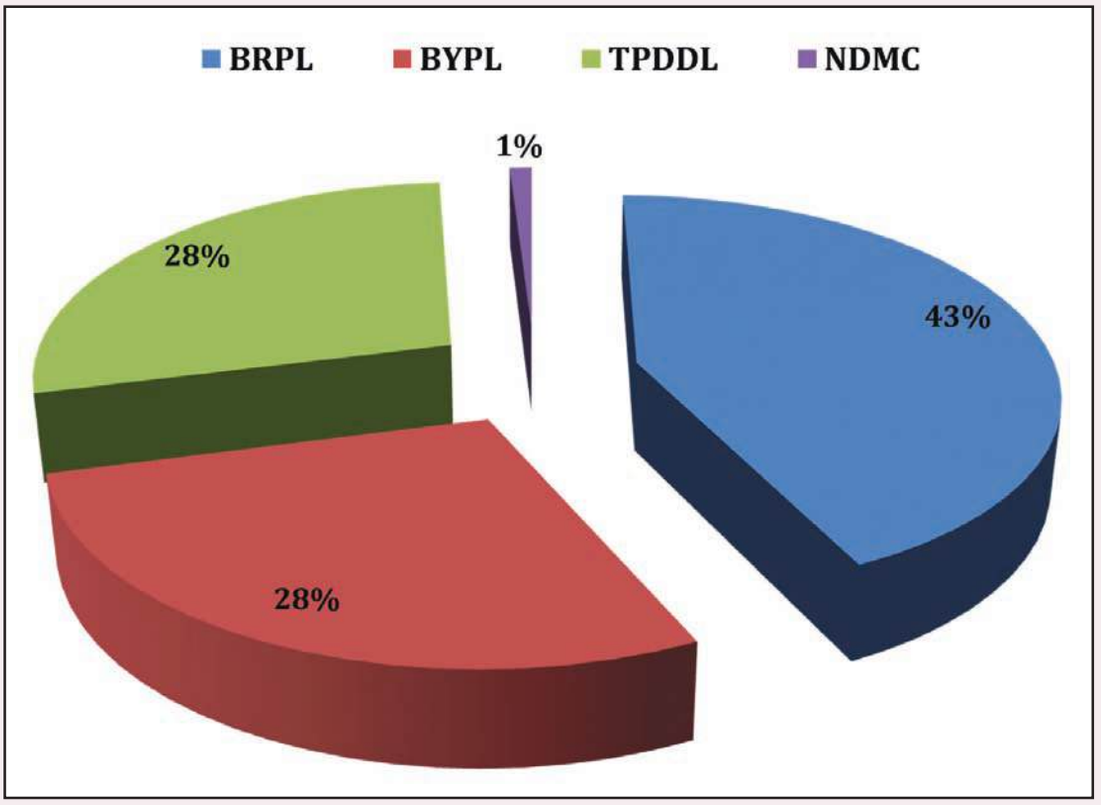

Projected Consumer-wise Number of Consumers

Consumer Category	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
Domestic	2686882	1538162	1716311	38781	5980136
Non-Domestic	363837	418873	265869	16094	1064673
Industrial	5469	7700	13769	2	26940
Agricultural & Mushroom Cultivation	6412	38	4179	0	10629
Public Utilities (incl. DJB and DMRC)	11478	4568	6515	62	22623
DIAL	2	0	0	0	2
Others	3789	1925	19461	1780	26955
Total	**3077869**	**1971266**	**2026104**	**56719**	**7131958**

Note: *Data as provided by the DISCOMs*

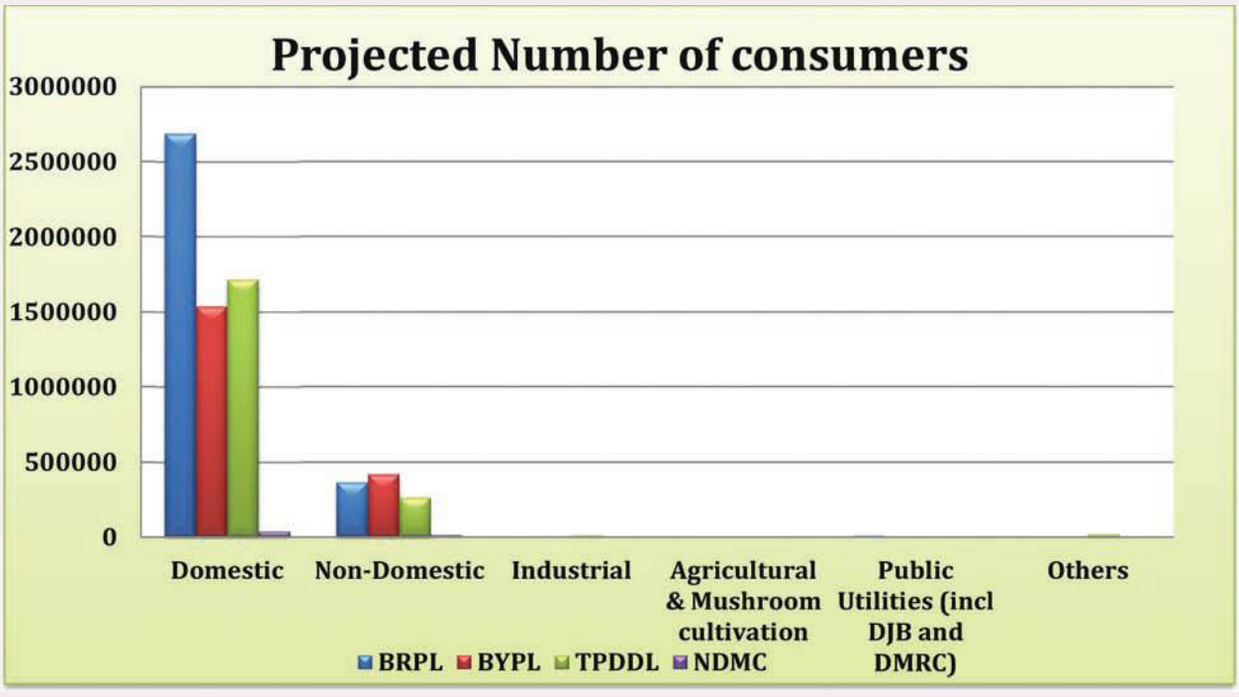

Projected Sanctioned Load (MW)

Consumer Category	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
Domestic	6904	3329	3728	206	14167
Non-Domestic	2617	1656	1811	619	6703
Industrial	295	225	858	1	1379
Agricultural & Mushroom Cultivation	38	0	32	0	70
Public Utilities (incl DJB and DMRC)	337	187	227	2	753
DIAL	51	0	0	0	51
Others	76	40	140	65	322
Total	**10318**	**5437**	**6797**	**893**	**23446**

Note: *Data as provided by the DISCOMs*

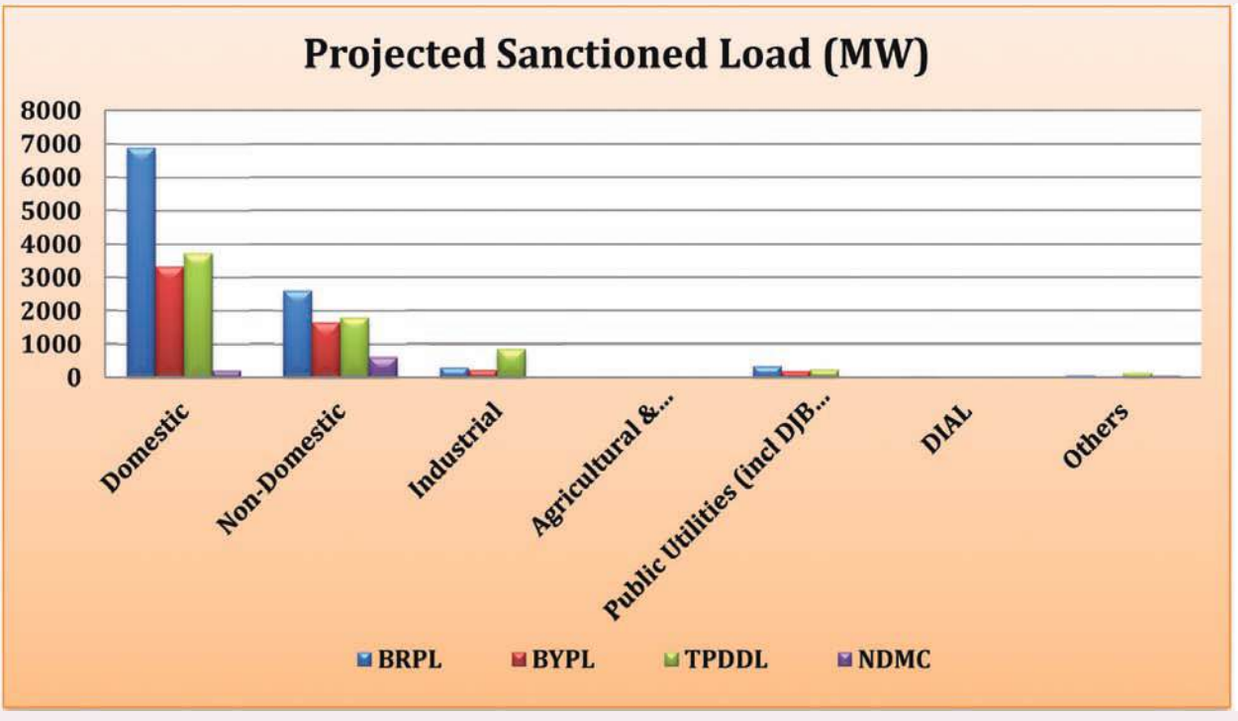

Projected Total Sales (in MU)

Consumer Category	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
Domestic	8438	4291	4873	325	17927
Non-Domestic	3292	1722	2437	926	8378
Industrial	569	397	1944	1	2912
Agricultural & Mushroom Cultivation	24	0	16	0	40
Public Utilities (incl. DJB and DMRC)	719	340	566	8	1634
DIAL	22	0	0	0	22
Others	317	139	191	113	761
Total	**13381**	**6890**	**10028**	**1374**	**31673**

Note: *Data as provided by the DISCOMs*

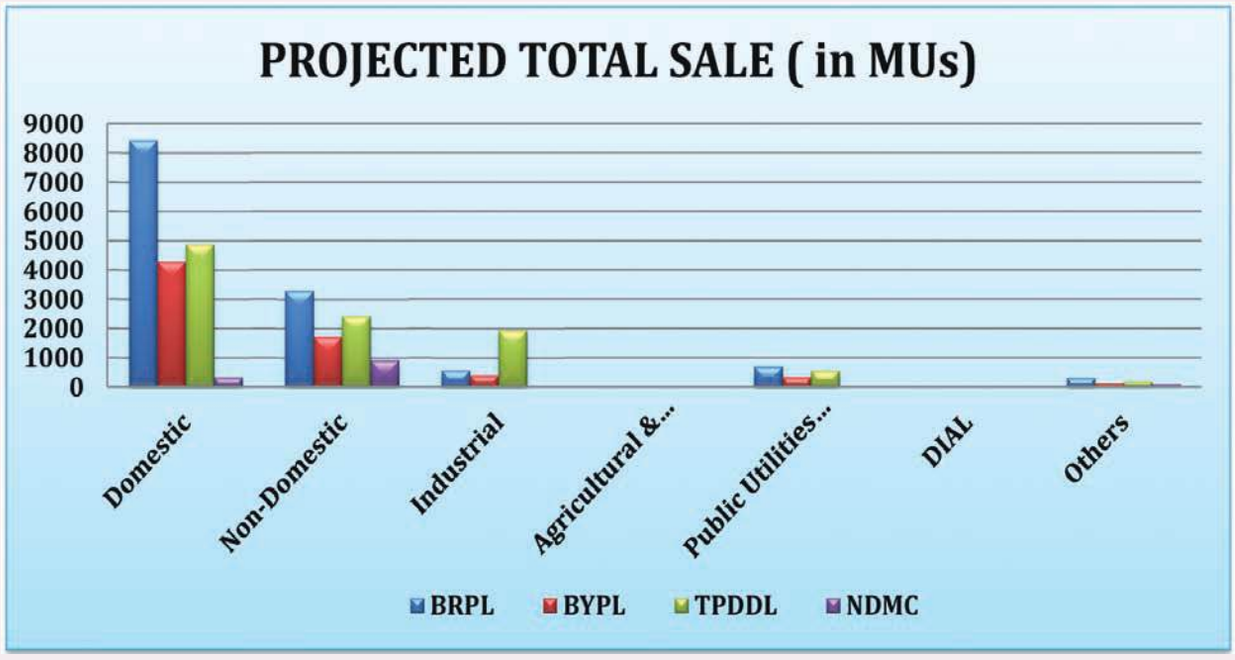

Projected Total Revenue Billed (incl. E Tax & Surcharge) (in Rs. Cr.)

Consumer Category	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
Domestic	5900	2865	3319	316	13424
Non-Domestic	5198	2868	4003	1340	12385
Industrial	820	599	2711	1	4132
Agricultural & Mushroom Cultivation	14	0	12	0	26
Public Utilities (incl. DJB and DMRC)	815	399	678	8	1900
DIAL	56	0	0	0	56
Others	375	167	171	115	884
Total	**13179**	**6898**	**10894**	**1780**	**32807**

Note: *Data as provided by the DISCOMs*

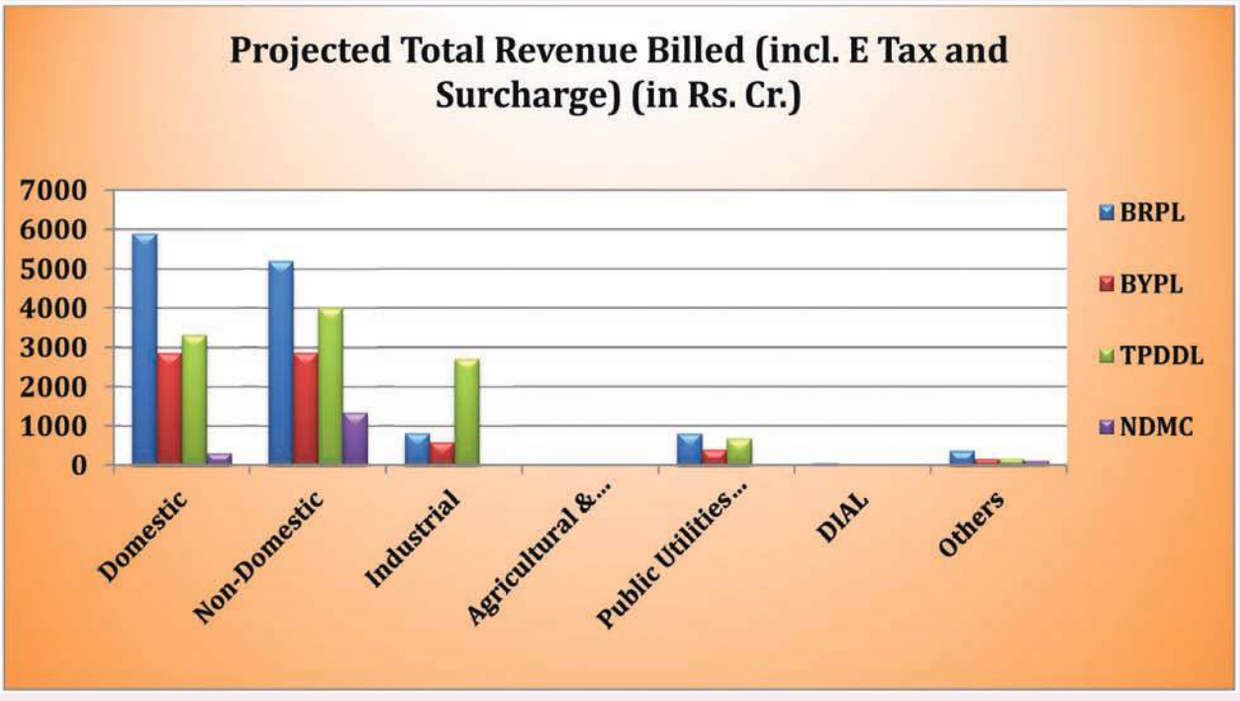

Projected Average Billing Rate including E Tax (Rs./ Unit) FY 2023-2024

Consumer Category	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC
Domestic	6.99	6.68	6.81	9.71
Non-Domestic	15.79	16.65	16.43	14.47
Industrial	14.41	15.07	13.95	11.85
Agricultural & Mushroom Cultivation	5.87	5.36	7.31	0.00
Public Utilities (incl. DJB and DMRC)	11.33	11.73	11.98	10.06
DIAL	25.92	0.00	0.00	0.00
Others	11.82	12.03	8.94	10.18

Source: Computed

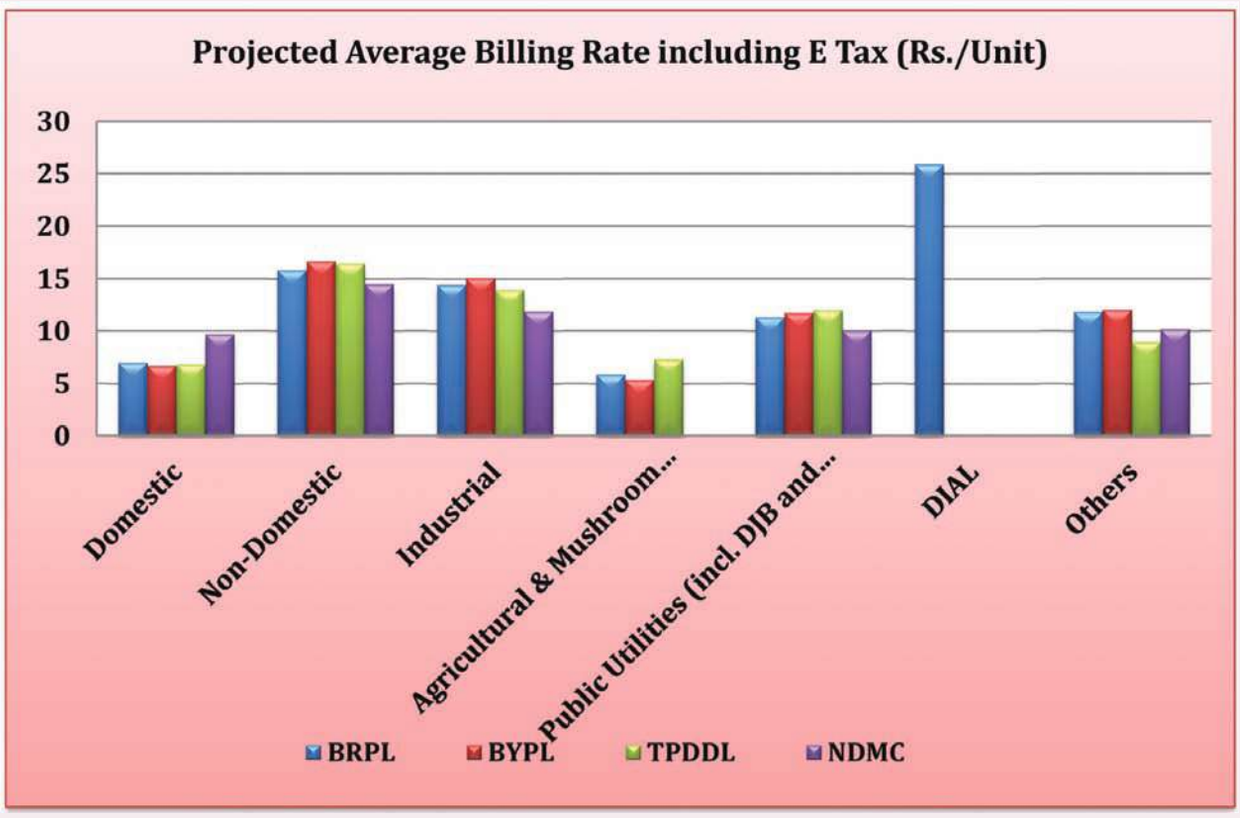

Transmission and Distribution System in Delhi
(Date as on 31.03.2024)

S. No.	ITEMS	BRPL	BYPL	TPDDL	NDMC	Total
1	Length of Transmission Lines (Ckt KM)	1329.522	683.82	1229.93	-	**3243.272**
2	Length of Distribution Lines (Ckt KM) (11 kV)	8919.934	3298.52	7625.49	-	**19843.944**
3	Length of Distribution Lines (Ckt KM) (LT)	14573	6038.68	7970.71	-	**28582.39**
4	No. of Power Transformers	285	170	219	-	**674**
5	EHV Capacity (MVA)	6848	3998.00	5315.50	-	**16161.5**
6	No. of Distribution Transformers	39922	4049	30414	-	**74385**
7	Distribution Transformers Capacity (MVA)	7107.498	3705.14	6586.63	-	**17399.268**

***Note** – No response has been received from NDMC*

Power Generation

Under the framework of MYT Regulations power purchase quantum has been classified as an uncontrollable component. Since power purchase cost constitutes major component of the total Annual Revenue Requirement of the distribution licensee, it is pertinent that the projection of power purchase expense is done with utmost care. Power from all the sources including Central Sector Generating Stations (CSGS), State Generating Stations (SGS), etc is analysed to determine the total power purchase quantum and cost for the distribution licensee.

Delhi has firmly allocated share in Central Sector Generating Stations (CSGS) of National Thermal Power Corporation Ltd. (NTPC), National Hydroelectric Power Corporation Ltd. (NHPC), Tehri Hydro Development Corporation Ltd. (THDC), Satluj Jal Vidyut Nigam Limited (SJVNL) and Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL).

The capacity of Delhi Stations is summarized below:

Generating Stations	Station Capacity (MW)
Gas Turbine Power Station	210
Pragati Power Station-I	330
Pragati Power Station-III Bawana	1371.2
Timarpur Okhla Waste Management Company Ltd.	16
Delhi MSW Solutions Ltd. (DMSWSL)	24
East Delhi Waste Processing Company Limited (EDWPCL)	12
Tehkhand	25
TOTAL	**1988.2**

Tariff Determination (FY 2023-2024)

The Commission carries out the process of Tariff determination in two parts:

i. True up of the performance of the past period and

ii. The projections of the ARR and Tariff determination for the ensuing year.

The MYT Regulations, 2011 (Generation, Transmission, Distribution) ended on 31.03.2017 and new Tariff Regulations i.e. Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2017 became applicable w.e.f. 01.04.2017.

The Tariff Orders for all Distribution, Transmission and Generation Utilities for True up of FY 2021-22 and ARR for FY 2023-24 have not been issued on account of constraints in implementation of issues in various cases pending before Higher Courts. Further, with regard to Tariff order for FY 2023-24, Delhi Power Utilities have challenged DERC (Business Plan) Regulations, 2023 before the Hon'ble High Court of Delhi.

State Advisory Committee

The State Advisory Committee (SAC) was constituted by the Commission as per provisions contained in Section 87 of the Electricity Act, 2003 and the SAC has been mandated with the following objects to advise the Commission:

a. Major questions of policy;

b. Matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;

c. Compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence:

d. Protection of consumer interest; and

e. Electricity supply and overall standards of performance by utilities.

Redressal of Consumer Grievances

In pursuance to provisions contained in Sections 42(5) & 42(6) of the Electricity Act 2003, DERC has formulated '**Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations, 2018 and its amendment**. As per these regulations, Consumer Grievance Redressal Forums (CGRFs) was established, one each for the DISCOMs. Each CGRF consists of Chairperson and four Members. Out of five members (including Chairperson), One Member shall be designated as Legal Member and one Member shall be Technical.

The Institution of Electricity Ombudsman has also been set up under Section 42(6) of the Electricity Act 2003, which acts as the appellate body over the CGRFs.

JURISDICTION AND PROCEEDINGS OF THE FORUM*

1. Jurisdiction of the Forum

(1) The Forum shall have the jurisdiction to entertain the grievances filed by the complainant with respect to the services provided by the Distribution Licensee and give such orders and directions as may be deemed necessary.

(2) The Forum shall entertain only those grievances where the complainant has approached the appropriate authority of the distribution licensee as specified in the complaint handling procedure in SOP Regulations from time to time and is not satisfied either with the response of the licensee or there is no response from the Licensee within the time stipulated therein:

Provided that no grievance shall be entertained unless it is filed before the Forum within three months from the date the consumer has exhausted the remedy under the complaint handling procedure:

Provided further that the Forum may, for reasons to be recorded in writing, entertain a grievance which does not meet the aforesaid requirement.

2. Limitation of Jurisdiction of the Forum

(1) The Forum shall not entertain a grievance if it pertains to the same subject matter for which any proceedings before any court, authority or any other Forum is pending or a decree, award or a final order has already been passed by any competent court, authority or forum.

(2) The Forum shall not entertain grievances falling under Sections 126, 127, 135 to 139, 142, 152, and 161 of the Act.

(3) Subject to sub-regulation (1) and (2) above, no grievance shall be rejected by the Forum at any stage, unless the complainant has been given an opportunity of being heard.

3. Process of submission of Grievance

(1) Every grievance to the forum shall be submitted in writing to the Secretary of the Forum in a format approved by the Commission:

Provided that where a complainant is unable to file the grievance in the approved format, the Forum shall render all reasonable assistance to the complainant in filing the grievance.

(2) The grievances are to be submitted either in person or through registered post/speed post/ courier service/ email/ fax.

(3) The Distribution Licensee shall, on its website, upload the format approved by the Commission for filing grievances in electronic form.

(4) All enclosures to such Grievance submitted in electronic form shall be submitted in scanned form.

(5) The complainant shall enclose a copy of response, if any, from the licensee along with all relevant documents.

(6) The forum shall not levy any fee for submission of Grievance.

4. Grievance Handling Procedure of the Forum

(1) On receipt of the grievance, the Secretary or any other person, as may be authorized by the Forum, shall make an endorsement on the grievance subscribing his dated initial and shall send an acknowledgement to the complainant within seven (7) days of receipt of the grievance.

(2) Grievances received shall be registered and serially numbered for each year, and shall be referred e.g. C.G. No. 1/2018, 2/2018,..., 1/2019, 2/2019,... and so on.

(3) A copy of the grievance shall be forwarded within seven (7) days of receipt, to the Nodal Officer designated by the Distribution Licensee for redressal or to file its reply in writing.

(4) The Distribution Licensee shall, within fifteen (15) days of intimation from the Forum or within such other time as may be directed, furnish its issue-wise comments on the grievance, to the Forum with a copy to the consumer and if there is any failure by the Distribution Licensee in providing such comments, the Forum may proceed on the basis of the material available on record.

(5) The Forum shall notify the Distribution Licensee and the complainant, the date of hearing of the grievance in writing, giving sufficient advance notice, of not less than five (5) days.

(6) A consumer, Distribution Licensee or any other person who is a party to any proceedings before the Forum may either appear in person or authorize any person to present his case before the Forum and to do all or any of the acts for the purpose.

(7) Where any person who has been a party to the proceedings before the Forum fails to appear, on the date of hearing as may be fixed, on more than two consecutive occasions, in this behalf, the Forum may decide the grievance ex-parte:

Provided that no adjournment shall ordinarily be granted by the Forum unless sufficient cause is shown and the reasons for the grant of adjournment have been recorded in writing by the Forum.

(8) The Forum may call for, any record or information of the Distribution Licensee or from the complainant for examination and disposal of the Grievance, and the parties shall be under obligation to provide such information, document or record as the Forum may call for:

Provided that if a party fails to furnish such information, document or record and the Forum is satisfied that the party in possession of the record is withholding it deliberately, it may draw an adverse inference.

(9) On receipt of the comments from the Distribution Licensee or otherwise and after conducting or having such inquiry or local inspection conducted as the Forum may consider necessary, and after affording reasonable opportunity of hearing to the parties, the Forum shall, pass appropriate orders for disposal of the grievance, within a period of 60 days of filing of the grievance:

Provided that if the order of the Forum is passed after the completion of the said

period of sixty (60) days, the Forum shall record in writing reasons for the same.

(10) The proceedings and decision(s) of the Forum shall be recorded and shall be supported by reasons.

(11) The quorum of the Forum shall be three and each member shall have one vote and in case of equality of votes, the Chairperson of the Forum or the senior most member of the Forum discharging the functions of the Chairperson of the Forum presiding over the meeting, as the case may be, shall have a casting vote.

(12) A certified copy of the order of the Forum shall be delivered to the parties to such order in writing within seven (7) days from the date of order.

(13) The Forum may, subject to the Regulation made by the Commission in this regard, award compensation to the complainant as it considers just and appropriate in the circumstances of the case.

(14) The Forum may pass such interim orders, at any stage during the disposal of the grievance, on the request of the consumer as the Forum considers appropriate pending the final decision on the Grievance:

Provided that except where it appears that the object of passing the interim order would be defeated by delay, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of being heard.

(15) The Forum may settle any grievance in terms of an agreement reached between the parties at any stage of the proceedings before it.

(16) The Forum shall not be bound to follow the procedure prescribed in the Civil Procedure Code 1908 (Act 5 of 1908) and subject to these Regulations, the Forum may evolve procedure conforming to the principles of fair play and natural justice for efficient discharge of its functions.

(17) Any complainant aggrieved by orders of the Forum may prefer a representation before the Ombudsman:

Provided that there shall be no right of representation before the Ombudsman against the order issued under Sub-regulation (16).

5. <u>Vacancies, etc. not to invalidate Proceedings</u>

Subject to Regulation 15 (11) no act or proceedings of the Forum shall be questioned

or shall be invalidated merely on the ground of existence of any vacancy or defect in the constitution of the Appropriate Forum.

6. Reasoned Orders

(1) The order passed by the Forum shall set out –

(a) issue-wise decision;

(b) reasons for passing the order;

(c) directions, if any, to the Distribution Licensee or consumer or any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case; and

(d) directions to pay such amount as compensation as specified by the Commission in the SOP Regulations.

(2) Reasons are to be recorded if the final orders are passed on the basis of settlement arrived at between the parties:

Provided that the settlement arrived at between the parties shall be submitted through affidavit.

(3) Every order made by the Forum shall be a reasoned order and signed by the members conducting the proceedings:

Provided that where the members differ on any point or points, the opinion of the majority shall be the order of the Forum. The opinion of the minority shall however, be recorded and shall form part of the order:

Provided further that, along with every order, the Forum shall intimate the complainant of the contact details of the Ombudsman and limitation of time for preferring a representation before the Ombudsman.

(4) Subject to the right of representation before the Ombudsman specified in these Regulations, the orders of the Forum shall be final.

7. Supply of certified copies

Any person shall be entitled to obtain certified copy of the orders of the Forum subject to payment of such fee and after complying with such other terms, which the Forum may direct.

8. Power to Review

(1) Any person may file an application for review before the Forum, upon the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, within thirty (30) days of the date of the order, as the case may be.

(2) An application for such review shall clearly state the matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or the mistake or error apparent from the face of the record. The application shall be accompanied by such documents, supporting data and statements as the Forum may determine.

(3) When it appears to the Forum that there is no sufficient ground for review, the Forum shall reject such review application:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(4) When the Forum is of the opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the order, the review of which is applied for.

***Note:(Source: Chapter III of Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations 2018**

PROCEEDINGS AND POWERS OF THE OMBUDSMAN#

9. Powers and duties of the Ombudsman

(1) To receive the representation from a complainant aggrieved by any order of the Forum and consider such representation and facilitate their satisfaction or settlement by agreement, through conciliation and mediation between the Distribution Licensee and consumer or by passing an order in accordance with these Regulations;

(2) To exercise all the powers as are available to a Forum under these Regulations and to discharge such functions as the Commission may direct or assign from

time to time.

(3) To advise the Commission on redressal of grievances of the Consumers.

(4) The Ombudsman may, after hearing the Forum or any other interested party, if any, from time to time, issue such orders, instructions or directions to the Forum for the performance of its functions under these Regulations, as it may deem fit.

10. <u>Filing of representation before the Ombudsman</u>

(1) Any complainant, aggrieved by the non-redressal of his grievance by the Forum may himself or through his authorized representative make a representation to the Ombudsman within one (1) month from the date of receipt of the order of the Forum in the format approved by the Commission:

Provided that the Ombudsman may entertain a representation beyond one (1) month on sufficient cause being shown by the person filing the representation that he had sufficient reasons for not filing the representation within the aforesaid period of one (1) month.

(2) The Distribution Licensee and the Ombudsman shall, in its website, upload the format as specified by the Commission.

(3) The Ombudsman shall not entertain a representation:

(i) unless the complainant has submitted the representation to the Ombudsman in the specified format;

(ii) unless it has been shown to the Ombudsman that (a) the Forum has not redressed the grievance, or (b) the Forum has not passed an order on the grievance for its redressal within a maximum period of two (2) months from the date of receipt of the grievance by the Forum:

Provided that a complainant may approach the Ombudsman directly in cases where the Commission has directed him to do so.

(iii) unless the representation against an order of the Forum was made within the period set out in these Regulations;

(iv) unless the Ombudsman is satisfied that the representation is not in respect of the same subject matter that has already been settled by the

complainant;

(v) where the representation by the complainant, in respect of the same grievance, is pending in any proceedings before any court, tribunal or arbitrator or any other authority, or a decree or award or a final order has already been passed by any such court, tribunal, arbitrator or authority;

(vi) unless the complainant has deposited in the stipulated manner, an amount equal to one-third of the amount, that is required to be paid by him in terms of the order of the Forum with the licensee through DD or through modes as specified by the Commission from time to time and documentary evidence of such deposit is enclosed with the representation.

11. <u>Proceedings of the Ombudsman</u>

(1) Within seven (7) days of receipt of a representation, the Secretary shall send an acknowledgement to the complainant.

(2) Representations received shall be registered and serially numbered for each year, and shall be referred e.g. C.G. No. 1/2018, 2/2018,..., 1/2019, 2/2019,... and so on.

(3) Within seven (7) days of registration, the Ombudsman shall call for records relating to the representation from the concerned Forum.

(4) The concerned Forum shall send the entire records to the office of the Ombudsman within fifteen (15) days from the date of receipt of such notice.

(5) The Ombudsman may determine the manner, the place, the date and the time of the hearing of the matter as the Ombudsman considers appropriate.

(6) The Ombudsman shall notify the Distribution Licensee and the applicant who has submitted the representation, the date of hearing in writing, giving sufficient advance notice, of not less than seven (7) days.

Provided that representations filed by applicants who are senior citizens, physically challenged, widows and persons suffering from serious ailments shall be listed and disposed of on a priority basis.

(7) A consumer, Distribution Licensee or any other person who is a party to any

proceedings before the Ombudsman may either appear in person or authorize any person to present his case before the Ombudsman and to do all or any of the acts for the purpose.

(8) Where any person who has been a party to the proceedings before the Ombudsman fails to appear on the date of hearing as may be fixed on more than two (2) consecutive occasions, in this behalf, the Ombudsman may decide the Grievance ex-parte:

Provided that no adjournment shall be ordinarily granted by the Ombudsman unless sufficient cause is shown and the reasons for the grant of adjournment have been recorded in writing by the Ombudsman.

(9) The Ombudsman may reject the representation at any stage if it appears to him that the representation is:

(i) frivolous, vexatious, malafide;

(ii) without any sufficient cause;

(iii) there is no prima facie loss or damage or inconvenience caused to the consumer; or

(iv) complicated in nature such that the representation requires consideration of elaborate documentary and oral evidence and the proceedings before the Ombudsman are not appropriate for adjudication of such representations:

Provided that the decision of the Ombudsman in this regard shall be final and binding on the consumer and the Distribution Licensee:

Provided further that no representation shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(10) The Ombudsman may hear the parties and may direct the parties to submit written statements of submissions in the matter.

(11) The Ombudsman shall pass a written order giving reasons for all his findings and award.

(12) The Ombudsman shall pass an award as early as possible but no later than three (3) months from the date of receipt of the representation:

Provided that where there is delay in disposal of a representation within the said period of three (3) months, the Ombudsman shall record reasons of such delay.

(13) The order passed by the Ombudsman shall set out –

(i) issue-wise decision;

(ii) reasons for passing the order;

(iii) directions, if any, to the Distribution Licensee or consumer or any other order, deemed appropriate in the facts and circumstances of the case; and

(iv) directions to pay such amount as compensation as specified by the Commission in the SOP Regulations.

(14) Notwithstanding the provisions of sub-Regulation (12) above, the Ombudsman may pass such interim orders, at any stage during the disposal of the representation, on the request of the consumer as the Ombudsman considers appropriate pending the final decision on the representation:

Provided that, except where it appears that the object of passing the interim order would be defeated by delay, no such interim order shall be passed unless the opposite party has been given an opportunity of being heard.

(15) A certified copy of the order or award shall be sent to the parties within seven (7) days from the date of order. A copy of the order may also be sent to the concerned Forum for information.

12. Finality of award

The award or the orders of the Ombudsman shall be final and binding on the parties.

13. Powers to remand matters to the Forum

(1) Where the Forum has disposed of the Grievance and the order of the Forum is reversed or set aside in the proceedings before the Ombudsman, the Ombudsman may, if it thinks fit and necessary, by order remand the Grievance to the Forum.

(2) The Ombudsman may, further direct what issue or issues shall be decided in the grievance so remanded, and shall send a copy of its judgment and order to

Forum from whose order the representation has been preferred to Ombudsman, with such directions as may be necessary to consider the Grievance and pass orders accordingly.

14. Power to Review

(1) Any person aggrieved by an order of the Ombudsman, may, upon the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or on account of some mistake or error apparent from the face of the record, may apply for a review of such order, within thirty (30) days of the date of the order, as the case may be, to the Ombudsman.

(2) An application for such review shall clearly state the matter or evidence which, after the exercise of due diligence, was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the order was passed or the mistake or error apparent from the face of the record. The application shall be accompanied by such documents, supporting data and statements as the Ombudsman may determine.

(3) When it appears to the Ombudsman that there is no sufficient ground for review, the Ombudsman shall reject such review application:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given an opportunity of being heard.

(4) When the Ombudsman is of the opinion that the review application should be granted, it shall grant the same provided that no such application will be granted without previous notice to the opposite side or party to enable him to appear and to be heard in support of the order, the review of which is applied for.

15. Powers to call information

For the purpose of carrying out his duties, Ombudsman shall have the same powers to call for records or information as are available to the Forum under sub-Regulation (8) of Regulation (15).

#Note:(Source: Chapter V of Delhi Electricity Regulatory Commission (Forum for Redressal of Grievances of the Consumers and Ombudsman) Regulations 2018

Disposal of Grievances

(Cumulative data till 31.3.2024)

CGRF-BRPL

Total Received	Total Disposed off	Pending	Decided in favour of the Complainant	Decided in favour of the Utility	Rejected/ Dismissed/ Dropped complaints	Recommended to DERC for imposition of Penalty
7641	7634	7	5940	1694	0	14

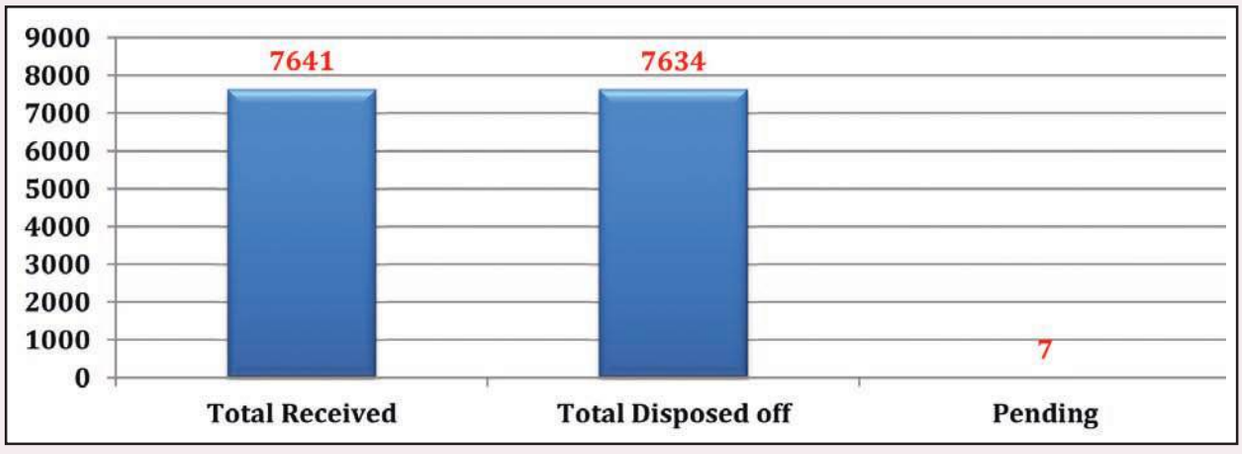

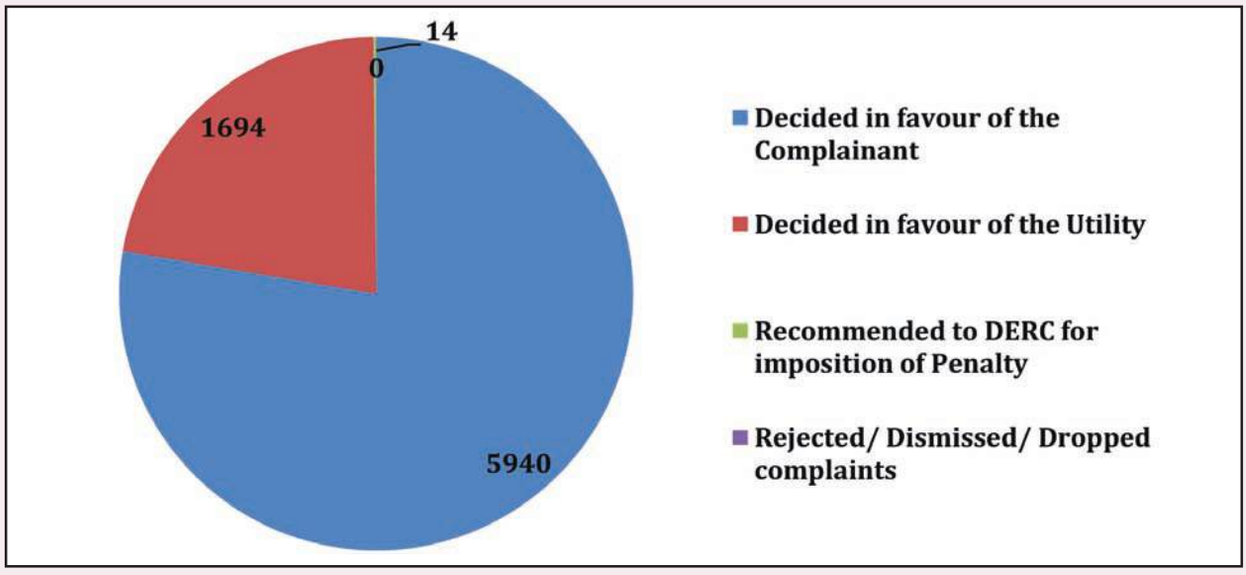

CGRF-BRPL

	Type of Complaint	No. of Complaints Received	No. of Complaints Disposed off	No. of Complaints Pending
A	Metering & Billing related	5636	5635	1
B	Delay in grant of new connection, disconnection & reconnection	1298	1293	5
C	Change in name of the registered consumer	205	205	0
D	Electrification of un-electrified area	35	35	0
E	Streetlights	95	95	0
F	Frequent break-downs	118	118	0
G	Load enhancement & load reduction	152	151	1
H	Unified premises	4	4	0
I	*Suo moto* by CGRF	2	2	0
J	Others	96	96	0
	TOTAL	**7641**	**7634**	**7**

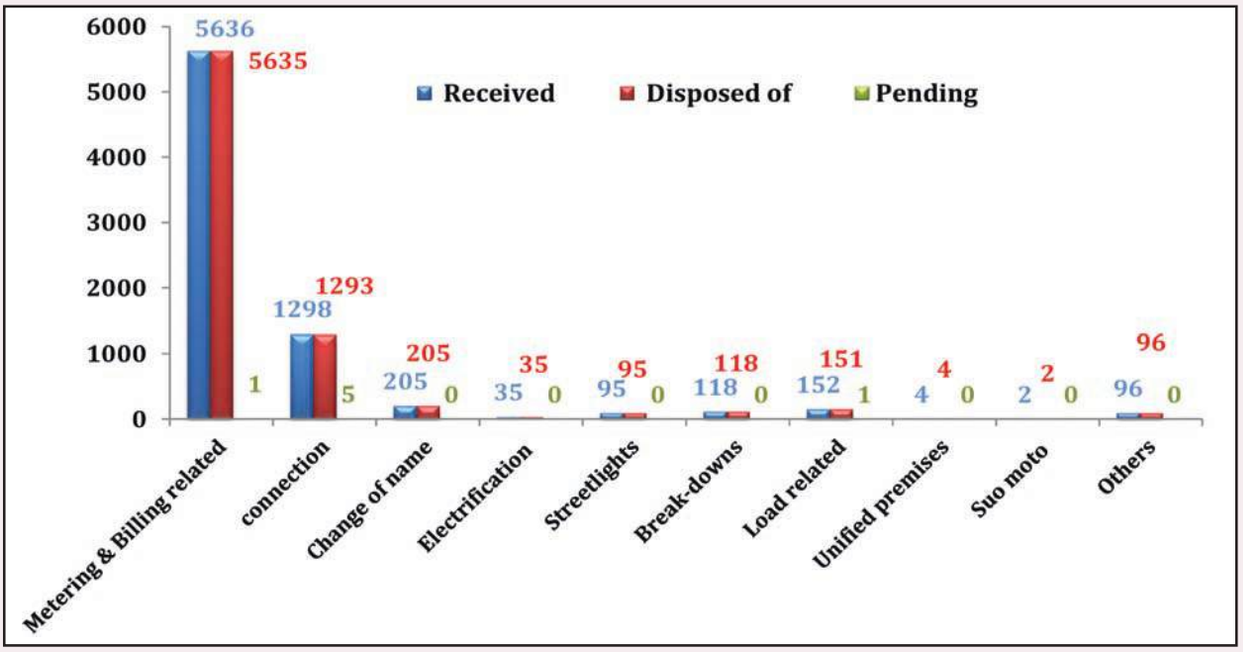

CGRF –BYPL

Total Received	Total Disposed off	Pending	Decided in favour of the Complainant	Decided in favour of the Utility	Rejected/ Dismissed/ Dropped Complaints/ Not Admitted	Recommended to DERC for imposition of Penalty
4660	4503	157	3524	779	163	0

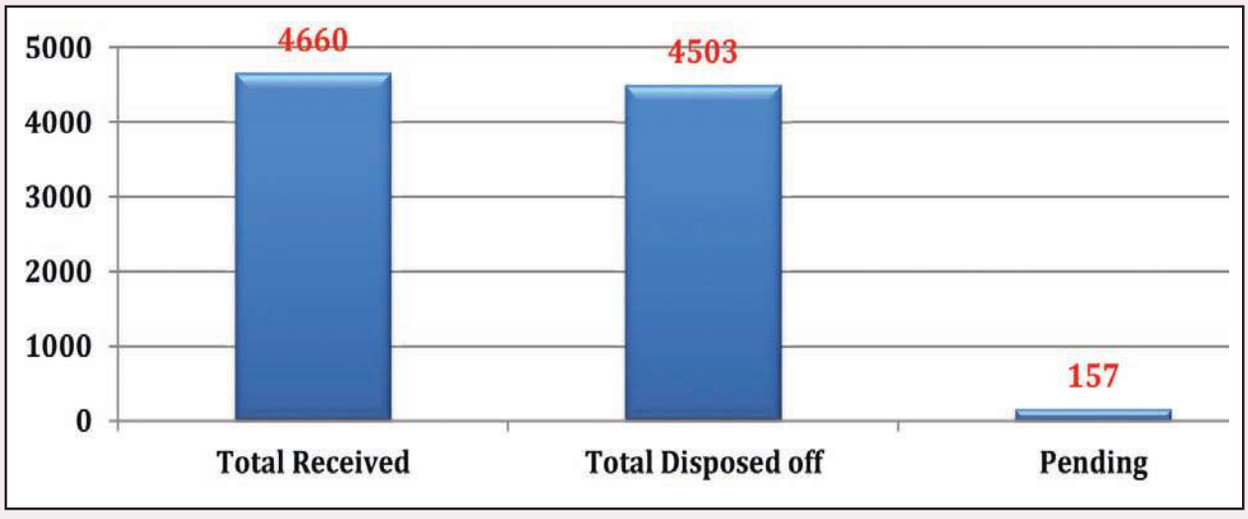

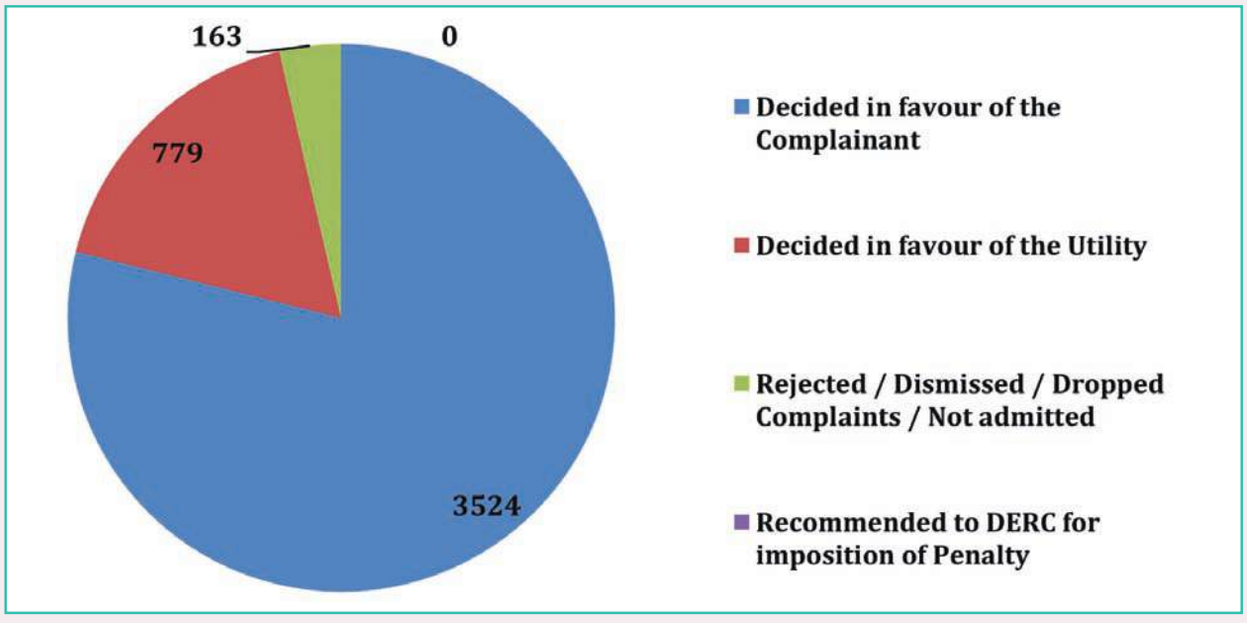

CGRF –BYPL

	Type of Complaint	No. of Complaints Received	No. of Complaints Disposed off	No. of Complaints Pending
A	Metering & Billing related	2455	2427	28
B	Delay in grant of new connection, disconnection & reconnection.	1798	1672	126
C	Change in name of the registered consumer	54	54	0
D	Electrification of un-electrified area	0	0	0
E	Streetlights	3	3	0
F	Frequent break-downs	8	8	0
G	Load enhancement & load reduction	82	81	1
H	Unified premises	1	1	0
I	*Suo moto* by CGRF	0	0	0
J	Others	259	257	2
	TOTAL	**4660**	**4503**	**157**

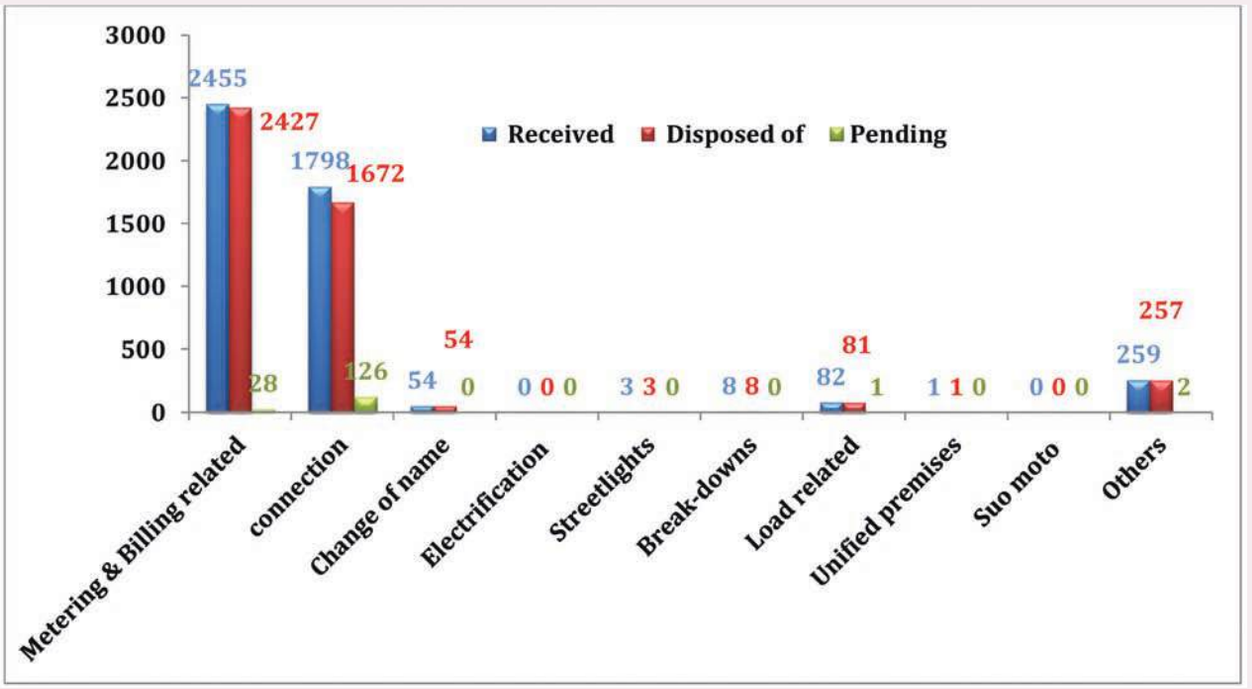

CGRF-TPDDL

Total Received	Total Disposed off	Pending	Decided in favour of the Complainant	Decided in favour of the Utility	Recommended to DERC for imposition of Penalty	Rejected/ Dismissed/ Dropped Complainant
8700	8673	27	6551	2122	7	0

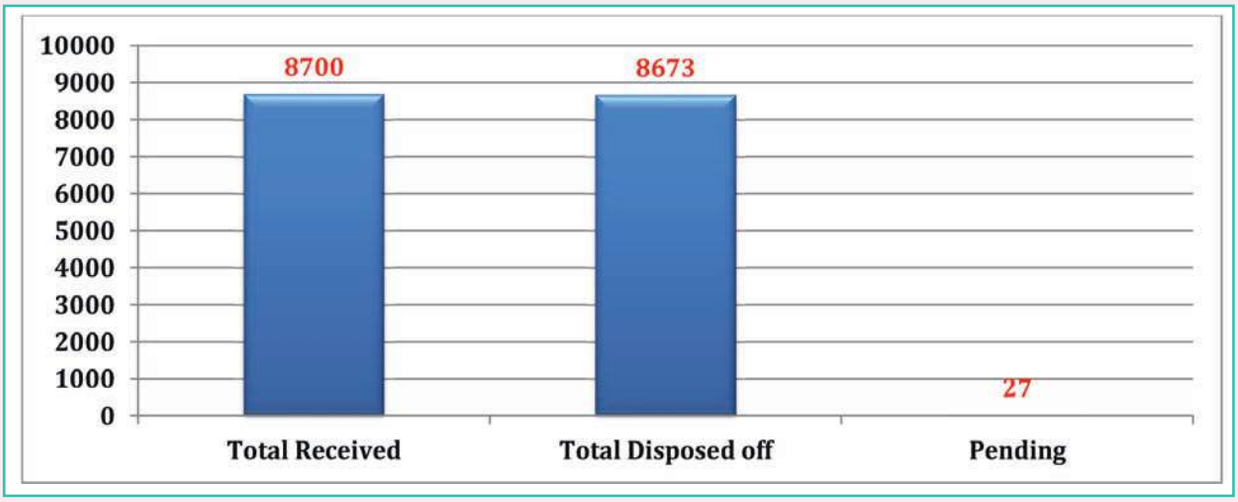

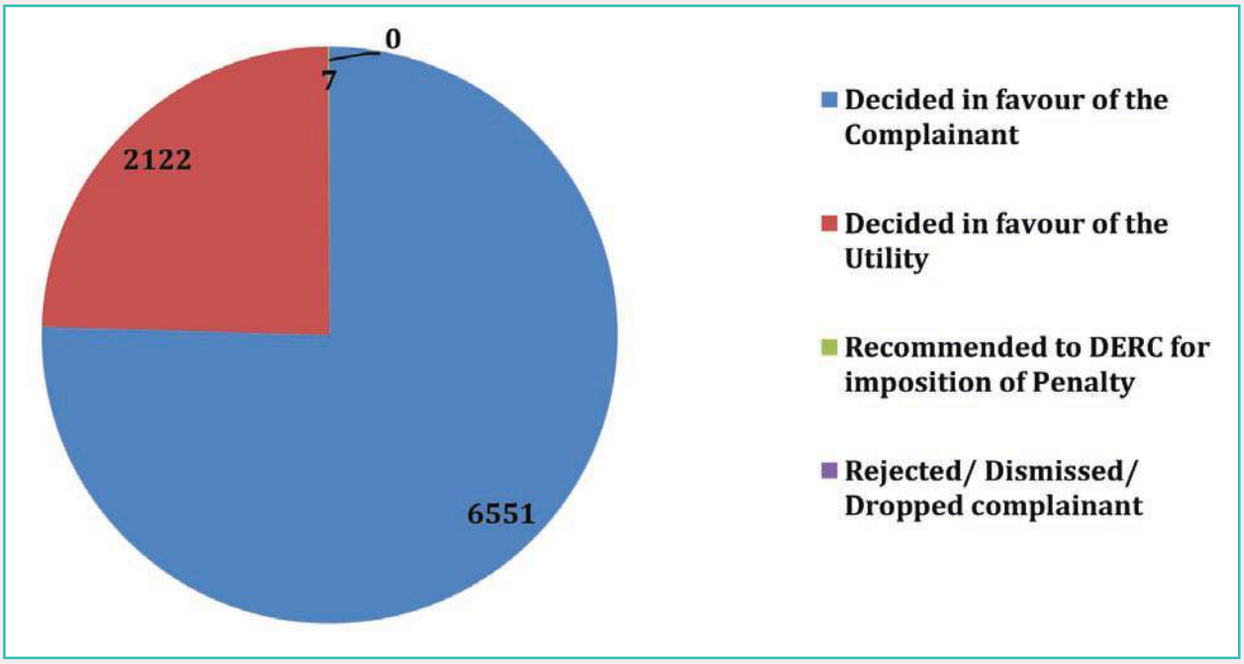

CGRF-TPDDL

	Type of Complaint	No. of Complaints Received	No. of Complaints Disposed off	No. of Complaints Pending
A	Metering & Billing related	4809	4795	14
B	Delay in grant of new connection, disconnection & reconnection	3389	3377	12
C	Change in name of the registered consumer	168	167	1
D	Electrification of un-electrified area	2	2	0
E	Streetlights	45	45	0
F	Frequent break-downs	32	32	0
G	Load enhancement & load reduction	255	255	0
H	Unified premises	0	0	0
I	*Suo moto* by CGRF	0	0	0
J	Others	0	0	0
	TOTAL	**8700**	**8673**	**27**

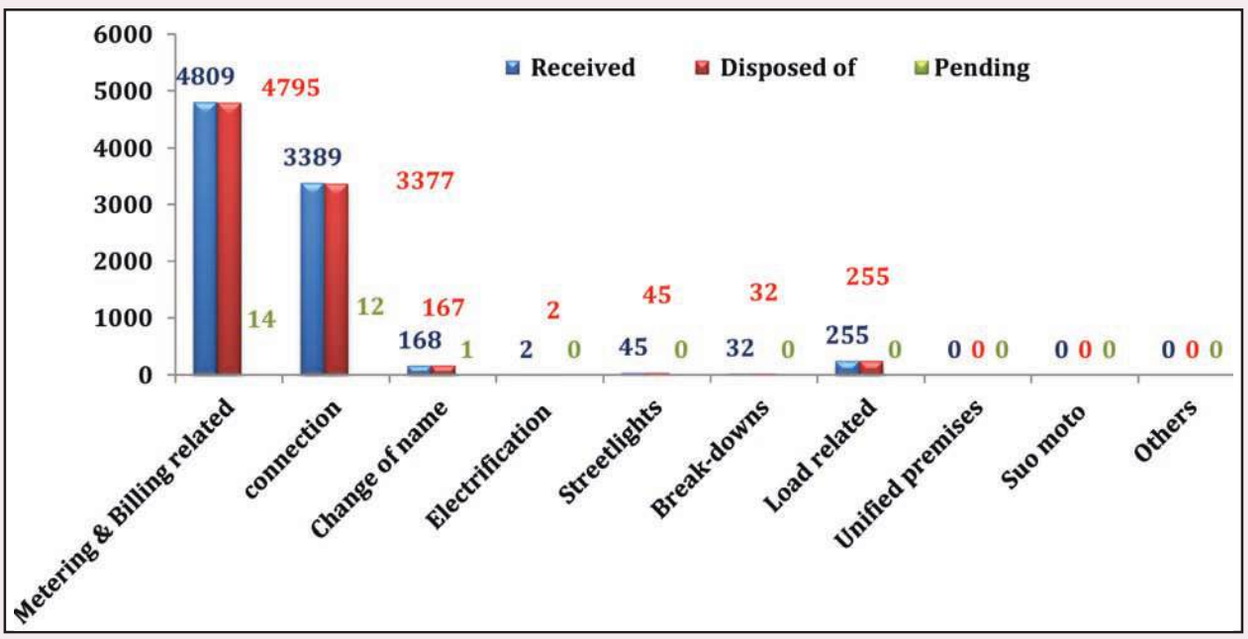

CGRF-NDMC

Total Received	Total Disposed off	Pending	Decided in favour of the Complainant	Decided in favour of the Utility	Recommended to DERC for imposition of Penalty	Rejected / Dismissed / Dropped Complaints
152	150	02	119	28	0	03

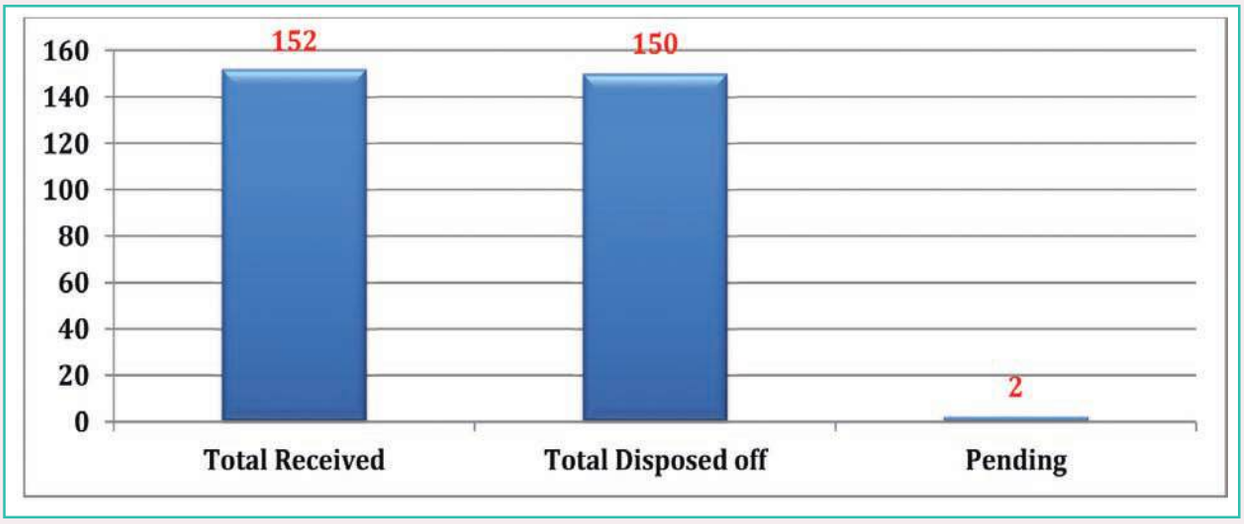

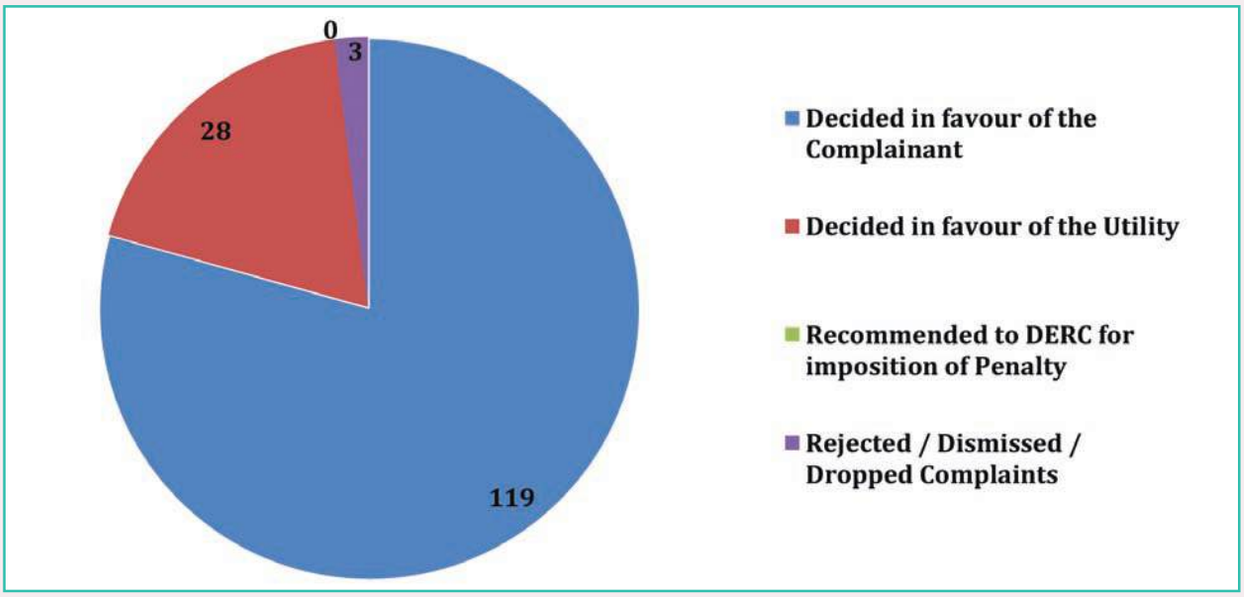

CGRF-NDMC

Type of Complaint		No. of Complaints Received	No. of Complaints Disposed off	No. of Complaints Pending
A	Metering & Billing related	113	111	02
B	Delay in grant of new connection, disconnection & reconnection	15	15	0
C	Change in name of the registered consumer	01	01	0
D	Electrification of un-electrified area	0	0	0
E	Streetlights	01	01	0
F	Frequent break-downs	02	02	0
G	Load enhancement & load reduction	05	05	0
H	Unified premises	0	0	0
I	*Suo moto* by CGRF	0	0	0
J	Others	15	15	0
	TOTAL	**152**	**150**	**02**

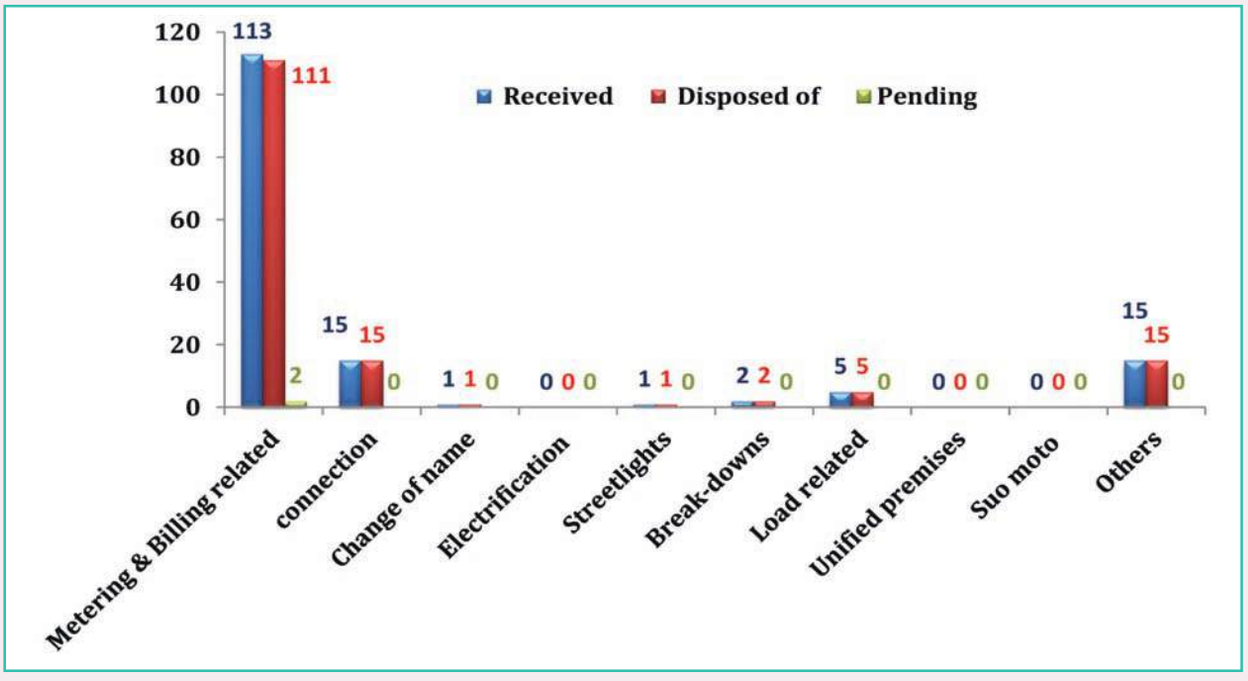

The Electricity Ombudsman

Total Received	Total Disposed off	Pending	Decided in favour of the Appellant	Decided in favour of the Utility	Others	Recommended to DERC for imposition of Penalty	Compensation awarded by EO
1048	1041	07	561	337	143	05	145

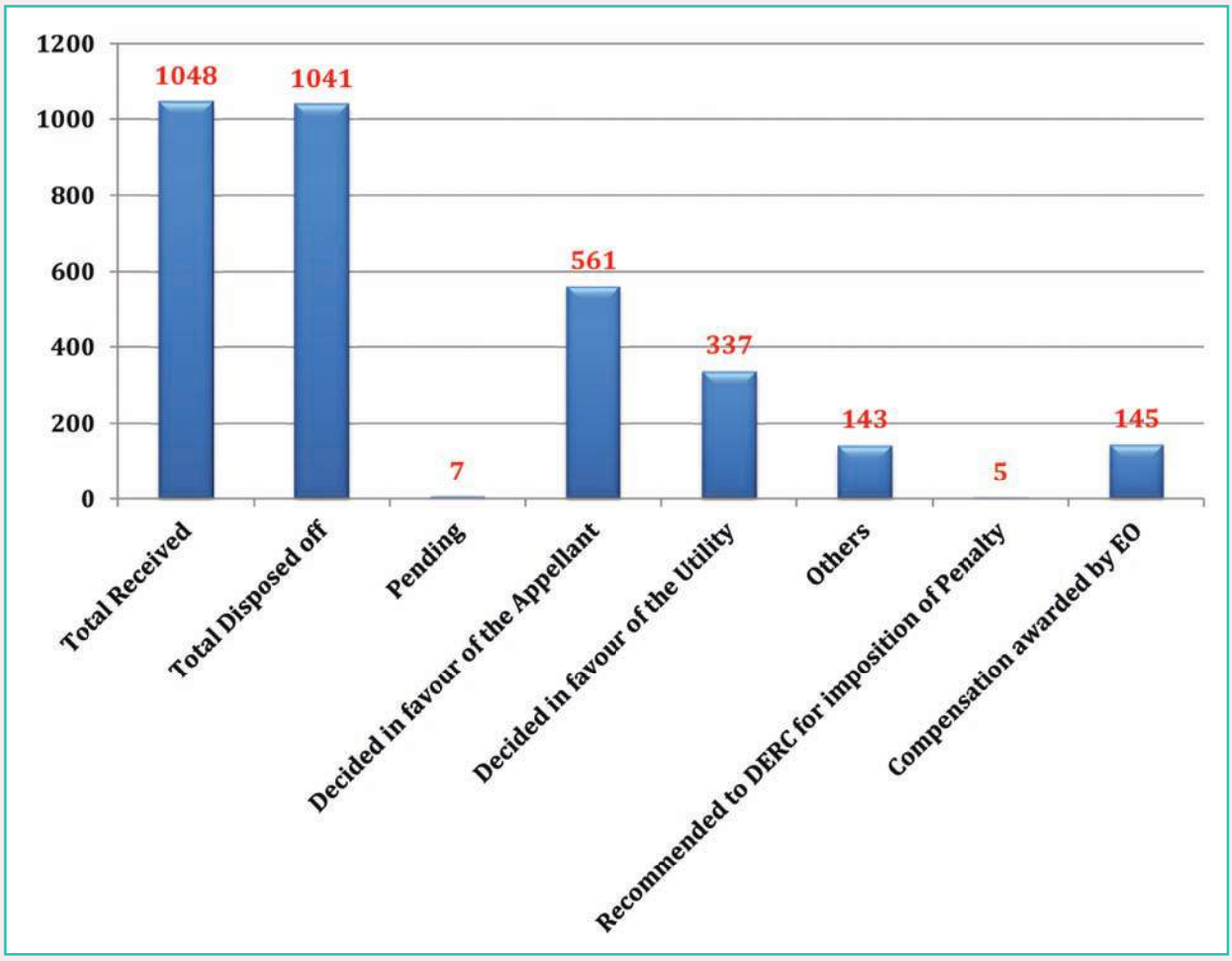

Consumer Assistance

The distribution licensees have established customer care centres to receive and resolve consumer related grievances. In case, the consumers are not satisfied, they are free to approach appropriate Consumer Grievance Redressal Forum which have been established in each distribution utility as per provisions of the Electricity Act, 2003. However, in order to provide proper guidance to the consumers who directly approach the Commission seeking redressal of their grievances, the Commission established a Consumer Assistance Cell headed by a Deputy Director level officer. The Consumer Assistance Cell also takes up these grievances with appropriate agencies for resolving / redressal.

Complaints found Miscellaneous / Duplicate Copies / for information / General in Nature / Emails / PGMS/CPGRAMS etc.

S.No.	Pertaining to	No. of Complaints
1	BRPL	186
2	BYPL	137
3	TPDDL	90
4	NDMC	01
5	General	447
6	Emails / Miscellaneous	2614
7	Public Grievance Monitoring System (PGMS)	99
8	Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)	02
	Total	**3576**

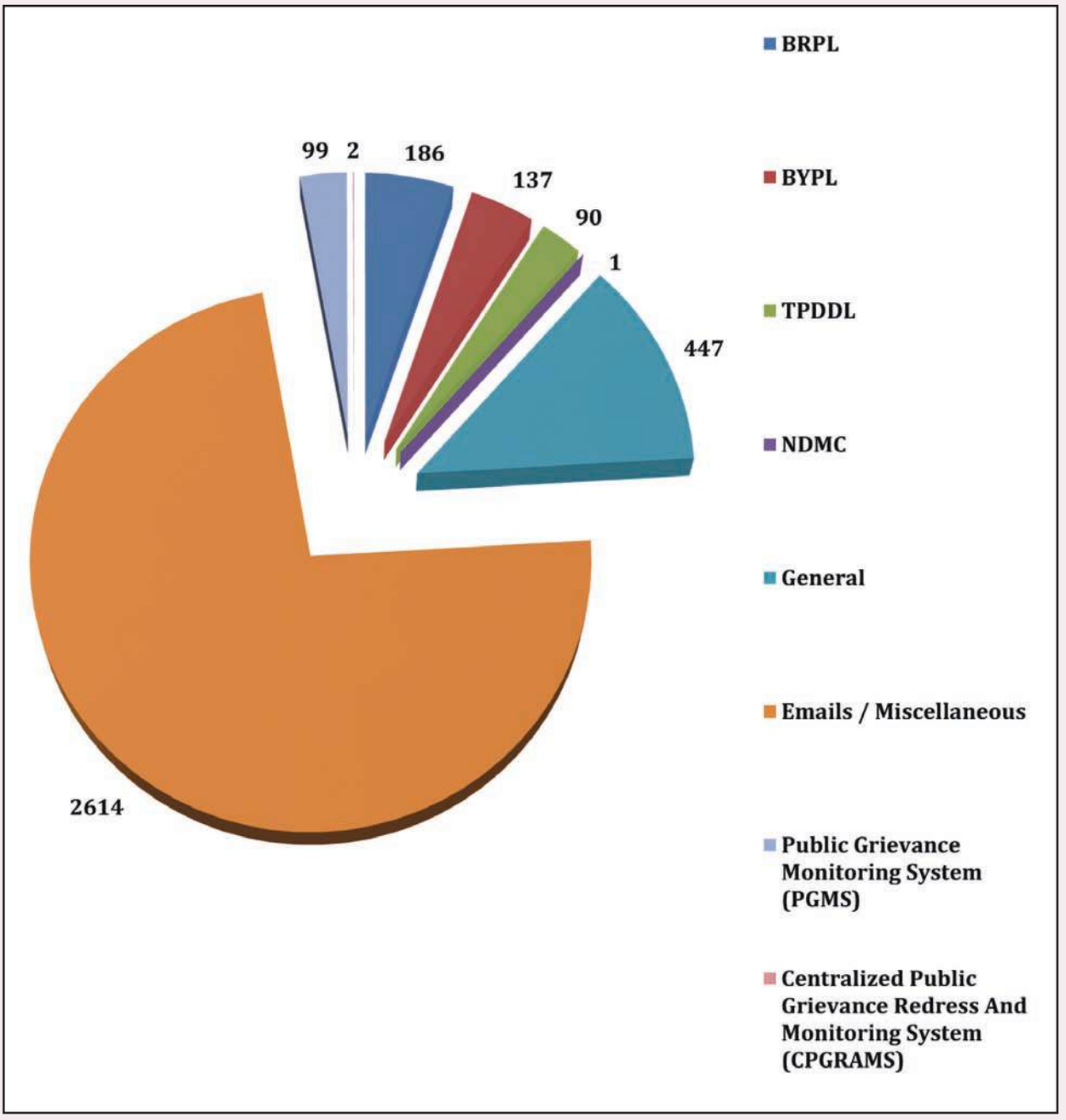
BRPL
BYPL
TPDDL
NDMC
General
Emails / Miscellaneous
Public Grievance Monitoring System (PGMS)
Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS)
99
2
186
137
90
1
447
2614

Activities under Right to Information Act, 2005

As per provisions contained in Right to Information Act, 2005, and amendments made to the same from time to time, the Commission has appointed the Public Information Officer (PIO), 1st Appellate Authority, to discharge their respective functions. As per mandate, the following activities were also undertaken.

1. Drafting and updation of 17 RTI manuals (every month) as specified in the Act, on Commission's website and on the website of RTI Cell of GNCTD.
2. Preparation and submission of periodical Status Reports to the Central Information Commission.
3. In all the cases, where the applicants file appeal with the CIC, upon receipt of Hearing Notice from CIC, a comprehensive reply is prepared (enclosing copies of all relevant communications) and sent to the CIC with the approval of the Secretary.
4. Compliance action was taken as per the Orders given by the CIC in respective cases.

During the year under report, the Public Information Officer of the Commission has received **422 RTI applications** seeking information and **45 appeals** were received by the 1st Appellate Authority. All the applications and appeals were disposed off within the specified time period as per the provisions of the RTI Act, 2005.

Annual Statement of Accounts for FY 2023-2024

Revenue Receipts

During the Financial year 2023-2024, the Revenue Receipts of the Commission was Rs. 14,25,31,606/- as following details:

(in Rs.)

a	License Fees	13,66,63,239/-
b.	Processing Fees	54,08,000/-
c.	Sale Proceeds of Books/Forms	7,479/-
d.	Penalty	55,000/-
e.	Receipts under RTI, Act, 2005	1,196/-
f.	Other Receipts	19,000/-
g.	Receipts from sale of Fixed Assets	3,77,692/-

Apart from the above an amount of Rs. 7,02,301/- was earned by way of interest on the Grant-in-aid of DERC during the Financial Year 2023-2024.

In accordance with the guidelines of the Govt. of NCT of Delhi Communicated by the Office of the Controller General of Accounts through Principal Accounts Office vide letter No. Pr. A.P./ Misc./12/2001/T-II/2459, dated 04.12.2001; the Revenue Receipts have not been utilized for expenditure of the Commission. The entire Revenue Receipts, as and when received, including interest, were regularly remitted to the Govt. of NCT of Delhi.

Annual Accounts

The Annual Accounts of the Commission for the Financial Year 2023-24 were prepared as per requirements of DERC (Maintenance of Accounts) Rules, 2009 notified vide notification no. F. 11/(129)/2003/Power/499. The Annual Accounts after being audited by the Office of the AG (Audit) Delhi along with audit report will be submitted to the Govt. of NCT of Delhi for placing before the State Legislature. This is a statutory requirement under the Electricity Act 2003.

Human Resources

Details of Officers/Officials working in DERC as on 31.03.2024

	Position	Scale of Pay (in 7th CPC)	Posts Sanctioned	Posts Filled in
1	Secretary	Level -14 (Rs. 144200-218200)	1	1
2	Executive Director	Level -14 (Rs. 144200-218200)	3	3
3	Joint Director	Level -13 (Rs. 123100-215900)	5	4
4	Advisor (Finance)	Level -13 (Rs. 123100-215900)	1	1
5	Joint Secretary	Level -11 (Rs. 67700-208700)	1	1
6	Deputy Director	Level -11 (Rs. 67700-208700)	10	8
7	Pr. Private Secretary	Level -11 (Rs. 67700-208700)	3	2
8	Assistant Director (IT)	Level -10 (Rs. 56100-177500)	1	1
9	Dy. Secretary	Level -10 (Rs. 56100-177500)	1	1
10	Personnel Officer	Level -8 (Rs. 47600-151100)	1	1
11	Asst. Accounts Officer	Level -8 (Rs.47600-151100)	1	1
12	Private Secretary	Level -8 (Rs.47600-151100)	1	1
13	Jr. Law Officer	Level -8 (Rs.47600-151100)	2	2
14	Personal Assistant	Level -7 (Rs.44900-142400)	9	9
15	Steno-cum-Computer Operator (07 Nos.)/ Executive Assistant (02 Nos.)	Level -7 (Rs.44900-142400)	9	7
16	Cashier	Level -5 (Rs.29200-92300)	1	1
17	Caretaker	Level -5 (Rs.29200-92300)	1	1
18	Clerk-cum-Computer Operator	Level -7 (Rs.44900-142400)	1	1

	Position	Scale of Pay (in 7th CPC)	Posts Sanctioned	Posts Filled in
		Level -4 (Rs.25500-81100)	3	3
19	Receptionist	Level -4 (Rs.25500-81100)	1	1
20	Lower Division Clerk	Level -2 (Rs.19900-63200)	1	1
21	Diarist-cum-Dispatcher	Level -2 (Rs.19900-63200)	1	1
22	Driver	Level -5 (Rs.29200-92300)	4	4
		Level -4 (Rs.25500-81100)	3	3

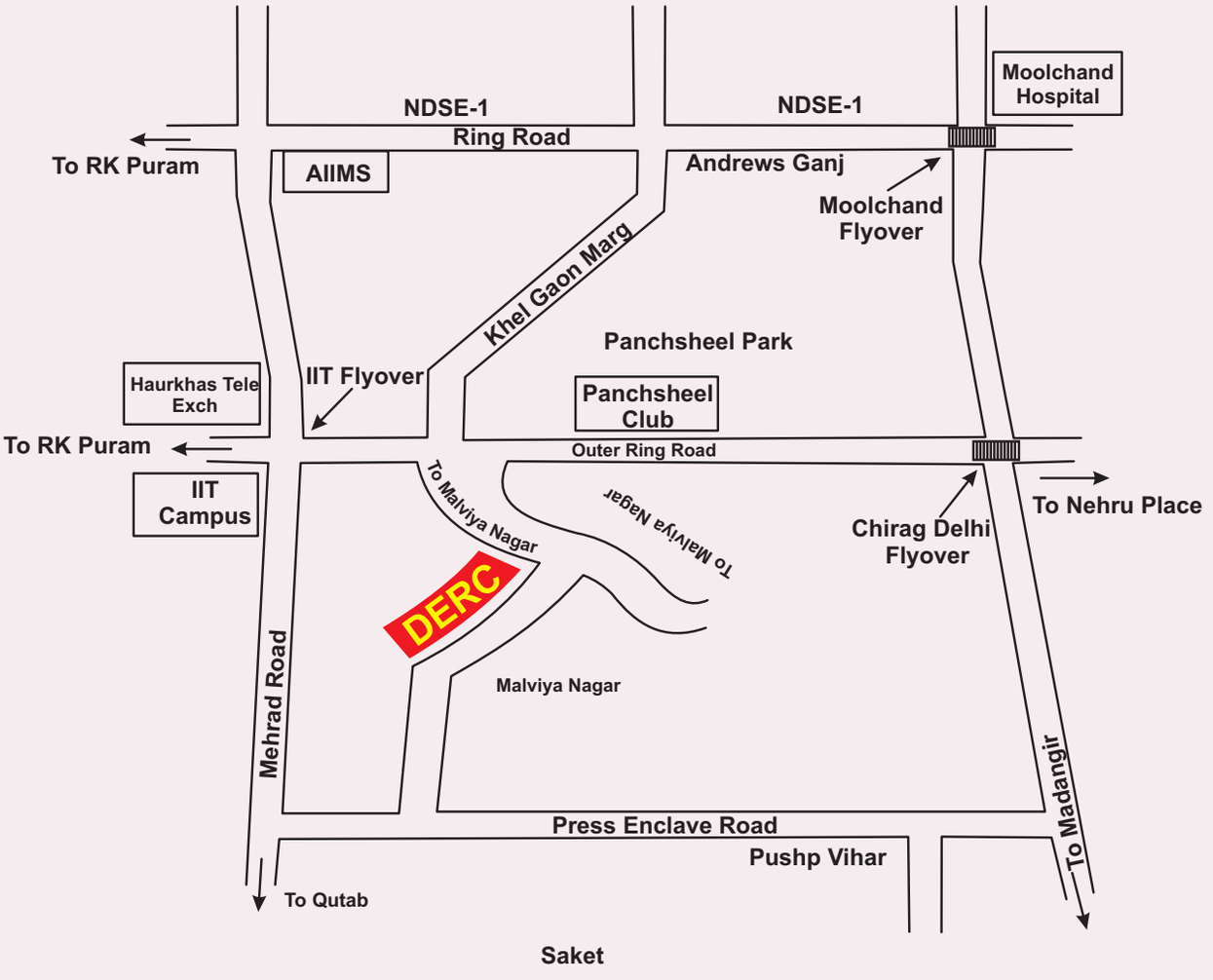

Delhi Electricity Regulatory Commission
Viniyamak Bhavan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi 110017
Fax : 011-41080416, Telephone No. 011-41080417, www.derc.gov.in

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

विनियामक भवन, सी–ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली–110017

Viniyamak Bhavan, C-Block, Shivalik, Malviya Nagar, New Delhi-110017

Ph. No. : 011-41080417, email : secyderc@nic.in, www.derc.gov.in